वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा

एम.जे.एम.सी. - 9
मुद्रण, प्रकाशन एवं जनसंचार प्रबंधन
(Printing, Production & Management)

मुद्रण, प्रकाशन एवं जनसंचार प्रबंधन 5

पत्रकारिता एवं जनसंचार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
(Master of Journalism & Mass Communication)

मुद्रण, प्रकाशन एवं जनसंचार प्रबंधन

5

मुद्रण का इतिहास (विश्व के संदर्भ में)
डैस्क टॉप पब्लिशिंग (डी.टी.पी.)

पत्रकारिता एवं जनसंचार
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

मुद्रण, प्रकाशन एवं जनसंचार प्रबंधन

पाठ्यक्रम विशेषज्ञ समिति

- **प्रो. जी. एस. एल. देवड़ा**
  कुलपति
  कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
  (अध्यक्ष समिति)
- **प्रो. अब्दुल वहीद खान**
  निदेशक (विकास एवं प्रशिक्षण)
  कॉमनवेल्थ सेण्टर ऑफ लर्निंग
  वैंकूवर (कनाडा)
- **राधेश्याम शर्मा**
  पूर्व-महानिदेशक
  माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता
  विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
- **डॉ. ओ. पी. केजरीवाल**
  निदेशक, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी
  तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली
- **प्रो. ए. के. बनर्जी**
  पूर्व-अध्यक्ष, पत्रकारिता विभाग
  बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
  वाराणसी
- **प्रो. जे. एस. यादव**
  भारतीय जनसंचार संस्थान
  नई दिल्ली
- **डॉ. भंवर सुराणा**
  ब्यूरो चीफ / विशेष संवाददाता
  दैनिक हिंदुस्तान
  जयपुर
- **डॉ. रमेश जैन**
  अध्यक्ष-जनसंचार विभाग
  कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
  (सचिव, समिति)

संयोजक

डॉ. रमेश जैन- अध्यक्ष, जनसंचार विभाग
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ-संपादक एवं भाषा-संपादक

पाठ-संपादक
डॉ. विष्णु पंकज
वरिष्ठ जनसंचारकर्मी
जयपुर

भाषा संपादक
डॉ. महेन्द्र मधुप
संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण और प्रचार)
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

- डॉ. आर.वी. व्यास, कुलपति
- डॉ. एच.बी. नन्दवाना, विभागाध्यक्ष
- डॉ. पी.के. शर्मा, निदेशक, पा.सा.उ. एवं वि. विभाग

पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग

- योगेन्द्र गोयल
  सहायक उत्पादन अधिकारी

सर्वाधिकार सुरक्षित ! इस पाठ्यक्रम का कोई भी अंश कोटा खुला विश्वविद्यालय/ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना या मिम्योग्राफी(चक्रमुद) अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करना वर्जित है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाता रोड, कोटा से प्राप्त की जा सकती हैं।

कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा प्रकाशित

पाठ लेखक

1. **जितेन्द्र गुप्त**
वरिष्ठ पत्रकार
नई दिल्ली

2. **श्याम माथुर**
उप संपादक
राजस्थान पत्रिका, जयपुर

3. **रमेश पांडे**
सहायक महाप्रबंधक
राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर

4. **शिव प्रसाद भारत**
सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
गाजियाबाद

5. **महेश्वरदयालु गंगवार**
संयुक्त सचिव, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया)
वरिष्ठ पत्रकार
नई दिल्ली

6. **गुलाब बत्रा**
वरिष्ठ संवाददाता
यूनिवार्ता, समाचार समिति, जयपुर

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

एम. जे. एम. सी. -9

मुद्रण, प्रकाशन एवं जनसंचार प्रबंधन

पाठ्यक्रम - नवम
खण्ड - 5

5

इकाई 16	
समाचार समितियों का प्रबन्ध संगठन	7–34
इकाई 17	
समाचार समितियां : समस्याएं एवं संभावनाएं	35–47
इकाई 18	
समाचार पत्र का सम्पादकीय विभाग (संरचना एवं कार्य विधि)	48–67

इकाई 16 समाचार समितियों का प्रबंध संगठन

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

16.1 प्रस्तावना

16.2 समाचार समितियां

16.2.1 समाचार समिति क्या है?

16.2.2 समाचार समिति की आवश्यकता

16.3 समाचार समितियों का उद्भव

16.3.1 विदेशों में समाचार समितियां

16.3.2 भारत में समाचार समितियां

16.4 भारत में समाचार समितियों का विकास

16.4.1 आजादी से पूर्व समाचार समितियां

16.4.2 आजादी के बाद समाचार समितियां

16.4.3 आपातकाल में समाचार समितियां

16.4.4 वर्तमान में समाचार समितियां

16.5 समाचार समितियों की कार्यप्रणाली

16.5.1 केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्था

16.5.2 क्षेत्रीय/प्रांतीय कार्यालय

16.5.3 स्ट्रिंगर प्रणाली

16.5.4 विदेशी एजेंसियों से संबंध (अनुबंध)

16.6 समाचार समितियों का वित्तीय प्रबंध

16.7 समाचार समितियों का तकनीकी तंत्र

16.8 सारांश

16.9 शब्दावली

16.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

16.11 निबन्धात्मक प्रश्न

16.0 उद्देश्य

समाचारपत्र लोकतंत्रीय व्यवस्था में अपरिहार्य हैं और यह भी निर्विवाद सत्य है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जागरूक और उत्तरदायी चतुर्थ स्तंभ की जरूरत समझी गयी है। इसीलिए निर्भीक और जिम्मेदार प्रेस की आवश्यकता पर बल दिया गया है। महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह अनुभव किया कि जनता को जागरूक करने के लिए पत्रकारिता एक उपयोगी अस्त्र है। स्वयं महात्मा गांधी ने 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' समाचारपत्र का संपादन किया।

इन समाचारपत्रों की प्रकाशन प्रणाली क्या है, यह अपने आप में एक अलग विषय और तकनीक है। लेकिन समाचारपत्रों में छपने वाले समाचारों का बहुत बडा स्रोत समाचार समितियां अथवा न्यूज एजेंसियां होती है। चाहे कोई समाचारपत्र कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके पास व्यापक संसाधन हो, उसके बावजूद समाचार समितियों की आवश्यकता बनी रहती है। बिना समाचार समितियों की सहायता लिए किसी भी समाचारपत्र में देश-विदेश के ताजातरीन समाचारों का प्रकाशन असंभव और मुश्किल भरा काम है।

समाचारपत्रों की इस महती आवश्यकता ने समाचार समितियों को जन्म दिया और उनका तेजी से विकास हुआ। समाचार समितियों के उद्भव और विकास की कहानी अपने आप में रोमांचकारी है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि आज समाचारपत्रों और समाचार समितियों की समाचार सेवाओं का उपयोग आकाशवाणी-दूरदर्शन सहित केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रियों, विभागों, निगमों, वित्तीय संस्थाओं संगठनों, विश्वविद्यालयों, बड़े होटलों इत्यादि अन्य उपभोक्ताओं द्वारा भी किया जाता है। लेकिन समाचार समितियों की उपयोगिता का व्यापक आधार समाचारपत्रों को अपनी सेवायें उपलब्ध कराना प्रमुख है और इसी से उनकी पहचान बनती है तथा ख्याति मिलती है।

'मुद्रण, प्रकाशन एवं जनसंचार प्रबंधन' के परिप्रेक्ष्य में हम इस इकाई में समाचार समितियों के प्रबंध संगठन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए तत्संबंधी जानकारी हासिल करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप-

- समाचार समितियां और उनकी आवश्यकता
- समाचार समितियों का उद्भव और विकास
- भारत में समाचार समितियों का क्रमिक विकास
- समाचार समितियों की कार्य प्रणाली
- और तकनीकी तंत्र, वित्तीय प्रबंध एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

16.1 प्रस्तावना

रेडियो पर समाचार सुनने और टेलीविजन (टी.वी.) पर समाचार देखने के बावजूद हर सुबह हमें समाचारपत्रों की प्रतीक्षा रहती है। आम पाठक की समाचार पत्रों मे छपे समाचारों के प्रति अपनी जिज्ञासा के अनुसार रुचि रहती है और वह सबसे पहले वही समाचार पढ़ना पसंद करता है। इन समाचारपत्रों में छपी खबरों को पढ़ते समय एक जागरूक पाठक के मन में डेटलाइन के आगे किसी समाचार समिति का संक्षिप्त नाम पढ़कर यह बात उठना स्वाभाविक है कि यह क्यों लिखा हुआ है। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वह समाचार समिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है, लेकिन आम पाठक की प्राय: इसमें दिलचस्पी नहीं होती।

समाचारपत्रों और समाचार समितियों दोनों का वास्ता समाचार से होता है। लेकिन समाचार समितियां स्वयं समाचारपत्र नही छापती। इसके बावजूद उनका महत्व इसलिए बना हुआ है कि समाचार समितियां अपने ग्राहक पत्रों को ताजा और रोचक समाचार उपलब्ध कराती हैं और तब ये पाठक को समाचारपत्र के माध्यम से पढ़ने के लिए मिलते है।

यह जानने के बाद स्वाभविक रूप से हमारे मन में भी समाचार समितियों के बारे में कुछ जानने की इच्छा होगी। हम यह जानना चाहेंगे कि समाचार समितियां क्या हैं और इनकी कार्य प्रणाली क्या है जिससे उनका महत्व बना हुआ है। समाचार समितियों द्वारा किस तरह समाचार एकत्रित किए जाते हैं और उन्हें संपादित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तत्परता से भेजा जाता है। यह सारी व्यवस्था किस तरह चलती है। इन सभी मुद्दों पर हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के दौरान हम समाचार समितियों के प्रबंध संगठन को समझने का प्रयास करेंगे।

16.2 समाचार समितियों

इस इकाई के उद्देश्य और प्रस्तावना से हमें यह तो भली भांति समझ में आ गया होगा कि समाचार समितियों का स्वरूप क्या है और उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। विभिन्न क्षेत्रों के समाचारों का संकलन, उनका सम्पादन और वितरण या प्रसारण की व्यवस्था का मुख्य दायित्व समाचार समितियों का होता है। इनके कार्यक्षेत्र के आधार पर समाचार समितियों का क्षेत्रीय या प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप निर्धारित किया जाता है।

न्यूज एजेंसियों की तरह फीचर एजेंसियां भी होती है जो समाचारपत्रों को लेखन सामग्री उपलब्ध करवाती है। लेकिन दोनों में मौलिक अंतर है। फीचर एजेंसी का संबंध केवल समाचारपत्रों तक सीमित होता है जो उन्हें लेख या रिपोर्ट, सर्वेक्षण इत्यादि के रूप में लेखन सामग्री एक नियत कालीन (साप्ताहिक अथवा सप्ताह में दो या तीन बार) अवधि में सुलभ करवाती है। जबकि समाचार समिति का प्रमुख काम रोजाना समाचार सेवा उपलब्ध करवाना है और उसके ग्राहकों में समाचारपत्रों के अलावा रेडियो-टेलीविजन सहित अन्य उपभोक्ता शामिल होते हैं। फीचर एजेंसी हमारा अध्ययन विषय नहीं है। इसलिए यहां हम समाचार समिति के प्रबंध संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

16.2.1 समाचार समिति क्या है?

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाचार समितियां वह संगठन या संस्थान हैं जो समाचार संकलन, प्रेषण एवं वितरण का कार्य करते है। समय के साथ-साथ समाचार समितियों के स्वरूप और कार्य क्षेत्र में काफी परिवर्तन आये हैं। जब हम समाचार समितियों का इतिहास जानेंगे तो हमे कई रोचक जानकारियां भी मिलेंगी। इनका अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे।

समाचारपत्रों सहित अन्य ग्राहकों की मांग, संसाधन जुटाने तथा नये कार्य क्षेत्र खोजने और इस दिशा में विकास के नये आयाम जुडने के साथ समाचार समितियों ने फोटो, संदर्भ लेख, फीचर, सहायक सामग्री (बैंक ग्राउण्डर), कतरन (अखबारों की क्लीपिंग) सेवा, ग्राफिक्स इत्यादि सेवायें उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल की है। इस कारण कई समाचार एजेंसियों ने तो अपने क्षेत्र में विशिष्टता हासिल कर ली है और उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की उपयोगिता भी सिद्ध हुई है।

स्वाभाविक रूप से जब समाचार समितियों का कार्य विस्तार हुआ तो उनके बारे में तरह तरह की टिप्पणियों के साथ परिभाषाऐं की गई। इसको लेकर भी काफी वाद विवाद हुआ और

समाचार समितियों के बारे में कई परिभाषायें की गई। लेकिन अंत में वर्ष 1952 में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने सबसे पहले समाचार समिति की अधिकृत परिभाषा इस प्रकार निर्धारित की-समाचार समिति एक उद्‌यम है जिसका प्रमुख उद्देश्य चाहे उसका कानूनी स्वरूप कैसा भी हो-समाचार एवं समाचार विषयक सामग्री एकत्र करना एवं तथ्यों का प्रकटीकरण या प्रस्तुतीकरण है तथा उन्हें समाचार संस्थाओं को, विशेष परिस्थितियों में निजी व्यक्तिओं को भी इस दृष्टि से वितरित करना है ताकि उन उपभोक्ताओं को व्यावसायिक विविध एवं नियमानुकूल स्थितिओं में मूल्य की एवज में जहां तक संभव हो संपूर्ण एवं निष्पक्ष समाचार सेवा प्राप्त हो सके।

इस परिभाषा से समाचार समितियों की उपादेयता, उद्देश्य, कानूनी स्वरूप तथा उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। इस परिभाषा के अंत में जहां तक संभव हो संपूर्ण एवं निष्पक्ष समाचार सेवा पर विशेष जोर दिया गया है। दरअसल (प्रत्येक) समाचार समिति की प्रमुख विशेषता यही है और होनी चाहिए कि उसके समाचार सही प्रामाणिक तथ्य परक और पक्षपात रहित हो। इन्हीं गुणों और विशेषताओं के आधार पर किसी भी समाचार समिति की साख बनती है जो उसके विकास का भी प्रमुख आधार होती है। समाचार समिति की विश्वसनीयता ही सर्वोपरि है। हम यह जानते है कि समाचार समिति की सेवायें उपलब्ध नहीं होने पर समाचारपत्रों के प्रकाशन तथा रेडियो-टेलीविजन के समाचार बुलेटिनों के प्रसारण में काफी परेशानी आ सकती है। इसलिए इन समाचार समितियों की उपुयोगिता एवं अनिवार्यता बरकरार है और समय के साथ इन समाचार समितियों ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण करते हुए अपनी पहचान बनाई है।

यह भी कम दिलचस्प बात नहीं है कि समाचारपत्रों, रेडियों, टेलीविजन के बुलेटिनों के माध्यम से अपनी उपयोगिता का अहसास कराने वाली समाचार समितियों के बारे में आम जनता को अधिक जानकारी नहीं होती। यहां तक कि समझदार पढे लिखें नागरिकों और कई बार जिम्मेदारी के पदों पर आसीन लोग भी इन समितियों के बारे में अनभिज्ञ से रहते हैं।

16.2.2 समाचार समिति की आवश्यकता

हम यह तो जान चुके है कि समाचार समितियां क्या हैं और उनका महत्व एवं उपयोगिता क्या है। तब स्वाभाविक रूप से यह बात समझी जा सकती है कि समाचार समितियों की आवश्यकता क्यों है।

हम यह भी जानते है कि स्थानीय क्षेत्रीय या आंचलिक, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर समाचारपत्रों का अपना एक स्वरूप और संगठन होता है। अपने कलेवर के रूप में समाचारपत्र समाचार संग्रह की व्यवस्था करते है। लेकिन चाहे कोई कितना भी बड़ा समाचारपत्र क्यों न हो, उसके पास भले ही विपुल संसाधन हो, वह देश-विदेश के समाचारों के संग्रह की समुचित व्यवस्था नहीं कर सकता। समाचारपत्रों को देश- विदेश के ताजातरीन समाचारों के लिए किसी न किसी माध्यम या प्रणाली की मदद की जरूरत रहती है। और इस महान उत्तरदायित्व को समाचार समितियां बखूबी निभा सकती है, क्योंकि इन समाचार समितियों का 'नेटवर्क' इतना

व्यापक होता है कि वे दूर संचार के अत्याधुनिक साधनों की मदद से देश-विदेश के समाचार कुछ पलों में दुनिया के एक कोने से दूसर कोने में पहुंचाने में सक्षम होती है।

कुछ घंटों का अंतराल छोड़ दें तो समाचार समितियां प्राय: रात दिन समाचार सेवा उपलब्ध कराती हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी अथवा बरसात हर मौसम में और प्रत्येक परिस्थिति में यहां तक कि होली, दीपावली जैसे सांस्कृतिक पर्वों तथा पन्द्रह अगस्त, छब्बीस जनवरी के राष्ट्रीय पर्वों पर समाचार समितियों का काम अनवरत जारी रहता है। समाचारपत्र तो इन विशेष अवसरों पर अपना प्रकाशन स्थगित कर अवकाश मना लेते है, लेकिन रेडियो व टेलीविजन के समाचार बुलेटिनों की निरंतरता को बनाये रखने के लिए समाचार समितियों को हर पल के नये समाचारों के संकलन और उनके वितरण का दायित्व निभाना होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि समाचार एजेंसियों में कभी छुट्टी (कर्मचारी हड़ताल के कारण समाचार प्रेषण में बाधा या सेवा जारी नहीं रख पाने की विशेष परिस्थिति के अलावा) नहीं होती।

समाचारपत्रों द्वारा अपने स्तर पर समाचार संग्रह की विशेष व्यवस्था के बावजूद समाचार समितियों का अस्तित्व बना हुआ है। इसलिए समाचारपत्रों के कार्यालयों में लगे हुए समाचार समितियों के टेलीप्रिन्टर अथवा कम्प्यूटरों के माध्यम से समाचार समिति की व्यवस्था से आने वाले समाचारो के प्रति सम्पादकीय विभाग की उत्सुकता हर पल बनी रहती है। समाचार समितियां अति महत्वपूर्ण समाचार को फ्लैश-फ्लैश रूप में तीन चार बार जारी करके समाचार विशेष के प्रति संपादकीय विभाग को जागृत कर देती हैं और वहा हलचल-सी मच जाती है।

इसीलिए बडे समाचारपत्र एक से अधिक न्यूज़ एजेंसी की सेवाएं लेना पसंद करते है ताकि उन्हे एजेंसियों की आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते विभिन्न क्षेत्रों के समाचार शीघ्र से शीघ्र मिल सकें। कौन से महत्वपूर्ण समाचार किस एजेंसी ने सबसे पहले और कितने विस्तार में तथा विविध पहलुओं के संदर्भ में प्रसारित किया यह देखा जाता है और इसी के बल पर समाचार समिति को क्रेडित मिलती है।

16.3 समाचार समितियों का उद्भव

समाचारों के संकलन, सम्पादन और वितरण की जो व्यवस्था आज समाचार समितियों द्वारा की जाती है, आरम्भ में समाचार समितियों का यह स्वरूप नहीं था। समाचार समितियों का वर्तमान स्वरूप संचार सुविधाओं में आए तेजी से परिवर्तन, नई तकनीक तथा अन्य जरूरतों के विकास का नतीजा है।

फिर भी समाचारों के संकलन और उनके वितरण के लिए किसी इकाई अथवा संगठन की आवश्यकता समाचारपत्रों के विकास के साथ निरंतर अनुभव की जाने लगी थी। यह जरूर है कि आज जिस रूप में समाचारों का गठन और सम्पादित रूप समाचारपत्रों इत्यादि को उपलब्ध करवाया जाता है आरम्भ में उसका स्वरूप ऐसा नहीं था। वर्तमान में समाचारों की विविधता और प्रस्तुतीकरण का तब अभाव था। समाचारों का दायरा अत्यंत सीमित था।

वर्तमान में समाचारपत्रों में आपसी प्रतिस्पर्धा का जो गलाकाट स्वरूप दिखाई देता है, तब ऐसी परिस्थितियां नहीं थीं। हालात तो यहां तक थे कि समाचारपत्र आपस में तालमेल बिठाकर पुलिस, कोर्ट-कचहरी इत्यादि से सबंधित समाचारों के आदान-प्रदान में आपस में सहयोग

करते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में तो न्यूयार्क में समाचारपत्रों के आपसी सहयोग के लिए एसोसिएशन तक गठित की गई थी। इंगलैण्ड में गठित इसी तरह की एक संस्था के माध्यम से समाचारपत्रों को संसद की कार्यवाही से सबंधित समाचार उपलब्ध करवाये जाने लगे।

चूंकि तब समाचार के अति आधुनिक साधन और तकनीक भी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए समाचारों का प्रेषण तार प्रणाली से किया जाता था। इसीलिए कुछ देशों में समाचार समितियों को वायर (तार) एजेंसी के रूप में समझा और जाना जाता था। इसी तरह तकनीक का अभाव और समाचारों की विविधता की कमी के माहौल से गुजरती उन समाचार समितियों अथवा न्यूज ब्यूरो की स्थिति की कल्पना की जा सकती है, जब समाचारपत्र तक इनकी सेवायें लेने को तैयार नहीं होते थे। न्यूज ब्यूरो को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए कूटनीतिज्ञों तथा व्यापारियों तक को ग्राहक बनाकर अपनी सेवायें उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक कायम नहीं रह पायी। कुछ ही वर्षो में जनता के विविध वर्गों के समाचार प्राप्त करने के लिए समाचारपत्रों को तब के न्यूज ब्यूरो अथवा भावी समाचार समितियों के पास पहुंचकर उनकी सेवायें लेने को बाध्य होना पड़ा।

आज हम समाचार समितियों का जो आधुनिक स्वरूप देख रहे है उसका श्रेय एक फ्रांसीसी युवक चार्ल्स आवास को दिया जाता है। चार्ल्स ने 1825 में न्यूज ब्यूरो की स्थापना कर आधुनिक समाचार एजेंसी के जनक होने का गौरव हासिल किया। चार्ल्स के न्यूज ब्यूरो से प्रशिक्षित कई अन्य युवकों ने भी अपने स्तर पर अलग से समाचार समितियों की स्थापना की और इस तरह विश्व में समाचार समितियों की श्रृंखला का विस्तार होता गया। आज ये समाचार समितियां समाचारों के भंडार से दुनिया भर के मीडिया को प्रभावित करने में सक्षम है।

विदेशों में तथा भारत में समाचार समितियों अथवा न्यूज ब्यूरो के उद्भव एवं विकास की कहानी अपने आप में अत्यंत रोचक है जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे।

16.3.1 विदेशों में समाचार समितियां

फ्रांस के चार्ल्स आवास को आधुनिक समाचार एजेंसी के जनक के रूप में जाना जाता है जिसने 1825 में फ्रांस में एक न्यूज ब्यूरो की स्थापना करके समाचार एजेंसी संगठन की नींव रखी। आवास ने कई यूरोपीय देशों की राजधानियों में वहां के संवाददाताओं को अपने न्यूज ब्यूरो से जोड़ा। यद्यपि प्रारंभ में समाचारपत्रों ने इस न्यूज ब्यूरो की सेवायें नहीं लीं लेकिन चार्ल्स आवास ने कुछ कूटनीतिज्ञों तथा व्यापारियों को अपना ग्राहक बनाकर न्यूज ब्यूरो के अस्तित्व को बनाये रखा।

एक दशक बाद फ्रांस के समाचारपत्रों ने चार्ल्स आवास के न्यूज ब्यूरो की सेवायें लेना शुरू किया तो ब्यूरो ने समाचारों के संग्रह एवं वितरण के लिए डाक तथा विशेष संवाददाताओं की सेवायें लीं। वर्ष 1837 में तार प्रणाली (सीमा फोर) का भी ब्यूरो ने उपयोग शुरू कर दिया। यूरोप के विभिन्न देशों से प्राप्त समाचारों का पेरिस के न्यूज ब्यूरो में अनुवाद तथा संपादन कर समाचारपत्रों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। धुन के धनी चार्ल्स आवास ने 1840 में पेरिस, लंदन और ब्रूसेल्स के बीच कबूतरों के माध्यम से समाचारों के आदान- प्रदान का

अभिनव प्रयोग किया। यूरोप के कुछ अन्य देशों में इस सेवा के विस्तार के साथ आवास एजेंसी की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ।

चार्ल्स आवास के ही एक सहयोगी बनाई वोल्फ ने 1849 मे वोल्फ एजेंसी की स्थापना की जो पहले स्टाक एक्सचेंज के भाव उपलब्ध कराती थी और पांच वर्ष बाद इस एजेंसी ने साधारण समाचार सेवा भी आरंभ कर दी। जिस तरह फ्रांसीसी युवक चार्ल्स आवास को आधुनिक समाचार एजेंसी के जनक होने का श्रेय दिया जा सकता है, उसी तरह एक जर्मनी युवक पाल जूलियस रायटर को समाचार एजेंसियों में नई तकनीक से उसका कलेवर बढ़ाने तथा एजेंसी को विश्वव्यापी साख देने का गौरव हासिल है।

संयोग से पाल जूलियस रायटर भी चार्ल्स आवास के न्यूज ब्यूरो से प्रशिक्षित उसका एक सहयोगी था। वह बैंक क्लर्क था और उसकी एक सोच ने आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की तार व्यवस्था को नए आयाम दिए। जर्मनी की प्रथम तार व्यवस्था का केन्द्र आचेन में था और इससे 30 मील दूरी पर वरवियर्स में फ्रांस की उत्तरी लाइनें समाप्त हो जाती थीं। वर्ष 1849 में रायटर को यह बात सूझी कि यदि आचेन तथा वरवियर्स के बीच तार व्यवस्था से समाचारों का आदान-प्रदान संभव हो जाए तो काफी आर्थिक लाभ की गुंजाइश है। रायटर ने तत्काल दोनों नगरों में अपने कार्यालय स्थापित कर बाजार के समाचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था आरम्भ कर दी। पेरिस में विशेष प्रोत्साहन के अभाव में रायटर ने लंदन से समाचारों और बाजार भाव भेजने का क्रम शुरू किया। उसने तार प्रणाली के साथ रेल सेवा का भी समाचार एकत्रित करने में उपयोग किया। इसके बावजूद लंदन के समाचारपत्रों ने रायटर की एजेंसी की उपेक्षा की।

इसी दौरान 1859 में रायटर ने फ्रांस के अपने संवाददाता से प्राप्त यह रिपोर्ट प्रसारित की जिसमें फ्रांस के नेपोलियन तृतीय द्वारा आस्ट्रिया के राजदूत से इटली में युद्ध छिडने की संभावना का उल्लेख किया गया था। 'टाइम्स' पत्र द्वारा इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को प्रकाशित करने से रायटर की समाचार समिति अप्रत्याशित रूप से प्रकाश में आ गई। इसके बाद तो रायटर की प्रेस जगत में धाक जम गई और समाचारपत्र इसके ग्राहक बनने लग गए। धीरे- धीरे रायटर ने दुनिया के विभिन्न देशों में अपने कार्यालय स्थापित किए। भारत में 1878 में रायटर ने बम्बई में अपना कार्यालय खोला।

यूरोपीय देशों में समाचार समितियों के उद्भव एवं विकास की छाया अमेरिका पर भी पड़ी और वहां भी समाचार समितियों की गतिविधियाँ आरम्भ हो गई। वर्ष 1848 में न्यूयार्क के कुछ समाचारपत्रों ने आपस मे मिलकर 'हार्बर न्यूज एसोसिएशन' का गठन किया। एसोसिएशन की नौकायें विभिन्न देशों से आने वाले जहाजों तक पहुँचकर वहां से समाचार लेकर आती और इन समाचारों को बडी तत्परता के साथ एसोसिएशन के सदस्य समाचारपत्रों को उपलब्ध करवाया जाता। दो वर्ष बाद न्यूयार्क में 1850 में एक तार समाचार एजेंसी 'जनरल न्यूज एसोसिएशन' स्थापित की गई। वर्ष 1857 में दोनों एजेंसियों के विलय से 'नेशनल न्यूयार्क एसोसिएटेड प्रेस' अस्तित्व में आ गई।

एक तरफ आवास, वोल्फ तथा रायटर एजेंसियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्य का विस्तार किया, वहीं इसके अनुसरण में विभिन्न देशों में राष्ट्रीय स्तर पर समाचार समितियों के गठन का सिलसिला आरम्भ हो गया। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर गठित समाचार समितियों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की समाचार एजेंसियों से समाचारों के आदान-प्रदान का सिलसिला शुरू किया वही अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों को बढ़ते हुए व्यय भार तथा समाचारों के संग्रह का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी सहयोग की दिशा में आगे आना पड़ा। वर्ष 1865 में यूरोप की तीनों प्रमुख एजेंसियों 'आवास, वोल्फ तथा रायटर' ने आपस में समाचारों के आदान-प्रदान के लिए संभालते हुए। अमेरिका का 'नेशनल न्यूयार्क एसोसिएटेड प्रेस' भी 1872 में इस समझौते का एक हिस्सेदार बन गया। इन चारों समितियों ने दुनिया को चार क्षेत्रों मे विभक्त कर अपने-अपने क्षेत्र में समाचारों के संकलन और वितरण का एकाधिकार प्राप्त कर लिया।

लेकिन इन चारों समाचार समितियों के बीच यह आपसी समझौता सन् 1934 तक ही चल पाया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अवसरों पर समाचार समितियों के गठन इत्यादि में काफी फेरबदल हुए। इसके विस्तार के लिए हम अन्य इकाइयों में अध्ययन करेंगे। अलबत्ता इस दौरान सरकारी नियंत्रण में समाचार समितियों के गठन का एक नया प्रयोग आरम्भ हुआ। जर्मनी, सोवियत संघ, पोलेण्ड, हंगरी, रुमानिया, चीन इत्यादि देशों में सरकारी स्तर पर समाचार एजेंसियां अस्तित्व में आयी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करीब सभी देशों में राष्ट्रीय स्तर पर समाचार समितियां अस्तित्व में आ गई।

जिस तरह यूनेस्को ने समाचार समितियों की परिभाषा को अधिकृत किया उसी प्रकार 1952 में दुनिया भर में समाचार समितियों के ढांचे और कार्य के बारे में सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार तब छः समाचार समितियों को अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समिति के रूप में मान्यता दी गई। (1) रायटर (ब्रिटेन), तास (रूस), ए.एफ.पी. (फ्रांस), ए.पी.आई, आई.एन.एस. और यू.पी. (तीनों अमेरिकी)

आज प्राय: सभी देशों में राष्ट्रीय स्तर पर एक या अधिक समाचार समितियां कार्यरत हैं। सम्पन्न और विकसित देशों की कुछ समाचार समितियों ने अपने को अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समिति के रूप में प्रतिष्ठापित कर लिया है।

16.3.2 भारत में समाचार समितियां

दुनिया के विभिन्न देशों में उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में समाचार समितियों की गतिविधियां आरम्भ हो गई थीं, लेकिन भारत इससे अछूता ही रहा। यहां बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में विधिवत रूप से समाचार समिति की स्थापना का सिलसिला आरम्भ हुआ। यद्यपि ब्रिटेन की ख्याति प्राप्त समाचार एजेंसी रायटर ने 1878 में बम्बई में अपनी एजेंसी की प्रशाखा स्थापित कर दी थी।

चार अंग्रेजी दैनिकों के मिले-जुले प्रयास से भारत में पहली समाचार समिति 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया' के रूप में अस्तित्व में आयी। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तथा प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के घटनाक्रम से समाचार समितियों का जन्म और कार्यप्रणाली

प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित रही। एक एजेंसी की जगह दूसरी एजेंसी का गठन अथवा उनका विलय तथा विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और आंचलिक स्तर पर एजेंसियों की स्थापना उनके चलने और बंद होने का सिलसिला भी जारी रहा। आजादी के बाद समाचार समितियों के कार्यकाल का एक नया दौर आरम्भ हुआ। फिर देश में आया आपातकाल का एक दौर जिसने समाचार जगत तथा समाचार समितियों के अस्तित्व को पूरी तरह झकोर दिया। हिंदी और अंग्रेजी क्षेत्र में कार्यरत देश की चार समाचार समितियों का आपस में विलय कर नई समाचार समिति 'समाचार' के रूप में गठित की गई।

देश में आपातकाल की समाप्ति और केन्द्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में सत्तारूढ़ जनता पार्टी की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के वायदे के अनुरूप चारों समाचार समितियों के अस्तित्व को पुन: कायम कर दिया। बाद में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं की दो समाचार समितियाँ मृत प्राय: हो गई तथा अंग्रेजी की दो समाचार समितियों ने थोड़े अंतराल वितरण का कार्य आरम्भ किया। भारत में समितियों के उद्भव और विकास से जुड़े घटनाक्रम का अधिक विस्तार से हम अगले पृष्ठों पर अध्ययन करेंगे।

16.4 भारत में समाचार समितियों का विकास

इस इकाई के आरम्भिक पृष्ठों में हम विश्व में समाचार समितियों के उद्भव और विकास की यात्रा से परिचित हो चुके हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम भारत में समितियों के बारे में मोटे रूप में जानकारी से अवगत हो चुके है।

अगले पृष्ठों में हम भारत में समाचार समितियों की विकास यात्रा को चार खण्डों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। इससे हमे 1947 से पूर्व आजादी से पहले भारत में समाचार समितियों के गठन तथा उनकी कार्यप्रणाली से अवगत होने का अवसर मिलेगा। इसी संदर्भ में हम आजादी के बाद समाचार समितियों के संगठन के संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे। तीसरे खंड में आपातकाल के दौरान समितियों की स्थिति का अध्ययन करते हुए चौथे खंड मे वर्तमान में कार्यरत समाचार समितियों के स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे।

निःसंदेह दुनिया के अन्य देशों में समाचार समितियों के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया में जो अभिनव प्रयोग किए गए अथवा जो अनुभव साक्षी बने वह समाचार समितियों के विश्व इतिहास की साक्षी है। विश्व में प्रारम्भिक दौर में गठित समाचार समितियों की क्रमिक विकास यात्रा के परिप्रेक्ष्य में भारत में समाचार समितियों के अस्तित्व में आने में वैसे रोमांचक अनुभवों कर एहसास एक मायने में संभव नहीं था लेकिन भारतीय परिस्थितियों में समाचार समितियों के जन्म और उनके संचालन से जुडे अनुभवों की कथा भी अपने आप में काफी दिलचस्प है।

स्वयं इस पाठ के लेखक को हिन्दी भाषी समाचार समिति 'समाचार भारती' और 'हिन्दुस्तान समाचार' व आपातकाल में गठित 'समाचार' के साथ वर्तमान में यूनीवार्ता, यू.एन.आई. में कार्य करने का अवसर मिला हुआ है। जोधपुर में हिन्दुस्तान समाचार के ब्यूरो प्रमुख के रूप में 1979 में अप्रत्याशित बाढ़ के समय करीब एक पखवाड़े तक टेलीफोन, टेलीप्रिन्टर लाइनें ठप रहने और यहां तक बिजली सप्लाई बंद होने की सूरत में अतिवृष्टि, एक बाढ़ से सबंधित समाचारों को हाथ से लिखकर कार्बन कॉपी द्वारा अपने ग्राहक समाचारपत्रों को

उपलब्ध कराने का रोमांचक अनुभव हासिल हुआ। जयपुर में भी 'हिन्दुस्तान समाचार' से जुड़े लोगों को ऐसे अनेक अनुभवों से गुजरना पड़ा है। यह ठीक है कि आज समाचार समितियों की खुद की स्थिति, कार्य प्रणाली, संसाधन तथा परिवर्तित परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ चुका है, लेकिन आरम्भिक दौर के संघर्ष पूर्ण काल की अपनी अहमियत रही है।

देशभर में काफी संख्या में ऐसे पत्रकार रहे हैं जिन्होंने समाचार एजेंसियों के विकास में एक तपस्वी की तरह अपने दायित्व का निर्वाह किया और एजेंसियों की गरिमा को प्रतिष्ठापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

16.4.1 आजादी से पूर्व समाचार समितियां

हम पिछले पृष्ठों में यह पढ़ चुके हैं कि भारत में सर्वप्रथम 'रायटर' ने 1878 में बम्बई में अपनी प्रशाखा स्थापित कर समाचार समिति के अस्तित्व का एहसास करा दिया था, लेकिन स्वतंत्र रूप से भारत में समाचार समिति सन् 1905 में अस्तित्व में आ सकी।

तब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। चार अंग्रेजी समाचारपत्रों स्टेट्समैन, पायनियर, इंगलिश मैन और इंडियन डेली न्यूज ने आपसी प्रतिस्पर्धा और वक्त के हालात को देखते हुए एक समाचार समिति के गठन की आवश्यकता महसूस की। इस कार्य में इन्हें एक भारतीय पत्रकार के. सी. राय का महत्वपूर्ण सहयोग मिला। श्री राय भारत में अनेक देशी और विदेशी समाचारपत्रों के प्रतिनिधि के बतौर कार्यरत थे। इनमें 'पायनियर' अखबार की हैंस मैन के व्यक्तित्व और कार्यक्षमता की बदौलत अन्य समाचारपत्रों से प्रतिस्पर्धा में अग्रणी रहता था। इसलिए शेष तीनों समाचारपत्रों ने श्री के.सी. राय के सहयोग से 1905 में एसोसिऐटड प्रेस ऑफ इंडिया (ए.पी.आई.) नामक समाचार समिति स्थापित करने के लिए पहल की।

एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ एक बाधा भी उत्पन्न हो गई। तीनों अंग्रेजी समाचारपत्रों, ने श्री के.सी. राय की महत्ता को कम करते हुए उन्हें एजेन्सी के निदेशक मंडल में शामिल नहीं किया। इस पर श्री राय नवगठित एजेंसी से अलग हो गए और उन्होंने अपना अलग से न्यूज ब्यूरो खोल लिया। 'पायनियर' अखबार तो इस ताक में था। उसने राय के न्यूज ब्यूरो से सहयोग आरम्भ कर दिया। इस बदली हुई परिस्थिति में अन्य तीनों समाचारपत्रों के संपादकों ने श्री राय को ए.पी.आई. के निदेशक मंडल में शामिल करने की बात मान ली और श्री राय पुन: इसी एजेंसी के साथ जुड़ गये। श्री राय के प्रयासों से ए.पी.आई. का दायरा व्यापक होता गया। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में ए.पी.आई. ने अपनी शाखायें स्थापित की। श्री के.सी. राय की पहल पर भारत सरकार ने भारतीय तार कानून में कतिपय सुधारों के साथ रजिस्टर्ड संवाद समितियों को कुछ सुविधायें उपलब्ध कर पाई। इन सभी प्रयासों के बावजूद यह एजेंसी आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं बन पाई और ए.पी.आई. के अस्तित्व में आने के एक दशक बाद 1915 में रायटर ने इसका अधिग्रहण कर लिया।

हम पिछले पृष्ठों से इस तथ्य से अवगत हो चुके है कि रायटर सहित चार अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों ने 1865 में आपस में समझौता करके विश्व को चार कार्यक्षेत्रों में विभक्त कर लिया था। ब्रिटेन की समाचार समिति होने के कारण रायटर के प्रभुत्व क्षेत्र भारत में

शामिल होना स्वाभाविक था। इसी कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सहित भारत के समाचारों का संकलन और प्रेषण एक दम घोटू वातावरण में रायटर तथा सरकारी नियंत्रण में चलता रहा। वर्ष 1934 में चारों अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों का आपसी समझौता टूट गया और अब स्वतंत्र रूप से अन्य एजेंसिया भी भारत की और ध्यान देने लगीं।

रायटर द्वारा 1915 में ए.पी.आई. के अधिग्रहण के बाद जब के.सी. राय की पुन: उपेक्षा की गई तो उन्होने 'इंडियन न्यूज एजेंसी' का गठन किया जो 1947 तक छोटे समाचारपत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी माध्यम के रूप में अपनी सेवायें उपलब्ध कराती रही। इधर वर्ष 1946 में ए.पी.आई. को भारत में लिमिटेड कंपनी का स्वरूप प्रदान किया गया।

रायटर तथा ए.पी.आई. की ब्रिटिश साम्राज्य वाद समर्थक नीति से परेशान होकर भारतीय समाचारपत्र स्वतंत्र समाचार संकलन की आवश्यकता अनुभव करने लगे। इन्ही प्रयासों के तहत भारत के एक प्रमुख पत्रकार श्री सदानंद ने तीसरे दशक में फ्री प्रेस एजेंसी की सेवायें लेने पर अपनी सेवायें बंद करने की धमकी देकर नवगठित फ्री प्रेस एजेंसी के विकास को अवरुद्ध कर दिया। श्री सदानंद ने हिम्मत नहीं हारी और फ्री प्रेस जर्नल समाचारपत्र के प्रकाशन से इस एजेंसी के अस्तित्व को बनाये रखा। लेकिन सरकार के दमनात्मक रवैये के कारण अंत में उन्हें एजेंसी बंद करनी पड़ी। इसी श्रृंखला में कलकत्ता में श्री.बी.सेनगुप्ता ने 1933 में यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना की। कलकत्ता के बाद लाहौर में इसका कार्यालय खोला गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सबंधित समाचारों को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में यू.पी.आई. का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसीलिए 1947 में भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक बिना टेलीप्रिंटर सेवा माध्यम से भी यह ब्रिटिश साम्राज्यवादी एजेंसी ए.पी.आई. की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में अपना विशेष स्थान बना चुकी थी। इस समय तक देश में इसके लगभग दो दर्जन कार्यालय स्थापित हो चुके थे और एक सौ से अधिक ग्राहक पत्र इस एजेंसी की सेवायें ले रहे थे।

16.4.2 आजादी के बाद समाचार समितियाँ

भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश दासता से मुक्त होकर स्वतंत्रता हासिल की थी और पाकिस्तान के रूप में देश के विभाजन को नियति के रूप में स्वीकार किया था। स्वाभविक रूप से यह उथल-पुथल और संक्रमण का दौर था और सभी क्षेत्र इससे किसी न किसी रूप में प्रभावित थे।

पिछले पृष्ठों में हम इस तथ्य से अवगत हो चुके हैं कि आजादी मिलने के समय तक ब्रिटिश साम्राज्यवादी समाचार एजेंसी ए.पी.आई. के मुकाबले भारतीय पत्रकारों के स्वामित्व और प्रबंधन में यू.पी.आई. अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुकी थी। समाचार जगत की दुनिया की यह स्थिति थी कि अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समिति रायटर को भारत में विदेशी समाचार उपलब्ध कराने के मामले में एकाधिकार हासिल था। और इसी रायटर पर आश्रित ए.पी.आई. का एक तरह से देश के अंदरूनी समाचारों के संकलन और वितरण में लगभग प्रभुत्व सा बना हुआ था। वर्ष 1934 में चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार समितियों का आपसी समझौता खत्म होने के बाद दो

अमरीकी समाचार समितियां भी भारत में विदेशी समाचार प्रेषण व्यवस्था से जुड़ने के साथ देश में आंतरिक समाचारों के संकलन और प्रेषण की योजनाएं बनाने में जुटी थी।

इस माहौल को देखते हुए भारतीय समाचार जगत के पूरी तरह से विदेशी प्रभाव में चले जाने की संभावना का खतरा बरकरार था। इन परिस्थितियों तथा किसी आसन्न संकट का मुकाबला करने के लिए भारतीय प्रेस जगत से जुडे लोगों ने रणनीति बनाई। इसके तहत सर्वप्रथम रायटर के चंगुल से मुक्त ए.पी.आई. के नाम से एक नई समाचार समिति का रूप दिया गया। इसी के समानान्तर कार्यरत समाचार समिति यू.पी.आई. को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया। इसके साथ-साथ विदेशी समाचार समितियों द्वारा भारत के समाचारपत्रों को सीधी समाचार सेवा उपलब्ध कराने के बारे में कतिपय प्रतिबंध भी निरूपित किए गए ताकि उनके एकाधिकार के प्रभाव को कुछ हद तक हल्का या कम किया जा सके।

समाचारपत्रों का सहयोग लेकर गठित 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' (पी.टी.आई.) ने 60 हजार पौंड की धनराशि देकर रायटर से ए.पी.आई. को खरीद लिया। इसके साथ ही पी.टी.आई. को रायटर का एक हिस्सेदार और इस रूप में 'रायटर ट्रस्ट' का भी सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही यू.पी.आई. को भी मजबूत बनाने और प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। अब तक यह समाचार समिति बिना टेलीप्रिन्टर सेवा के चलाई जा रही थी। देश के प्रमुख केन्द्रों में इसके कार्यालय स्थापित करने के साथ मई 1948 में इसकी टेलीप्रिन्टर सेवा शुरू कर दी गई। प्रारम्भ में निजी स्वामित्य संस्था के रूप में आरम्भ यू.पी.आई. लिमिटेड कंपनी के तहत 11 सदस्यीय निदेशक मंडल के नियंत्रण में चली। विश्व समाचारों के लिए इसने 1951 में ए.एफ.पी. से अनुबंध किया। लेकिन पी.टी.आई. की प्रतिस्पर्धा में यू.पी.आई. लम्बे समय तक टिक नही पायी और 1958 में वित्तीय संसाधनों के अभाव में बंद करनी पडी।

यह विडम्बना ही रही कि आजादी से पहले साम्राज्यवादी प्रभुत्व वाली समाचार समिति ए.पी.आई. से टक्कर लेकर राष्ट्रीय समाचार पत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम यू.पी.आई. स्वतंत्रता प्राप्ति के एक दशक बाद ही दम तोड बैठी। यू.पी.आई. के साथ ही भारतीय समाचार समितियों के इतिहास का एक गौरवपूर्ण एवं महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। उधर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी समाचारपत्रों और समाचार समितियों को समुचित प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की दिशा में सार्थक पहल की। इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा संचार सुविधाऐं उपलब्ध कराने से संबंधित नई नीति की उद्घोषणा की गई। इस नीति के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि केवल भारतीयों के स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन वाले प्रमाणिक भारतीय प्रेस को रियायती दरों पर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। समाचार समितियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी कुछ सिद्धांत निरूपित किए गए जिनका विवरण इस प्रकार था-

1. इसका प्रमुख ध्येय तथा उद्देश्य प्रामाणिक एवं निष्पक्ष और जहां तक संभव हो सुगठित रूप में संवाद प्रेषण करना हो तथा संवादों के संकलन व वितरण में पत्रकारिता के आदर्शों के स्वीकृत सिद्धांतों से वे मेल खाते हों।

2. पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसायटी या पब्लिक लिमिटेड के द्वारा इसका प्रबंध हो। यह किसी भी व्यापारिक एवं उद्योग अथवा किसी समाचारपत्र का दुमछल्ला न हो और न ही किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हो।

3. उसकी समाचार सेवाएं समस्त समाचारपत्रों, आकाशवाणी केन्द्रों तथा सूचना सेवा को उपयुक्त भुगतान या भुगतान के समकक्ष आदान-प्रदान के आधार पर प्राप्त हो।

आजादी के तुरंत बाद ही 1948 में बम्बई में भारतीय भाषाओं की प्रथम समाचार समिति के रूप मे 'हिन्दुस्तान समाचार' का गठन किया गया। यू.पी.आई. से जुडे पत्रकार एस.एस. आप्टे ने क्षेत्रीय एवं ग्रामीण जगत से सबंधित समाचारों को उजागर करने तथा समाचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस समाचार समिति की स्थापना के लिए पहल की। आरम्भ में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में आरम्भ करके इसे समिति के माध्यम से संचालित किया जाने लगा। देवनागरी दूरमुद्रक (टेलीप्रिन्टर) का देश में सर्वप्रथम उपयोग करने वाली इस बहुभाषी संवाद समिति ने हिन्दी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगला, असमी, मलयालम, उड़िया, कन्नड और तेलगु, पंजाबी आदि भाषाओं में भी समाचारपत्रों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई। गुजराती तथा मराठी भाषा समाचारपत्रों को दूरमुद्रक के माध्यम से समाचार सेवा सुलभ करवायी गई। इसके प्रधान संपादक और जनरल मैनेजर बालेश्वर अग्रवाल के नेतृत्व में इस संस्था ने आंचलिक समाचारों के संकलन और प्रसारण में अपनी विशेष ख्याति अर्जित की। हिन्दुस्तान समाचार ने भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के उपयोग के उद्देश्य से वर्ष 1968 में प्रसंग लेख से 'युगवार्ता' की शुरूआत की। इसी तरह हिन्दुस्तान समाचार वार्षिकी का प्रकाशन तथा समाचारपत्र कतरन सेवा की भी शुरूआत की गई।

वर्ष 1958 में यू.पी.आई. के बंद होने तथा समाचारपत्र जगत में पी.टीआई. के एकाधिकार की संभवना के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिस्पर्धा समाचार समिति की आवश्यकता महसूस की गई। प्रथम प्रेस आयोग ने भी अपनी रिपार्ट में देश में समाचारों के संकलन और वितरण व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की जरूरत को अनुभव करते हुए कम से कम दो समाचार समितियों के गठन पर जोर दिया था। इस दिशा में 1959 में लगभग एक साथ प्रयास आरम्भ हुए। इंडियन एक्सप्रेस समाचारपत्र श्रृंखला के स्वामी श्री रामनाथ गोयनका ने 'इंडियन न्यूज सर्विस' (आई.एन.एस.) नामक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया और करीब 20 लाख रूपये की पूंजी से देश भर मे एजेंसी के कार्यालयों का जाल बिछाया। वर्ष 1961 में इस एजेंसी आई.एन.एस. ने अपना कामकाज आरम्भ किया, लेकिन कुछ महिनों पश्चात इसे बंद कर देना पड़ा।

पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ.बी.सी. राय की पहल पर कलकत्ता में जनवरी 1959 में देश के कुछ प्रमुख समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ पत्रकारों की बैठक में पी.टी.आई. की प्रतिस्पर्धा में एक नई समाचार समिति स्थापित करने का निर्णय लिया गया। नई एजेंसी 10 नवम्बर, 1959 को पंजीकृत हुई और 21 मार्च, 1961 को यू.एन.आई. यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ने अपना कार्य शुरू किया। पी.टी.आई. के भूतपूर्व जनरल मैनेजर श्री डी.पी.बाघले इसके प्रमुख बनाए गए। यह एजेंसी तेजी से आगे बढ़ती गई। हिन्दुस्तान समाचार

में कार्यरत श्री धर्मवीर गांधी ने अक्टूबर 1966 में समाचार भारती नाम से नई हिंदी समाचार समिति आरम्भ की। लाला फिरोजचंद के सहयोग से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप मे स्थापित समाचार भारती की 90 प्रतिशत हिस्सा पूंजी उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट् कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, गुजरात इत्यादि राज्य सरकारों ने जुटाई।

पी.टी.आई. तथा यू.एन.आई. अंग्रेजी में समाचार सेवाएं उपलब्ध कराती थीं। इससे हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को अनुवाद तथा इससे पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक भार को भी सहना पडता था। इसके साथ ही हिंदी अथवा भारतीय भाषा में आयोजित समारोह या कार्यक्रम का पहले अंग्रेजी में समाचार बनाना और पुन: उसके हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं में अनुवाद की प्रक्रिया से कई समाचारों की मौलिकता ही नष्ट हो जाती थी। इसलिए धीरे- धीरे भाषायी समाचारपत्र हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती की सेवाएं लेने लगे। क्षेत्रीय समाचारों का संकलन इन समितियों की विशेषता थी। समाचारों के अलावा देश की प्रमुख राजनीतिक गतिविधियों एवं घटनाक्रम से सबंधित प्रसंग लेख सेवा के लिए फीचर एजेंसियों की भी शुरुआत की गई। इन प्रयासों से समाचारपत्रों को सामयिक लेख, राजनीतिक डायरी, रिपोर्ट आदि उपलब्ध होने लगे। यह संदर्भ सामग्री हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध करायी जाने लगी। वर्ष 1959 में इंडिया न्यूज़ एण्ड फीचर एजेंसी 'इनफा' की स्थापना हुई। इस एजेंसी ने देश में विभिन्न स्थानों पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए। इसी तरह 'पब्लिकेशन सिंडीकेट' तथा न्यूज़ फीचर्स ऑफ इंडिया फीचर एजेंसी भी स्थापित हुई और यह सिलसिला आगे बढता गया।

इनके अलावा आजादी के बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली मे अन्य कुछ विदेशी न्यूज एजेंसी ने भी अपने न्यूज ब्यूरो कायम किए। विभिन्न देशों के संवाददाता-पत्रकार भी भारत में रहकर कार्य करते ओ रहे हैं।

16.4.3 आपातकाल में समाचार समितियां

समाचार समितियों के बारे में हम आजादी से पहले और बाद के दौर से अवगत हो चुके हैं। समितियों के वर्तमान दौर पर चर्चा करने से पहले आपातकाल के दौरान समाचार समितियों की स्थिति के बारे में भी अध्ययन जरूरी है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल को एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। यहां आपातकाल के औचित्य को लेकर किसी तरह का वाद-विवाद हमारा विषय नहीं है बल्कि तथ्य परक संदर्भ में इसका उल्लेख करेंगे।

तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में देश में 26 जून, 1975 को आपातकाल लागू करने के घोषणा की गई थी। सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्यों के अलावा विपक्ष से जुड़े राजनेताओं की बड़े पैमाने पर धरपकड़ करके उन्हें जेलों में बंद किया गया। समाचारपत्रों पर सेंसरशिप को लागू किया गया। देश मे आपातकाल लागू किए जाने के दौरान ही चार प्रमुख समाचार एजेंसियों को आपस में मिलाकर 'समाचार' एजेंसी के नाम से कार्य शुरू किया गया।

यह तो हम जान चुके हैं कि अंग्रेजी भाषा में समाचार संकलन तथा प्रेषण एवं वितरण का कार्य प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पी.टी.आई.) तथा युनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यू.एन.आई.) कर रही थी। इन दोनों न्यूज़ एजेंसियों के विदेशी समाचारों के लिए अलग अलग अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों से अनुबंधित थे। आर्थिक दृष्टि से यह दोनों समाचार समितियाँ सक्षम थी।

इसी तरह हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार सेवा उपलब्ध कराने का काम हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती कर रही थीं। यद्‌यपि दोनों समाचार समितियां आर्थिक दृष्टि से इतनी अधिक सक्षम नहीं थीं, फिर भी हिंदी तथा भाषायी समाचारपत्रों को विशेषकर (आंचलिक) समाचारों की विशेषता के साथ ये समितियां समाचार सेवा उपलब्ध करा रही थी। विदेशी समाचारों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी समाचार समितियों से अनुबंध करके समाचार सेवा का वित्तीय भार अठाना इन भरतीय समितियों के बूते के बाहर की बात थी। खेल सहित कई अन्य क्षेत्रों के समाचार समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं करवा पाने के कारण हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती की समाचार सेवा को पूर्ण सेवा का दर्जा नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद क्षेत्रीय समाचारपत्रों के लिए इन समाचार समितियों की उपादेयता थी। कई छोटे ग्राहक पत्र तो पूरी तरह से इन समितियों पर निर्भर थे। हिन्दुस्तान समाचार ने पड़ौसी देशों के समाचारों के लिए नेपाल में अपना कार्यालय खोलने की योजना बनाई। समाचार भारती भी इसी तरह के प्रयासों में जुटी थी। आपातकाल के दौरान केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से चारों समाचार समितियों पी.टी.आई., यू.एन.आई., हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती के प्रबंधक मंडल को नई समाचार समिति 'समाचार' के गठन के लिए बाध्य किया गया।

इसी प्रक्रिया में नई समाचार समिति 'समाचार' को दो प्रमुख हिस्सों में विभक्त किया गया। इसका एक भाग अंग्रेजी और दूसरा भाग हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं से सम्बंधित था। इसके लिए अलग-अलग कार्यालयों की व्यवस्था की गई। सुविधानुसार पी.टी.आई. अथवा यू.एन.आई. में से किसी एक के कार्यालय में अंग्रेजी भाषा में समाचार वितरण की व्यवस्था की गई। इसी तरह हिंदी भाषा में समाचार संकलन और वितरण का कार्य हिन्दुस्तान समाचार या समाचार भारती के कार्यालय से संचालित किया जाने लगा। इस तरह आपातकाल के दौरान देश में 'समाचार' नामक एकमात्र समाचार समिति ही समाचारपत्रों को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में समाचार सेवा उपलब्ध करा रही थी। चूंकि समाचार समिति का संचालन एक तरह से सरकारी नियंत्रण में हो रहा था इसलिए समाचारों की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक था। उस समय की सत्ता और शासन के हितों को ध्यान में रखना लाजिमी था। आपातकाल के बाद के वर्षो में कई चौंकाने वाले तथ्य उभरकर सामने आये कि किस तरह समाचार समिति का व्यक्ति पूजा और निहित स्वार्थो के लिए खुलकर प्रयोग किया गया। यहां तक कि समाचारों के तथ्यों को अनदेखा किया गया, उनकी पवित्रता नष्ट हो गई। 'समाचार' के गठन के साथ इसके अंग्रेजी और हिंदी (अथवा भाषायी) खंड में सत्ता में बैठे लोगों ने अपने हिसाब से नियुक्तियां करवायीं। आपातकाल का दौर खत्म होने तथा 1977 में पहली बार केन्द्र में गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। जनता पार्टी सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र के अनुरूप 'समाचार' समिति को विभाजित कर फिर से चारों समाचार समितियों को अलग-अलग अपना कार्य करने का अवसर प्रदान किया।

16.4.4 वर्तमान में समाचार समितियां

आपातकाल के बाद पुन: चारों समाचार समितियां अपने मूल अस्तित्व में आ गई। लेकिन इनमें दो भाषायी समाचार समितियां हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती आने वाले वर्षो में धीरे- धीरे बंद होती चली गई। जैसाकि हम पहले जान चुके हैं कि समाचार के गठन के समय बड़ी संख्या में समाचार समिति में भरती की गई थी। चारों समितियों के अलग-अलग होने पर नई भरती से जुडे लोगों को इस बात की छूट दी गई कि वे अपनी इच्छा के अनुसार अंग्रेजी में पी.टी.आई. या यू.एन.आई. तथा हिंदी में हिन्दुस्तान समाचार या समाचार भारती में से किसी एक एजेंसी के साथ जुड़ सकते हैं।

हिंदी खंड में नई भरती के अधिकतर लोगों ने हिन्दुस्तान समाचार में शामिल होना अधिक मुनासिब समझा। इस कारण हिन्दुस्तान समाचार में ओवर स्टाफिंग के हालात बन गए। अन्य कई कारणों सहित इस समाचार समिति के वित्तीय संसाधनों में कमी आती चली गई और धीरे- धीरे हिन्दुस्तान समाचार के कार्य का दायरा सिकुड़ता चला गया और वर्ष 1983 -84 आते-आते इसकी गतिविधियां लगभग ठप हो गई। समिति से जुड़े पत्रकार काम की तलाश में बिखर गए और यह समिति नाममात्र की संस्था रह गई। यद्‌यपि इस नाम से केन्द्रीय स्तर पर अभी कोई समाचार समिति सक्रिय नहीं है लेकिन कुछ राज्यों में इससे जुडे लोग छोटे मोटे रूप में इस समिति के नाम से स्थानीय पत्रों को समाचार सेवा दे रहे हैं। समाचार भारती का भी कमोबेश यही हाल हुआ और यह समिति भी इतिहास का पन्ना रह गई। वर्तमान में देश में दो प्रमुख समाचार समितियां पी.टी.आई. तथा यू.एन.आई. कार्यरत हैं। इनमें पी.टी.आई. पुरानी समाचार समिति है। हम पूर्व में यह जान चुके हैं कि एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में परिवर्तित किया गया। भारतीय समाचारपत्रों के समूह ने इस समिति के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बारे मे इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसायटी आई.ई.एन.एस. से भी बातचीत की गई। तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए पी.टी.आई. के गठन का मार्ग प्रशस्त किया तथा विदेशी एजेंसी रायटर के मनसूबे को सफल नहीं होने दिया। इन समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप 27 अगस्त, 1947 को पी.टी.आई. की स्थापना हुई और एक फरवरी, 1949 को इस समिति ने विधिवत् रूप से अपनी सेवाये आरंभ की। केन्द्र सरकार के स्तर पर भी इस समिति के संचालन में सक्रिय सहयोग दिया गया। पी.टी.आई. ने 1948 में रायटर से उसकी शर्तो पर समझौता करके समाचार संकलन के लिए काहिरा से सिंगापुर तक का अधिकार क्षेत्र प्राप्त कर लिया। तीन वर्ष बाद पी.टी.आई. ने विदेशी समाचारों की खरीद और अन्तर्देशीय समाचारों की बिक्री के उद्देश्य से 'रायटर' से एक सादा समझौता करके पहली बार भारतीय समिति को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का गौरव दिलाया।

भारत की सबसे पुरानी और बड़ी समाचार समिति के रूप में पी.टी.आई. का स्वामित्व समाचारपत्रों और उनके समूह से संबंधित है। इन समाचारपत्रों का समिति की सेवाएं लेना अनिवार्य है लेकिन कभी किसी एक समाचारपत्र समूह अथवा विभाग के अन्तर्गत समिति का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होने की व्यवस्था समिति के नियमों में निहित है। 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ

इंडिया' को पंजीकृत कार्यालय मुम्बई में है तथा नई दिल्ली में पार्लियामेन्ट स्ट्रीट पर इसका विशाल भवन बना हुआ है। अंग्रेजी और हिंदी में अपनी समाचार सेवा उपलब्ध कराने वाली पी.टी.आई. आन लाइन फोटो सेवा, ग्राफिक्स, स्क्रीन आधारित न्यूज एजेन्सी तथा स्टाकस स्कैन, डाटा इंडिया, फीचर्स, विज्ञान सेवा तथा आर्थिक सेवा भी वितरित करती है। अब इंटरनेट पर भी पी.टी.आई. को सेवा उपलब्ध है। इसका पता है- http//www.pti.news.com.

भारत सहित विभिन्न देशों में पी.टी.आई. के प्रादेशिक कार्यालय, विदेशी ब्यूरो तथा संवाददाताओं के माध्यम से समाचारों के संकलन तथा उनके वितरण की व्यवस्था है। विदेशी समाचारों के बारे में पहले पी.टी.आई. का रायटर तथा ए.एफ.पी. से समझौता था। पिछले वर्षो (1998)से पी.टी.आई. ने रायटर के स्थान पर 'एसोसिएटड प्रेस' (ए.पी.) से विदेशी समाचारों के लिए अनुबंध किया है।

गुट निरपेक्ष देशों के समाचार पूल तथा एशिया प्रशांत समाचार एजेंसी संगठन में भी पी.टी.आई. की प्रमुख हिस्सेदारी है। पी.टी.आई. ने अंग्रेजी के बाद वर्ष 1986 में भाषा नाम से अपनी हिंदी समाचार सेवा आरम्भ की है। आजादी के बाद जब प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया अस्तित्व में आयी और एक दशक बाद यू.पी.आई. बंद हो गई तो समाचार क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से दूसरी समाचार समिति की आवश्यकता के मद्देनजर यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यू.एन.आई) की स्थापना की गई। एक कंपनी के रूप में इसका पंजीकरण 10 नवम्बर, 1959 को हुआ तथा 21 मार्च, 1961 से इसने विधिवत् रूप से समाचार सेवा आरम्भ कर दी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। इस कंपनी के नियमों में भी यह स्पष्ट प्रावधान रखा गया कि कोई भी हिस्सा अथवा हिस्से भारतीय संघ में प्रकाशित समाचारपत्र अथवा पत्रों के मालिक अथवा मालिकों को ही बेचे जा सकेंगे और हस्तांतरित किए जा सकेंगे।

एशिया की सबसे बड़ी समाचार एजेन्सियों में से एक यू.एन.आई. ने मई 1982 में एक पूर्ण भारतीय भाषा समाचार एजेंसी के रूप में हिंदी में यूनीवार्ता के नाम से कार्य शुरू किया। यह वह समय था जब दो भाषीय समितियां 'हिन्दुस्तान समाचार' और 'समाचार भारती' अपने अस्तित्व के लिए असफल संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। चूंकि यूनीवार्ता ने दोनों बड़ी अंग्रेजी समाचार समितियों में हिंदी भाषा में समाचार सेवा शुरू करने की पहल की थी और यू.एन.आई. का सम्पन्न और व्यापक नेटवर्क इसका प्रमुख आधार था, इसलिए यूनीवार्ता को ग्राहक समाचारपत्रों को जोड़ने में अधिक परेशानी नहीं आयी। स्थानीय तथा आंचलिक समाचारपत्रों को अब एक एजेंसी से पूर्ण समाचार सेवा सुलभ होने लगी थी। यूनीवार्ता ने एक दशक बाद अन्य भारतीय भाषाओं में से उर्दू में समाचार सेवा की भी शुरूआत कर दी। टेलीप्रिन्टर के जरिए उर्दू समाचार भेजने का यह अनूठा प्रयोग था। केन्द्र सरकार ने भी इस सेवा को प्रोत्साहन करने के लिए वित्तीय सहायता दी।

पी.टी.आई. की तरह यू.एन.आई. भी विदेशी समाचार समितियों से समाचारों के आदान-प्रदान के लिए अनुबंध करती है। यू.एन.आई. ने अब ऐसोसिएटेड प्रेस के स्थान पर रायटर से यह अनुबंध किया है। अनेक देशों में यू.एन.आई. के कार्यालय, न्यूज ब्यूरो तथा संवाददाता कार्यरत हैं देश में भी क्षेत्रीय स्तर पर इसके आंचलिक एवं संभागीय स्तर पर भी कार्यालय

स्थापित हैं। यह समिति की टी.वी. स्कैन समाचार सेवा, फोटो सेवा, बैंक ग्राउण्डर ग्राफिक आदि सेवायें उपलब्ध कराती है। अब इंटरनेट पर भी यूएनआई की सेवा उपलब्ध है जिसका पता है- uni.net@del.2.vsnl.net.in

वर्ष 1976 में गुट निरपेक्ष देशों में कार्यरत समाचार एजेंसियों के मध्य समाचारों के आदान प्रदान के उद्देश्य से गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल (एन.ए.एन.ए.पी.)की स्थापना की गई। पूरे विश्व में कार्यरत यह पूल चार महाद्वीपों एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमरीका को अपने कार्यक्षेत्र में समेटे हुए है। इस पूल के समाचार अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अरबी चार भाषाओं में प्रेषित करने की व्यवस्था है। भारत को वर्ष 1976 से 1979 तक इस पूल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एशिया नेट में भागीदार है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र की 12 समाचार एजेंसियों के मध्य निगम और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों के वितरण के लिए एक सरकारी व्यवस्था के रूप में काम कर रही है। पी.टी.आई. अपनी स्थापना के पचास वर्ष पूरे कर चुकी है। इस अवसर पर राष्ट्रपति डॉ के.आर. नारायणन ने 5 मार्च, 1999 को पन्द्रह रूपये मूल्य का विशेष बहुरंगी तथा बहुभाषी डाक टिकट जारी किया। भारत की दो प्रमुख समाचार समितियों के अलावा स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर भी कई समाचार एवं फीचर्स एजेंसी कार्यरत हैं जिनकी सेवाओं का उपयोग स्थानीय एवं कुछ प्रादेशिक स्तर के समाचारपत्र करते हैं।

16.5 समाचार समितियों की कार्यप्रणाली

अब तक हम समाचार समितियों और उनके उद्देश्य तथा इतिहास एवं विकास यात्रा से अवगत हो चुके हैं। हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि समाचार समितियां जिनका समाचार जगत में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान है, आखिर उनकी कार्यप्रणाली क्या है, वे किस तरह काम करती हैं। हम यह जान चुके हैं कि समाचार समितियां अपना कोई समाचारपत्र प्रकाशित नहीं करती है। समाचार समितियां अपने ग्राहक समाचारपत्रों को समाचार सेवा उपलब्ध कराती है। समाचारपत्रों से इधर आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र, विश्वविद्यालय और राज्य सरकारें, राजनेता, मंत्री, राजनीतिक दल, वाणिज्यिक औद्योगिक संगठन, होटल, निगम इत्यादि भी समाचार समितियों की ग्राहक सूची में शामिल हैं।

देश और विदेश में कार्यरत संवाददाताओं, स्ट्रिंगरों तथा कार्यालयों एवं न्यूज ब्यूरो का व्यापकनेटवर्क समाचारों के संकलन का सशक्त माध्यम है। इन संकलित समाचारों को संपादित कर उन्हें वितरित करने की पुख्ता व्यवस्था समाचार समितियों की विशेषता है जिससे उनकी साख जुड़ी होती है। इसलिए कहा जाता है कि समाचार समितियों से जारी समाचार या कोई स्टोरी उस तीर के समान है जो एक बार चलने के बाद वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समाचार समिति से जारी किए जाने वाले समाचारों के प्रति विशेष सतर्कता बरती जाती है। एजेंसी से जारी होने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार को तत्काल फ्लैश-फ्लैश के रूप में भेजा जाता है। टेलीप्रिन्टर पर फ्लैश समाचार इस तरह प्रसारित किया जाता है कि ग्राहक समाचारपत्र के कार्यालय अथवा अन्य उपभोक्ता का ध्यान उस पर जाता है और वे उस अत्यंत महत्व के समाचार से तत्काल अवगत हो जाते हैं।

समाचार समिति तथा समाचारपत्र के कार्यालयों में कार्यरत पत्रकारों को समाचार तो देने होते हैं, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली में कुछ विशेष अन्तर होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि समाचार समिति के पत्रकार को समय की गति के साथ ही नहीं बल्कि पहले दौड़ना पड़ता है। समाचार समिति को अन्य समिति से भी प्रतिस्पर्धा करनी होती है। इसलिए किसी घटनाचक्र को लेकर समाचार समिति द्वारा प्रेषित समाचार रनिंग कमेन्ट्री के रूप में होते हैं।

उदाहरण के तौर पर किसी शहर में कोई सांप्रदायिक दंगा हो गया अथवा किसी बड़े राजनेता का देहावसान हो गया अथवा किसी मंत्री, मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो वह समाचार किसी समाचार प्रकाशन के साथ सभी नवीनतम जानकारी और सूचना सहित प्रकाशित किया जाएगा। समाचारपत्र में कार्यरत पत्रकार इस समाचार को सर्वप्रथम फ्लैश-फ्लैश रूप में जारी करेगा और बाद में घटनाचक्र के साथ जुड़ने वाले नए-नए तथ्यों और पहलुओं को सम्मिलित कर 'रनिंग कमेन्ट्री' के रूप में जारी करता रहेगा। और समय समय पर उसकी लीड स्टोरी भी बनाएगा। आखिर में सांध्य अथवा रात्रि लीड के रूप में सबंधित घटनाक्रम के कथानक को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसका लाभ यह होता है कि इस रनिंग कमेंट्री से जहां आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने समाचार बुलेटिन में नवीनतम समाचारों का उपयोग कर सकते है वही समाचारपत्र भी अपने विभिन्न संस्करणों में इन समाचारों का समुचित उपयोग कर सकते है।

समाचार प्रेषण की इस कार्य प्रणाली से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि एजेंसी को समाचार भेजने में नए तथ्यों के समावेश के साथ प्रतिस्पर्धा और तत्परता का भी ध्यान रखना होता है। समाचार प्रेषण की अतिआधुनिक तकनीक और संचार माध्यमों की सहायता भी एजेंसी के लिए अनिवार्य तत्व है तभी वह प्रतिस्पर्धा के दौर में टिकी रह सकती है। अपनी इस विशेष समिति को केन्द्र तथा राज्यों की राजधानी सहित प्रमुख नगरों, संभागीय मुख्यालयों पर अपने कार्यालय स्थापित करने पड़ते है।

16.5.1 केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्था

हर समाचार समिति का एक केन्द्रीय कार्यालय होता है जहां से उस समिति की प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रिया (समाचार संकलन एवं प्रेषण) संचालित की जाती है। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण नई दिल्ली में समिति के मुख्यालय होते है। कई बार प्रशासनिक व अन्य कारणों से समिति के मुख्य या प्रधान कार्यालय अथवा पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली से बाहर रखने की परम्परा भी रही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय मुम्बई में है। भारतीय समाचार समितियों में फिलहाल पी.टी.आई. का अपना निजी विशाल भवन नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बना हुआ है। दूसरी बड़ी समाचार एजेंसी यू.एन.आई. के मुख्यालय भवन निर्माण की योजना अंतिम चरण में है।

चूंकि समाचार समितियों का मुख्य कार्य समाचार संकलन सम्पादन और उसका प्रेषण एवं वितरण व्यवस्था से सबंधित होता है, इसी के अनुरूप वहां कार्य विभाजन होता है। समाचार समितियों का प्रबंध मंडल या निदेशक मंडल संस्था के बारे में नीति निर्धारण तथा नियमों आदि से सबंधित फैसले करता है। रोजमर्रा के कामकाज के लिए अलग से कार्य विभाजन होता है।

जनरल मैनेजर एवं प्रधान संपादक - समाचार समिति को व्यावहारिक रूप से संचालित करने की प्रशासनिक जिम्मेदारी जनरल मैनेजर या महा प्रबंधक एवं प्रधान संपादक की होती है। अमूमन इस पद पर नियुक्ति समाचार समिति में कार्यरत पत्रकारों की वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाती है। कई बार निदेशक मंडल समिति के बाहर से भी लोगों को इस पद पर नियुक्त करता है।

जनरल मैनेजर समाचार समिति की समग्र व्यवस्था की देखभाल के साथ अपने सहयोगियों को आवश्यक दिशा निर्देश देता है। इन्हीं की देखभाल में समिति की प्रशासनिक, लेखा एवं तकनीकी (इंजीनियरिंग) तथा समाचार इकाई काम करती है और उनके लिए अलग अलग एवं उनके सहयोगियों की टीम मुखिया होती है। एक तरह से जनरल मैनेजर समाचार समिति रूपी टीम का कप्तान होता है जो कई बार गैर खिलाड़ी की भूमिका के बावजूद सभी मोर्चो पर अपनी भूमिका निभाता है।

उपमहाप्रबंधक :- समाचार समिति के महाप्रबंधक या जनरल मैनेजर के सहयोग के लिए समितियों में उपमहाप्रबंधक या सहायक महाप्रबंधक नियुक्त किए जाने की भी व्यवस्था होती है। इनकी संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच कार्य विभाजन कर दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर विशेषाधिकारी अथवा प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाने की भी परम्परा रही है। लेकिन इस तरह के पद सृजन संस्था-हित को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं।

मुख्य समाचार संपादक :- यद्यपि समाचार समिति के प्रधान सम्पादक की जिम्मेदारी महाप्रबंधक की होती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इस पद पर कार्यरत व्यक्ति को इतना समय नहीं मिल पाता कि वह समाचार समिति के रोजमर्रा के समाचार संकलन, सम्पादन के दायित्व निभा सके। इसलिए प्रत्येक समाचार समिति में इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी मुख्य समाचार संपादक को दी जाती है।

मुख्य समाचार संपादक का कार्य समाचार समिति के केन्द्रीय कार्यालय में समाचार संकलन और सम्पादन से जुड़ी व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने तथा आवश्यकतानुकसार अपना मार्गदर्शन एवं सलाह देने का होता है। इसके साथ ही विदेशों से प्राप्त होने वाले समाचारों की प्राप्ति और उनका चयन करके उन्हें अपनी समाचार समिति के माध्यम से प्रसारित करने संबंधी कार्य की जिम्मेदारी भी उन्हें निभानी पड़ती है। इसके अलावा क्षेत्रीय या प्रांतीय कार्यालयों से समाचारों के आदान-प्रदान का कार्य भी इन्ही की देखरेख में होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी विशेष घटनाक्रम को लेकर समाचारों को समाचार समिति के माध्यम से किस रूप से प्रसारित किया जाए उस सूरत में मुख्य समाचार संपादक को एक स्पष्ट नीति निर्धारित करनी पड़ती है। स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया में उसे अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श करना पड़ता है। लेकिन मुख्य समाचार संपादक का मार्गदर्शन इस अवसर पर विशेष अहमियत रखता है और स्वाभाविक रूप से इसमें अनुभव का विशेष योगदान होता है।

समाचार संपादक :- मुख्य समाचार संपादक के कार्य में सहयोग देने के लिए समिति में समाचार संपादक भी नियुक्त किए जाते है। समिति के कार्यभार को देखते हुए इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। समाचार संपादक का मुख्य दायित्व प्राप्त समाचारों के

सम्पादन की व्यवस्था तथा समाचार सेवा का निरीक्षण करना होता है। इसी श्रृंखला में उनके सहयोगी के रूप में मुख्य उपसंपादक वरिष्ठ उपसंपादक तथा उपसम्पादक भी नियुक्त किए जाते है।

पिछले तीन चार दशकों में समाचार समिति के केन्द्रीय कार्यालयों में केन्द्रीय स्तर पर समाचार विभाग की जिम्मेदारी के लिए ब्यूरो संस्था भी अस्तित्व में आयी है। ब्यूरो प्रमुख राजधानी से संबंधित समाचारों और गतिविधियों के कवरेज के लिए अपनी टीम के साथ विशेष भूमिका निभाते है। इसके अलावा समाचार समन्वयक (न्यूज कोआर्डिनेटर) के रूप में भी समिति के वरिष्ठ पत्रकार को योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर दायित्व दिया जाने लगा है। इनका कार्य समिति के विभिन्न केन्द्रों से प्राप्त समाचारों के संपादन विशेष 'स्टोरी' और उसके प्रेषण तथा 'इम्पेकट' का निरीक्षण करना होता है।

विशेष संवाददाता :- समाचारपत्रों की तरह समाचार समितियों में भी विशेष संवाददाता नियुक्त किए जाने की परम्परा है। प्राय: इनकी नियुक्ति वरिष्ठता और कई बार योगदान का आधार मान कर की जाती है। केन्द्र सरकार के सूचना विभाग के तहत केन्द्रीय अधिस्वीकरण समिति से इन्हें मान्यता प्राप्त होती है। विशेष संवाददाता का दायित्व प्राय: संसदीय कवरेज, राजनीती तथा विशेष महत्व से सबंधित समाचारों की रिपोर्ट करना होता है।

इसी श्रृंखला में वरिष्ठ संवाददाता और संवाददाता भी नियुक्त किए जाते है जो समाचारों के महत्व के आधार पर उनकी रिपोर्टिंग का दायित्व निभाते है। समितियों में मुख्य रिर्पोटर या चीफ रिपोर्टर और रिपोर्टर भी नियुक्त किए जाते है। इसी तरह जर्नलिस्ट पद नाम से भी नियुक्ति की जाती है।

डैस्क :- समाचारपत्रों की तरह समाचार समितियों में भी रिर्पोटिंग कक्ष की तरह डैस्क का अपना महत्व है। डैस्क कार्य के लिए अलग-अलग पत्रकारों की नियुक्ति की जाती है। इन्हें उपसंपादक पद नाम दिया जाता है। वरिष्ठता के आधार पर इन्हें डैस्क इंचार्ज का दायित्व दिया जाता है। डैस्क पर कार्यरत लोग रिपोर्टरों, संवाददाताओं अथवा विशेष संवाददाताओं से प्राप्त समाचारों का संपादन कर उन्हें आगे प्रेषित करने के लिए समिति के क्रीड रूम में भेजते है।

एक जमाने में रिपोर्टर हाथ से समाचार लिखते थे, फिर टाइप करके समाचार देने का चलन हुआ और अब समाचार समिति के संपादकीय विभाग के सहयोगी सीधे कम्प्यूटर पर समाचार देने लगे है लेकिन इनके संपादन की व्यवस्था वही है अलबत्ता कुछ तकनीक बदल गई है। समाचार समिति के मुख्यालय में संपादकीय या समाचार विभाग जहां समाचार संकलन एवं संपादन का दायित्व निभाता है। वही इन समाचारों को समिति के क्षेत्रीय कार्यालयों से लेकर ग्राहक समाचारपत्रों, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों तथा अन्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम तकनीकी या इंजीनियरिंग शाखा का होता है। इसे क्रीड़रूम के रूप में संचालित किया जाता है। इस बारे मे विस्तृत अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे।

इसी तरह समाचार समिति का स्टोर विभाग तथा लेखा विभाग अपने अपने स्तर पर कार्य करता है। लेखाविभाग समिति के ग्राहकों को बिल भेजकर उनसे वसूली के कार्य के साथ समिति के कर्मचारियों तथा पत्रकारों के वेतन वितरण इत्यादि का दायित्व निभाता है। स्टोर

विभाग अपने नाम के अनुरूप टेलीप्रिंटर मशीनों के रील, रिबन तथा कम्प्यूटर आदि सामान एवं उपकरणों आदि की देखभाल करता है।

16.5.2 क्षेत्रीय / प्रांतीय कार्यालय

समाचार समिति के केन्द्रीय कार्यालय - क्षेत्रीय अथवा आंचलिक कार्यालय से जुड़े होते हैं। इन्हें प्राय: प्रादेशिक राजधानी में स्थापित किया जाता है। कार्य विस्तार तथा ग्राहक समाचारपत्रों की उपलब्धता के आधार पर समाचार समितियां संभाग मुख्यालयों (डिवीजन हैड्क्वार्टर) पर भी अपने कार्यालय स्थापित करते हैं। कई बार जिला मुख्यालय तथा समाचारपत्रों के प्रकाशन स्थल (पब्लिकेशन-सेन्टर) पर भी ऐसे कार्यालय स्थापित किए जाते हैं। ऐसे केन्द्र अथवा संभागीय मुख्यालयों पर स्थापित किए जाने वाले कार्यालय अपने प्रादेशिक कार्यालयों से दूरसंचार की लाइनों के माध्यम से सम्पर्क में रहते हैं।

क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक कार्यालयों की व्यवस्था भी एक सीमित दायरे में केन्द्रीय कार्यालय के समान होती है। इन कार्यालयों के प्रभारी को ब्यूरो प्रमुख (स्टेट ब्यूरो चीफ) अथवा मैनेजर कहा जाता है। संभागीय मुख्यालयों पर स्थापित कार्यालयों के प्रमुख भी ब्यूरो चीफ के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वे प्रादेशिक कार्यालय के ब्यूरो चीफ की तुलना में कनिष्ठ होते हैं।

प्रादेशिक कार्यालय का ब्यूरो प्रमुख अपने प्रान्त में स्थित संभागीय अथवा अन्य स्तर पर स्थापित कार्यालयों के बीच समन्वय स्थापित कर समाचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था के साथ प्रशासनिक निगरानी भी रखते हैं। प्रादेशिक कार्यालय पर कार्यरत सम्पादकीय विभाग में संवाददाता या रिपोर्टर्स, विशेष संवाददाता फील्ड में काम करते हैं और उन्हें कार्य-विभाजन के अनुसार अपने-अपने कार्यक्षेत्र के समाचार संकलन की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। प्रादेशिक ब्यूरो प्रमुख के तहत प्रादेशिक कार्यालय का इंजीनियरिंग या टेक्निकल विभाग, समाचारों के आदान-प्रदान की तकनीकी जिम्मेदारी संभालता है। इस बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। समाचार समिति के ग्राहक समाचारपत्रों तथा अन्य उपभोक्ताओं से शुल्क राशि की वसूली भी प्रादेशिक ब्यूरो प्रमुख की जिम्मेदारी होती है।

16.5.3 स्ट्रिंगर प्रणाली

समाचारपत्रों में जिस तरह जिलों, तहसीलों और कस्बों में समाचार संकलन के लिए संवाददाताओं की नियुक्ति की जाती है, उसी तरह समाचार-समितियों में स्ट्रिंगर प्रणाली की व्यवस्था है। इसके तहत प्रमुख स्थानों पर जहां से समाचारों के पर्याप्त मात्रा में मिलने की संभावना रहती है, वहां स्ट्रिंगर रखे जाते हैं, यह भी संवाददाता के रूप में ही समाचार समिति को समाचार भेजने हैं, जिन्हें आगे प्रसारित किया जाता है।

प्रादेशिक कार्यालयों अथवा संभागीय मुख्यालयों या अन्य प्रमुख प्रकाशन केन्द्रों पर स्थापित समाचार समिति के कार्यालयों के तहत ये स्ट्रिंगर काम करते हैं। इन अंशकालिक संवाददाताओं अथवा स्ट्रिंगर को समाचार के महत्व के अनुसार डाक या तार से अथवा फैक्स या टेलीफोन इत्यादि माध्यमों से समाचार भेजने को कहा जाता है। प्रदेश कार्यालयों पर भी खेल

अथवा विधि क्षेत्र के समाचारों के संकलन के लिए स्ट्रिंगर रखने की परम्परा रही है। स्ट्रिंगरों को उनके कार्य के लिए मानदेय राशि देने की व्यवस्था होती है।

16.5.4 विदेशी एजेंसियों से सम्बन्ध (अनुबंध)

समाचार समितियों की कार्यप्रणाली के बारे में अब तक के अध्ययन से हम यह जान चुके हैं कि स्थानीय, संभागीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर समाचारों के संकलन, सम्पादन और उनके प्रेषण अथवा वितरण की व्यवस्था किस तरह संचालित की जाती है।

आज जब दूरसंचार के अत्याधुनिक साधनों की वजह से दुनिया एक दूसरे के इतनी निकट आ गई है कि विश्व को 'ग्लोबल विलेज' की संज्ञा दी जाने लगी है, तब हमारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि विदेशों के समाचार हमें किस प्रकार मिलते हैं। इसके लिए भारतीय समाचार तथा विश्व की अन्य समाचार समितियों के बीच समाचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था होती है। इसके लिए इन समितियों के बीच अनुबन्ध किया जाता है और सम्बन्धित समाचार समिति द्वारा प्रसारित समाचारों को अनुबंध की शर्तो के अनुसार अपने-अपने देशों में अपने ग्राहक समाचार-पत्रों तथा अन्य उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाती है।

जिस तरह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की विदेशी समाचार समितियां भारतीय समाचार समितियों को अपने समाचार देती हैं, उसी तरह भारतीय समाचार समितियां भी अपने विदेश के समाचार विदेशी समाचार समितियों को देती हैं। प्राय: यह अनुबन्ध समाचारों की शब्द सीमा के अनुसार होता है और जरूरत के अनुसार शब्द सीमा अधिक होने पर समाचार सेवा की एवज में नकद भुगतान भी किया जाता है। गुट निरपेक्ष देशों तथा सार्क देशों ने भी अपने स्तर पर समाचार समितियों के पूल बनाकर समाचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था अपनायी है।

समाचारों की तरह फोटो सेवा के आदान-प्रदान की व्यवस्था भी समाचार समितियां करती हैं और इसके लिए भी अनुबन्ध किया जाता है।

16.6 समाचार समितियों का वित्तीय प्रबन्ध

समाचार समितियों के बारे में हम यह जान चुके हैं कि वे स्वयं कोई समाचारपत्र प्रकाशित नहीं करती। लेकिन उनका खर्च कैसे चलता है, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हम यह भी जानते हैं कि समाचार समितियों का नेटवर्क बहुत व्यापक होता है। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी समाचार समितियों से अनुबन्ध केन्द्रीय, प्रान्तीय और क्षेत्रीय स्तर पर समितियों के कार्यालय, सम्पादकीय तकनीकी एवं अन्य कर्मचारियों का बहुत बड़ा स्टाफ तकनीकी और दूरसंचार के आधुनिक माध्यम, साधन एवं उपकरण तथा भवन इत्यादि की व्यवस्था, इनके आधार पर समिति के स्वरूप का निर्धारण होता है। इन सबका वित्तीय प्रबन्धन अपने आप में चुनौती पूर्ण होता है।

जैसा कि हम पूर्व में यह जान चुके हैं कि हिन्दी तथा भाषायी समाचार समितियों के रूप में कार्यरत हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को कमजोर वित्तीय प्रबंधन के कारण अपना अस्तित्व समाप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

वर्तमान में भारत में दो प्रमुख समाचार समितियां प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पी.टी.आई.) और यूनाईटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यू.एन.आई.) कार्यरत हैं। हम यह भी जानते हैं कि दोनों समाचार समितियां प्रमुख रूप से समाचारपत्रों के समूहों की हिस्सेदारी से चलायी जा रही है। समितियों की प्रबन्ध व्यवस्था में समाचारपत्र समूहों के प्रतिनिधि बारी-बारी से निदेशक मंडल के सदस्य तथा अध्यक्ष के रूप में यह जिम्मेदारी निभाते हैं। जो समाचारपत्र समूह समाचार समितियों के निदेशक मंडल में होते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से समाचार समिति की सेवाए लेनी होती हैं और यह उनका नैतिक दायित्व भी होता है।

इस तरह समाचार समितियों के वित्तीय प्रकथन में ग्राहक समाचारपत्रों से प्राप्त समाचार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त धन राशि की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। पी.टी.आई. ने अपनी समाचार सेवा को ए.बी.सी. आदि वर्गो में विभाजित कर रखा है और वर्ग के अनुरूप उनसे वैसा शुल्क वसूल किया जाता है। यू.एन.आई. ने इस तरह वर्ग के आधार पर समाचार सेवा का शुल्क निर्धारित नहीं किया हुआ है और सभी ग्राहक पत्रों को समान रूप से समाचार सेवा उपलब्ध करवायी जाती है। लेकिन समाचारपत्रों की प्रसार संख्या के अनुसार न्यून प्रसार संख्या से अधिक पांच सौ अथवा एक हजार प्रतियों की संख्या पर स्लैब के आधार पर सेवा शुल्क लिए जाने की व्यवस्था है। इससे बडे मध्यम और लघु समाचारपत्रों से उनकी प्रसार संख्या के आधार पर समाचार सेवा शुल्क की राशि वसूल की जाती है।

समाचार समितियों की समाचार सेवा के बड़े ग्राहकों के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों द्वारा ली जाने वाली सेवा से प्राप्त राशि भी समितियों के लिए बहुत मददगार होती है। इसी तरह सरकारी स्तर पर प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों, पत्र सूचना कार्यालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों में मुख्यमंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय विभागों इत्यादि में भी समाचार समितियों की समाचार सेवा लेकर समितियों की आर्थिक मदद देने की व्यवस्था है।

इनके अलावा समाचार समितियां अपनी वाणिज्यिक सेवाओं के आधार पर शेयर बाजार से जुड़ी संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों आदि तथा होटलों, निगमों, बोर्डो इत्यादि को अपना ग्राहक बनाकर आर्थिक संसाधन जुटाती है।

समाचार समितियां टेलीविजन आधारित स्कैन न्यूज सर्विस, फीचर, फोटो ग्राफिक्स, स्टाकसस्कैन, बैक ग्राउण्डर, प्रसंग लेख सेवा आदि कई रूपों में सेवायें अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाती हैं और इसकी एवज में सेवा शुल्क वसूल करती है। पी.टी.आई. और यू.एन.आई. में कुछ वर्षो तक टेलीविजन विंग संचालित कर दूरदर्शन सहित अन्य चैनलों का फिल्में बनाकर दी और अपने संसाधनों को बढ़ाया, यू.एन.आई. ने बाद में यह सेवा बंद कर दी तथा पी.टी.आई. ने इसे चलाए रखा।

पी.टी.आई. का नई दिल्ली स्थित पार्लियामेंट स्ट्रीट पर खुद का विशाल भवन है। समाचार समिति के खुद के कार्यालय सहित इस भवन में कई सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थानों आदि के कार्यालय भी खुले हुए हैं जिनसे किराये के रूप में पी.टी.आई. को सालाना लाखों रूपये की आमदनी होती है। यू.एन.आई. को अभी अपना भवन बनाना है। इस तरह विभिन्न स्रोतों से

समाचार समितियां संसाधन जुटाकर अपनी वित्तीय प्रबंधन करती है। इस कार्य में उन्हें प्रतिस्पर्धा करते हुए अपनी कार्यदक्षता बढ़ाकर बाजार में टिके रहने की चुनौती का हर पल सामना करना पड़ता है तथा ग्राहक समाचार पत्रों सहित अन्य उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के मापदंड पर खरा उतरने के लिए सतत प्रत्यनशील रहना पड़ता है।

16.7 समाचार समितियों का तकनीकी तंत्र

समाचार समितियों के इतिहास से हम इस तथ्य से अवगत हो चुके हैं कि आरम्भ में समितियों ने किस तरह अपने कार्य को अंजाम दिया। एक जमाना था जब तार मोर्स पद्धति से समाचार भेजे जाते थे। आधुनिक समाचार एजेंसी के जनक फ्रांसीसी युवक चार्ल्स आवास ने 1840 में पेरिस, लंदन और ब्रूसेल्स के मध्य कबूतरों के माध्यम से समाचार भेजने का अनूठा और अभिनव प्रयोग किया। डाक से, रेल से तथा समुद्री जहाजों के पास नौका भेजकर समाचार संग्रह की व्यवस्था की गई। दूरसंचार माध्यमों के प्रारम्भिक चरण में जहां दो केन्द्रों के बीच तार व्यवस्था को आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के आदि आधार के रूप में माना जाता है, आज हम विकास की इस दौड़ में उपग्रह (सेटेलाइट) माध्यम के स्तर तक जा पहुँचे हैं और आगे हम कहा तक जायेंगे यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन समितियों के तकनीकी तंत्र की विकास यात्रा रोचक रही है।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आज समाचार समितियां विश्व के नवीनतम और आधुनिक संचार साधनों के उपयोग की होड़ में लगी हैं और यह प्रतिस्पर्धा नित नये रूप ले रही है। समाचार समितियों ने रेडियो तथा टेलीप्रिन्टर (दूरमुद्रक) का उपयोग किया तो रेडियो समाचार फोटो प्रेषण की तकनीक अपनायी गई। इसी कारण समाचार समितियां कुछ मिनटों में समाचार फोटो को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में भेजने में सक्षम हैं।

टेलीप्रिंटर तकनीक में और गति लाते हुए टेलीटाइप सेंटर सर्विस की शुरूआत बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुई। इस तकनीक के रूप में समाचार टेली टाइप मशीनों के माध्यम से और गति से पहुँचाना संभव हो गया। हिन्दुस्तान समाचार ने देवनागरी में दूरमुद्रक (टेलीप्रिन्टर) का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो यू.एन.आई. ने उर्दू सेवा के लिए इस माध्यम का पहला प्रयोग किया। तार और टेलेक्स लाइनों के सहारे चलने वाले टेलीप्रिंटर की खटखट जहां समाचारपत्रों के कार्यालयों की नीरसता को तोड़ती थी वही ये टेलीप्रिंटर समाचार समितियो में जीवंत संगीत का प्रतीक बन गए थे। परिवर्तन के नए दौर में इलेक्ट्रोनिक टेलीप्रिन्टरों ने अपनी प्रभुत्व जमाया जो शांत भाव से अधिक गति के साथ समाचार देने लगा। फिर आया कम्प्यूटर मॉडेम तथा सॉफ्टवेयर इंटरनेट का जमाना, जिसने समाचार की दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। कहां तो टेलीप्रिन्टर एक मिनट में महज 80 शब्द प्रेषित तथा प्रिन्ट करने की क्षमता रखता था वही उपग्रह तथा मॉडेम की सहायता से यह गति करीब सात हजार शब्द प्रति मिनट अर्थात् 56 किलोबिटस प्रति सैकण्ड के स्तर तक जा पहुची है।

संचार क्रांति के इस युग में समाचार समितियां मजबूत तकनीकी तंत्र के साथ प्रतिस्पर्धा में जुटी हैं और अतिआधुनिक सेवायें उपलब्ध कराकर ग्राहक पत्रों को अपने प्रभुत्व में लाने के लिए प्रयत्नशील है। समाचार समितियों का नेटवर्क इसी मजबूत तकनीकी तंत्र पर आधारित है।

नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालयों से पी.टी.आई. तथा यू.एन.आई. अपने प्रादेशिक कार्यालयों तथा क्षेत्रीय ब्यूरो से इसी तकनीकी तंत्र से जुडे हुए है और समाचारपत्रों सहित अपने अन्य ग्राहकों को समाचार सेवा उपलब्ध करा रही है।

समाचार समिति के केन्द्रीय कार्यालय प्रांतीय मुख्यालयों से और प्रांतीय मुख्यालय संभागीय मुख्यालयों अथवा अन्य प्रमुख केन्द्रों से जुड़े होते हैं। दूरसंचार विभाग से लीज्ड़ सर्किट लेकर समाचार समितियां समाचार प्रेषण के इस नेटवर्क को संचालित करती है। कई बार सुविधा की दृष्टि से प्रादेशिक राजधानी स्थित कार्यालय को दूसरे प्रांत की राजधानी से जोड़ दिया जाता है ताकि दिल्ली से उस प्रांत की टेलीप्रिंटर लाइन में किसी तरह की गड़बड़ी या बंद होने की स्थिति में दूसरे प्रांतीय मुख्यालय के माध्यम से समाचार प्रेषण का काम जारी रहे और समाचार सेवा उपलब्ध होती रहे।

इसी तरह क्षेत्रीय समाचारों (विशेषकर दक्षिणी तथा पूर्वांचल राज्यों के लिए) के पूल की अलग तकनीकी व्यवस्था की जाती है। फैक्स की सुविधा से समाचार प्राप्त करनें में सरलता हो गई है। अब समाचार समितियां अपने स्ट्रिंगरों को फैक्स कार्ड सुविधा प्रदान करती है। पहले स्ट्रिंगर समाचार तार से भेजते थे। समाचार समितियों के कार्यालयों में फैक्स मशीन लगा देने से भी सरकारी प्रेस नोट तथा अन्य विज्ञप्तियां हाथों हाथ मिल जाती है जिससे उन समाचारों का उपयोग तत्काल हो जाता है।

16.8 सारांश

समाचार समितियों का प्रबंध संगठन पाठ पढ़ते समय हम समाचार समितियों की स्थापना और उसके उद्देश्यों सहित समाचार समितियों के उद्भव एवं विकास की कथा से अवगत हो चुके हैं हमने भारत के साथ विदेशों में समाचार समितियों के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी हासिल की है भारत में समाचार समितियों के विकास का विवरण विभिन्न कालखण्डों के अनुरूप जान लेने के साथ हमने समितियों की कार्यप्रणाली से पहलुओं को समझने को कोशिश की है। समाचार समितियों के तकनीक और वित्तीय प्रबंध की जानकारी भी हमारे लिए उपयोगी साबित होगी और हम समाचार समितियों के प्रबंध संगठन से भली भांति अवगत हो सकेंगे। तार संचार के विकास की अपनी एक कहानी है जिसने समाचार समितियों के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद दी। लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक तथा व्यावसायिक संस्थाओं के अस्तित्व में आने के कारण भी विशेष संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी जो समाचारों के संकलन और वितरण के दायित्व को भली भांति निभा सके यह विशेष संगठन समाचार समिति अथवा प्रेस या न्यूज एजेंसी की श्रेणी में शामिल किए गए।

हिंदी तथा भाषाई क्षेत्र में समाचार संकलन और प्रेषण के लिए 1948 में समाचार और 1966 में समाचार भारती की स्थापना हुई। वर्ष 1975 में घोषित आपात काल के दौरान केन्द्र सरकार ने चारों समाचार समितियों का विलय कर समाचार एजेंसी का गठन करवाया। आपात काल समाप्त होने तथा केन्द्र में सत्तारूढ जनता पार्टी सरकार ने अपने वायदे के अनुरूप चारों समाचार समितियों को फिर से अस्तित्व में ला दिया वित्तीय समस्या तथा प्रबंधन के कारण समाचार और समाचार भारती एक दशक से पहले बंद हो गई वर्तमान में पी.टी.आई. तथा यू. एन.आई. एजेंसी कार्यरत है यू.एन.आई. ने एक मई 1982 को हिन्दी में समाचारों के लिए

यूनीवार्ता नाम से समाचार सेवा आरम्भ की। एक दशक बाद उर्दू में भी समाचार सेवा शुरू की गई पी.टी.आई. ने 1986 में हिन्दी में भाषा नाम से समाचार सेवा की शुरुआत की।

ये दोनों समाचार समितियां नई दिल्ली स्थित अपने केन्द्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रांतीय राजधानियों तथा अन्य सम्भागीय मुख्यालयों अथवा प्रकाशन केन्द्रों पर स्थापित न्यून ब्यूरो से जुड़ी हुई हैं। विदेशों में भी इनके कार्यालय अथवा संवाददाता कार्यरत है। समाचारों के आदान-प्रदान के लिए इनके समाचार समितियों के साथ अनुबन्ध हैं।

समाचार समितियां दूरसंचार के अति-आधुनिक साधनों एवं उपकरणों का इस्तेमाल कर अपनी कार्यदक्षता और गति बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा में जुटी हुई है। समाचारपत्रों सहित अन्य ग्राहकों को समाचार सेवा उपलब्ध कराकर समाचार समितियां अपने संसाधन भी जुटाती है। केन्द्र और राज्य सरकारें भी समाचार समितियों की समाचार सेवायें लेकर आर्थिक मदद करती हैं तथा आकाशवाणी भी समाचार समितियों की सेवा का व्यापक इस्तेमाल करती हैं। इससे समाचार समितियों के वित्तीय प्रबन्धन में काफी सहायता मिलती है।

भारत के बारे में यह एक कटु सत्य है कि न तो अखबार और न सरकार संवाद समितियों के विकास के लिए कुछ करने को तैयार हैं। समाचारपत्र जो शुल्क संवाद समितियों को देते हैं वह बहुत कम है इस स्थिति में अभी तक सुधार नहीं हुआ है।

इसलिए हम कह सकते हैं कि समाचार समितियां समाचारपत्रों के लिए जीवनदायिनी है। समितियों के विश्वव्यापी नेटवर्क तथा समाचारों के आदान-प्रदान के अनुबंधों के कारण दुनियाभर के ताजातरीन समाचार और फोटो सेवा कुछ ही क्षणों में इधर से उधर प्राप्त किए जा सकते हैं। सचमुच समाचार समितियां दुनियाभर में होने वाली हलचल की संपादक के रूप में अपनी उपयोगिता को शिखर पर ले जा रही हैं।

16.9 शब्दावली

1. न्यूज एजेंसी
2. पी.टी.आई. (प्रेट्र)
3. यू.एन.आई. (यून्यू)
4. यूनीवार्ता (वार्ता)
5. रायटर (रा)
6. एसोसिएटेड प्रेस (एपी)
7. हिन्दुस्तान समाचार (हिस)
8. समाचार भारती (भारती)
9. ब्यूरो
10. ब्यूरोप्रमुख
11. क्रीडा रूम
12. स्लग
13. इंट्रो
14. फ्लेश
15. लीड़ स्टोरी
16. बैक ग्राउण्ड़र
17. टेलीप्रिन्टर (दूरमुद्रक)
18. रिबन
19. टी.पी. रौल
20.

16.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. संवाद समिति की पत्रकारिता- काशीनाथ गोविन्दराव जोगलेकर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल
2. International News Agencies – Boyd – Barett, Oliver, Sage publication, California.

3. News Agency journalism–Hakemulder jan, Anmol publication Pvt. Ltd. New Delhi.
4. Proceedings of the seminar on Non–Aligned News pooljag Parvesh Chandra (Ed.) All India Newspaper Editors Conference,New Delhi

16.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. समाचार समितियों से क्या अभिप्राय है और इनकी क्या आवश्यकता तथा उपयोगिता है?
2. समाचार समितियों के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए।
3. भारत में समाचार समितियों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत कीजिए।
4. समाचार समितियों की कार्यप्रणाली क्या है और यह समाचारपत्रों से किस तरह भिन्न है?
5. समाचार समितियों के तकनीकी तंत्र और वित्तीय प्रबन्धन के बारे में आप क्या जानते हैं?
6. संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए-

1. पी.टी.आई.
2. यू.एन.आई.
3. हिन्दुस्थान समाचार
4. समाचार भारती

इकाई 17 समाचार समितियाँ: समस्याएं एवं संभावनाएं

इकाई की रूपरेखा

17.0 उद्देश्य

17.1 प्रस्तावना

17.2 समाचार समिति की परिभाषा

17.3 समाचार समिति का महत्व

17.4 समाचार समितियों का उद्‍गम और विकास

17.5 प्रमुख समाचार समितियां

17.5.1 विदेशी समाचार समितियां

17.5.2 भारतीय समाचार समितियां

17.6 समाचार समिति का संगठन और तकनीकी ढांचा

17.7 समाचार समितियों की समस्याएं

17.7.1 निष्पक्षता का प्रश्न

17.7.2 आर्थिक संकट

17.7.3 देहातों की उपेक्षा

17.7.4 संवाददाताओं की कमी

17.7.5 विदेशी समाचारों का संकलन

17.7.6 समाचारों की सत्यता की पुष्टि कठिन

17.7.7 धारावाहिक समाचारों की समस्या

17.7.8 खोजी पत्रकारिता संभव नहीं

17.7.9 अनुवाद की समस्या

17.8 सारांश

17.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

17.10 निबन्धात्मक प्रश्न

17.0 उद्देश्य

- इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप यह जान सकेंगे कि समाचार समिति किसे कहते हैं और इसका स्वरूप क्या होता है? समाचार समितियों के समक्ष क्या समस्याएं हैं और उनका भविष्य क्या है?
- समाचार समिति के महत्व को आप समझ सकेंगे।
- समाचार समितियों के विकासक्रम को आप समझ सकेंगे।
- समाचार समितियां कितने प्रकार की होती हैं, प्रमुख समाचार समितियां कौन-सी हैं, यह जानकारी आपको प्राप्त होगी।
- समाचार समिति के संगठन और तकनीकी ढांचे को आप समझ सकेंगे।

- किसी समाचार समिति में कार्य करने में आपको मार्गदर्शन और योग्यता प्राप्त होगी।

17.1 प्रस्तावना

कोई बड़े से बड़ा अखबार पूरे देश में तथा विश्व में अपने समाचार-केन्द्र स्थापित नहीं कर सकता और न सर्वत्र संवाददाताओं का जाल ही बिछा सकता है। अत: उसे समाचार समितियों से सहयोग प्राप्त करना पड़ता है, तभी वह अपने आपको समाचारों की दृष्टि से सम्पूर्ण बना सकता है। अत: समाचार समिति का अत्यधिक महत्व है। वह अखबारों को देशी-विदेशी समाचार देकर अन्हें अद्यतन और सम्पूर्ण बनाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय समाचार समिति विश्वभर के समाचार संकलित करती है तो देश की समाचार समितियां देशभर के क्षेत्रीय, प्रादेशिक समाचार एकत्र करती हैं । देश की अनेक बड़ी समाचार समितियां विदेशी समाचार समितियों से समझौते करके अन्तराष्ट्रीय समाचार भी प्राप्त करती हैं। अत: यह आवश्यक है कि समाचार समिति द्वारा संकलित और वितरित समाचार महत्वपूर्ण, ताजा, लोकरुचि के, विश्वसनीय और मानवीय संवेदनायुक्त हों।

समाचार समिति वह संस्था है जो अपने स्रोतों से समाचार संकलित कर समाचारपत्रों को देती है। समाचारपत्रों के अलावा शासनाधिकारी, विशिष्ट व्यक्ति एवं संस्थाएं भी इनसे लाभ उठाती हैं।

17.2 समाचार समिति की परिभाषा

एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने समिति की परिभाषा इस प्रकार दी है-

वह समिति जो कि समाचारपत्र, पत्रिकाएं, क्लब, संगठनों व निजी व्यक्तियों को तारों, पाण्डुलिपियों, प्रूफ, टेलीप्रिण्टर्स, प्रतिलिपियों और कभी-कभी टेलिफोन द्वारा समाचार प्रेषित करती है। यह स्वयं समाचार प्रकाशित नहीं करती है, बल्कि अपने उपभोक्ताओं को सूचनाएं प्रदान करती है। -एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका

इन्दिरा गांधी का कथन है- समाचार समितियों का उत्तरदायित्व है कि वे विकास के लिए लोगों को शिक्षित करे। समाचार समितियों को लोगों तक पहुंचने में चाहे विलम्ब भले ही होता हो, लेकिन वे मस्तिष्क पर असर डाले बिना नहीं रहतीं। इसलिए यह जरूरी है कि संचार के इस साधन पर कोई ऐसा राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण न हो जो खबरों के प्रवाह को रोकता हो।

श्री कृष्णकान्त के शब्दों में पत्रकारिता के उन्नयन और विकास में संवाद समितियों की संप्रेरक भूमिका होती है, क्योंकि समाचारपत्रों को देश-विदेश के ताजा समाचार उन्हीं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। दूर-दराज के क्षेत्र में हुई घटनाओं के समाचार संवाद- समितियों के जरिए ही समाचार-पत्रों को सम्प्रेषित किए जाते हैं।

जनसंचार माध्यमों से गहरा सम्बन्ध रखनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने 1952 में संसार की समाचार एजेंसियों का व्यापक सर्वेक्षण करके समाचार समिति के आशय को इन शब्दों में व्यक्त किया था-समाचार समिति एक उद्यम है जिसका प्रकट उद्देश्य समाचार एवं समाचार-विषयक जानकारी एकत्र करना एवं तथ्यों का प्रकटीकरण या प्रस्तुतीकरण है तथा उन्हें

समाचार-संस्थानों को, विशेष परिस्थितियों में निजी व्यक्तियों को भी, इस दृष्टि से वितरित करना है कि उन उपभोक्ताओं को व्यावसायिक विविध एवं निष्पक्ष समाचार-सेवा प्राप्त हो सके।

जनसंचार साहित्य के लेखक डा. यासीन दलाल और डॉ. रमेश जैन के अनुसार - समाचार-संकलन, प्रेषण और वितरण करने वाले संगठनों को ही समाचार समितियां अथवा न्यूज एजेंसियां कहा जाता है। ये समाचार समितियां पत्रों की तरह स्वयं समाचार नहीं छापतीं, केवल उनका संकलन करके अपने ग्राहकों को पहुंचाती है। इन संवाद-समितियों के देश-विदेश में कार्यालय एवं संवाददाता होते हैं। ये संवाददाता अपने समाचार एकत्रित कर दूरमुद्रक (टेलिप्रिन्टर), तार या फोन से क्षेत्रीय ब्यूरो को भेजते हैं। ब्यूरो उन समाचारों का सम्पादन कर अपने प्रधान कार्यालय को भेज देता है जहां से अन्तिम रूप से सम्पादित होने के बाद ये समाचार दूरमुद्रक के माध्यम से समाचारपत्रों व अन्य ग्राहकों को एक साथ प्रसारित कर दिए जाते हैं।

17.3 समाचार समिति का महत्व

अखबार पूरी दुनिया का दर्पण होता है। वह पूरे विश्व की घटनाओं की जानकारी देता है। राजनैतिक, सत्तात्मक, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक साहित्यिक कला, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों के समाचार और विचार अखबार द्वारा मिलते हैं। यह कार्य टी.वी और रेडियो भी करते हैं, परन्तु वे समय-सीमा और दायित्व से बंधे होते हैं। वे पूरी तरह खुलकर और विस्तृत रूप से कार्य नहीं कर सकते। टी.वी-रेडियो पर समाचार देखने-सुनने पर भी अखबार पढ़ने की पूरी लालसा बनी रहती है। लोग हर घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। स्थानीय क्षेत्र, जिला, प्रदेश और देश ही नहीं, अपितु अन्य देशों में घटी घटनाओं के विषय में भी जनता जानकारी चाहती है। अखबारों को अधिकांश समाचार संवाद समितियों या समाचार समितियों द्वारा भेजे जाते हैं। कोई भी अखबार देश के कोने-कोने में और दुनिया के हर देश में अपने संवाददाता नहीं रख सकता। टीवी-रेडियो की भी अपनी सीमाएं हैं। यह काम समाचार समिति करती है। विभिन्न अखबार और टीवी-रेडियो इसके ग्राहक होते हैं, जिनसे शुल्क लेकर यह अपने उन्हें समाचार देती है।

जिन देशों में तानाशाही सरकारें हैं, वहां के अखबार स्वतंत्र नहीं होते। वहां की समाचार समिति वहां के सरकारी सूचना और प्रचार विभाग का हिस्सा होती है। प्रजातांत्रिक देशों में ये समितियां अधिक स्वतंत्रता से कार्य करती हैं। अब तो सरकारें भी इन समितियों से समाचार लेने लगी हैं।

17.4 समाचार समितियों का उद्गम और विकास

फ्रान्स के एक व्यक्ति ने 1825 में न्यूज ब्यूरो नामक संस्था की स्थापना करके आधुनिक समाचार समिति की शुरुआत की थी। उस व्यक्ति का नाम चार्ल्स आवास था। खबरों को एकत्र करने तथा उनका वितरण करने के लिए डाक के अलावा विभिन्न संवाददाता नियुक्त किए गए। 1837 में तार-प्रणाली शुरू होने पर उसका भी उपयोग किया गया। 1840 में पेरिस-

लन्दन-ब्रुसेल्स के बीच सबसे पहले कबूतरों के जरिए खबरों का आदान-प्रदान किया गया। उसकी संस्था अच्छी चल निकली।

आवास के एक साथी वोल्फ ने 1849 में वोल्फ एजेन्सी शुरू की थी, जो शुरू में सिर्फ व्यापारिक खबरें देती थी और फिर 1855 से सामान्य खबरें भी देने लगी। आवास के दूसरे साथी जर्मन के रायटर ने लन्दन में एक समाचार समिति (न्यूज़ एजेन्सी) रायटर नाम से शुरू की। उसने समाचार देने के लिए रेल और तार प्रणाली का उपयोग किया। शुरू में तो लन्दन के अखबार इस संस्था से दूर रहे, परन्तु 1855 से वे इसकी सेवाओं का लाभ उठाने लगे।

1848 में न्यूयार्क के कुछ अखबारों ने हार्वट न्यूज़ एसोसियेशन बनाया। इसके द्वारा नावों के जरिए खबरें भेजी जाती थीं। 1850 में नवगठित जनरल न्यूज़ एसोसिएशन के साथ इसका विलय हो गया। 1857 में नेशनल न्यूयार्क एसोसियेटेड प्रेस का गठन किया गया। 1865 में आवास, रायटर और वोल्फ की एजेंसियों ने मिलकर अन्तराष्ट्रीय स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। 1872 में अमेरिका की नेशनल न्यूयार्क एसोसियेटेड प्रेस संस्था भी इनसे जुड़ गई। 1934 में यह समझौता टूट गया।

1952 में यूनेस्को द्वारा समाचार समितियों के ढांचे ओर कार्यो का सर्वेक्षण कराया गया था। इसके आधार पर अमेरिका की तीन समाचार समितियां ए.पी., आई.एन.एस., यू.पी.आई. के साथ-साथ ब्रिटेन की रायटर, फ्रांस की ए.एफ.पी. तथा रूस की तास इन छह को अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समिति माना गया।

ए.एफ.पी. (फ्रांसीसी समाचार समिति) और रायटर (ब्रिटिश समाचार समिति) की खबरें भारत को पी.टी.आई. (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) के जरिए मिलती हैं। इसी तरह ए.पी.(एसोसिएटेड प्रेस, न्यूयार्क, अमेरिका) के विश्व समाचार यू.एन.आई. (यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया) के जरिए मिलते हैं। यू.पी.आई. की रेडियो फोटो सेवा उसके दिल्ली स्थित कार्यालय के जरिए भारतीय पत्र-पत्रिकाओं को प्राप्त होती है। तास के समाचार दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के जरिए देश को मिलते हैं। इन विदेशी समाचार समितियों का भारतीय समाचार समितियों के साथ समझौता नहीं है। विदेशी रेडियो-टीवी से भी समाचार और चित्र प्राप्त किए जाते हैं।

17.5 प्रमुख समाचार समितियां

17.5.1 विदेशी समाचार समितियां

रायटर - ब्रिटेन में जब न ट्रेन थी और न तार-व्यवस्था। बाजार भाव की जानकारी मंगाने के लिए घोड़ा-गाड़ी का प्रयोग होता था। झंड़िया लगाकर भी संकेत दिए जाते थे। पहली व्यवस्था में काफी देर लगती थी। दूसरी व्यवस्था में गलती होने पर डर रहता था। जूलियस रायटर ने समाचार मंगाने के लिए पहली बार कबूतरों का उपयोग किया। भारत में तो प्राचीनकाल में भी सन्देश-प्रेषण के लिए कबूतरों का उपयोग किया जाता था। रायटर ने अपनी समाचार समिति 'रायटर' की स्थापना की और लन्दन में इसका दफ्तर खोल लिया। यूरोपियन

देशों की राजधानियों में रायटर की ओर से संवाददाता नियुक्त किए गए। ये लोग न केवल बाजार भाव भेजते थे, अन्य समाचार भी भेजते थे।

1858 में रायटर समाचार समिति बन गई और 1865 में इसे लिमिटेड़ कंपनी बना दिया गया। कम्पनी बनने से पूर्व 1869 में इस समिति ने भारत को भी अपना कार्यक्षेत्र बना लिया और यह शुरू में 'बॉम्बे टाइम्स' को डाक से समाचार भेजने लगी। कलकत्ता (अब कोलकत्ता) के पत्र बंगाली को भी इसने समाचार देना शुरू कर दिया।

उस समय देश की घटनाओं के समाचारों को ही अधिक महत्व दिया जाता था। विदेशों के समाचार भी अल्प मात्रा में लिए जाते थे। लन्दन के सबसे बड़े अखबार टाइम्स ने काफी बाद में रायटर की सेवाएं ली। इस समिति का स्वामित्व 1915 में अखबारों के हाथ में आ गया।

ए.पी. और यू.पी.आई. - पत्रकारिता और जनसंचार क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी रहे काशीनाथ गोविंदराव जोगलेकर का कथन है- "मैक्सिको" के साथ युद्ध के समय 1845 में न्यूयार्क के समाचारपत्रों ने युद्ध के समाचार प्राप्त करने और उनके वितरण में सहकारिता के आधार पर प्रयास आरम्भ किया। यह अधिक समय तक नहीं चल सका। 1893 में असोसियेटेड़ प्रेस ऑफ अमेरिका और बाद में यूनाइटेड प्रेस इण्टरनेशनल की स्थापना हुई। ये अमेरिका की प्रमुख संचार समितियां है। इस समय रायटर ए.पी., यू.पी.आई. तथा फ्रांस की समिति ए.एफ.पी. संसार की सबसे बड़ी चार समितियां समझी जाती है। इनके कार्यालय जो संसार में हैं, लगभग सभी देशों की संवाद समितियों के साथ इनकी समाचारों के आदान-प्रदान और सहयोग की व्यवस्था है। विश्व के अधिकांश समाचार ये चारों समितियां ही देती हैं।

'तास' रूस की, 'सिनहुआ' चीन की और 'ताजुग' यूगोस्लाविया देश की प्रमुख समाचार समितियां है। तानाशाह देशों की तरह साम्यवादी देशों में भी समाचार समितियां स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर पाती हैं। राजतंत्रात्मक और अरब देशों में भी कमोबेश यही स्थिति है। पिछले महायुद्ध के पश्चात् एशिया और अफ्रीका के अनेक देश आजाए हुए। ये देश अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ समाचार समितियों के मामले में भी आत्मनिर्भर होना चाहते थे। इसके परिणामस्वरूप दो दर्जन नई समाचार समितियों का गठन हुआ। आज प्राय: हर देश की अपनी समाचार समिति है, जिसकी स्वतंत्रता उस देश की शासन-प्रणाली पर निर्भर करती है। कुछ देशों में स्थिति यह है कि वहां समाचार समितियां सिर्फ सरकारी समाचार और विज्ञप्तियां ही प्रसारित कर पाती हैं। कुछ सीमा तक वे विदेशी समाचार समितियों से समाचार प्राप्त करती हैं। ए.पी. समाचार समिति पांच अरब रुपए वार्षिक व्यय करती है।

विदेशों की कई बड़ी समाचार समितियां पक्षपात का रवैया भी अपनाती है। अमेरिका और यूरोप के ग्राहकों का वे विशेष ध्यान रखती हैं। विकासशील देशों की सही छवि प्रस्तुत नहीं करती। कोलम्बो में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर-सम्मेलन (1976) में इस ओर ध्यान गया। इसलिए समाचारों के परस्पर आदान-प्रदान के लिए एक 'पूल' बनाया गया, जिसके 87 देश सदस्य बन गए। भारत में पी.टी.आई. द्वारा पूल के समाचारों का वितरण किया जाता है। परन्तु 'पूल' के समाचार अधिक प्रसारित नहीं होते। उनपर सम्बन्धित सरकारों का अकुंश होता

है। एशिया और अफ्रीका के समाचारों की उपेक्षा होती है। 'पूल' ईरान-इराक अफगानिस्तान, खाड़ी-युद्धों आदि के अपेक्षित समाचार उपलब्ध नहीं करा सका।

फोटो सेवा - विभिन्न देशों के समाचार प्रसारित करने के अलावा समाचार समितियां फोटो भी प्रसारित करती हैं। दूरसंचार के अत्याधुनिक साधनों ने चित्रों का तुरन्त प्रेषण संभव बना दिया है। टीवी ने इनका कार्यक्षेत्र एकदम विस्तृत कर दिया है। इन समितियों के सहयोग के लिए अनेक सहायक संस्थान भी चालू हो गए हैं। इन समाचार समितियों के बिना आज अखबारों, टीवी-रेडियो का काम नहीं चल सकता।

17.5.2 भारतीय समाचार समितियां

ए.पी.आई. भारत में समाचार समिति का प्रवर्तक के.सी. राय को माना जाता है जिनके सहयोग से 1905 में पहली भारतीय समाचार समिति ए.पी.आई. (एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इण्डिया) की स्थापना की गई। राय ने एक समाचार समिति 'प्रेस न्यूज ब्यूरो' नाम से और बनाई। आर्थिक कारणों से समिति रायटर की सहयोगिनी बनने को विवश हो गई। 1938 में ए.पी.आई. ने ही देश में सबसे पहले टेलिप्रिन्टर का उपयोग किया था।

इण्ड़िया न्यूज एजेंसी - 1915 में राय ने ही इस समाचार समिति को शुरू किया और यह 1947 तक चलती रही। इसके बंद हो जाने पर छोटे समाचारपत्रों को ही अधिक हानि उठानी पड़ी।

एफ.पी.आई. - 'फ्री प्रेस ऑफ इण्डिया' की स्थापना एस.सदानन्द ने 1925 में की। उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल नामक एक अंग्रेजी दैनिक पत्र भी 1930 में निकाला। उनकी समाचार समिति और अखबार ने मुख्यत: राष्ट्रीय समाचारों का प्रसार किया। सदानन्द अंग्रेजी साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों का अधिक दिनों तक सामना नहीं कर सके, फलत: 1933 में समिति बन्द हो गई।

यू.पी.आई. 'यूनाइटेड प्रेस ऑफ इण्डिया' की स्थापना सितम्बर, 1933 में वी. सेन गुप्त ने की। शुरू में इसके कलकत्ता और लाहौर में ही दफ्तर थे। धीरे-धीरे 25 स्थानों पर दफ्तर बन गए और ग्राहक संख्या भी 130 तक पहुंच गई। इस समिति ने स्वाधीनता- आन्दोलन के समाचार खूब प्रसारित किए। गांधी हत्याकांड का समाचार सबसे पहले और दो मिनट में ही इस समिति ने संसार भर में पहुंचा दिया था। आर्थिक कारणों से यह समिति 1958 में बन्द हो गई।

आजादी के समय भारत में विदेशी समाचार भेजने का अधिकार 'रायटर' को प्राप्त था जिसकी सहयोगिनी ए.पी.आई. के पास भारत के समाचारों के संकलन और वितरण का एकाधिकार था। अमेरिका की दो और समाचार समितियों का विदेशी समाचारों के प्रेषण के मामले में भारत में दखल था। ये संस्थाएं देश के आन्तरिक समाचारों पर भी एकाधिकार जमाने की कोशिश करने लगी थीं। तब विदेशी प्रभाव से देश के समाचार जगत को बचाने के लिए ए.पी.आई. को रायटर के चंगुल से मुक्त करके एक नई समाचार समिति बनाई गई जिसका नाम पी.टी.आई. (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया) रखा गया। यू.पी.आई. को बढ़ावा दिया गया और

विदेशी न्यूज एजेन्सियों द्वारा स्थानीय अखबारों को सीधी समाचार सेवा देने पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। ए.पी.आई. को पी.टी.आई. ने खरीद लिया और उसका रायटर में भी हिस्सा हो गया। देश के सभी प्रमुख नगरों में इसके कार्यालय खुल गए। 5 मई, 1948 को इसकी टेलिप्रिण्टर सेवा की शुरुआत हो गई।

दिसम्बर, 1948 में हिन्दुस्तान समाचार (हि.स.) का गठन हुआ, जो भारतीय भाषाओं की पहली समाचार एजेंसी थी। रामनाथ गोयनका (इंडियन एक्सप्रेस) ने 1959 में आई.एन.एस. (इंडियन न्यूज सर्विस) नामक संस्था स्थापित करके तथा विभिन्न नगरों में इसके कार्यालय खोलकर इस समाचार समिति को चलाने का प्रयास किया, परन्तु वे सफल नहीं हो सके। 1961 में कार्य शुरू करके यह कुछ महीने ही चल सकी।

समाचार जगत यह अनुभव कर रहा था कि दो समाचार समितियों की स्पर्धा से कार्य में अधिक सक्रियता रहेगी। अत: 10 नवम्बर, 1959 को 'यू.पी.आई.' (यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया) की स्थापना की गई, जिसने पी.टी.आई. के अलावा दूसरी प्रमुख समाचार समिति के दायित्व को निभाया। पी.टी.आई., यू.एन.आई. और हिन्दुस्तान समाचार के अलावा यूनीवार्ता, भाषा और समाचार भारती देश की प्रमुख समाचार समितियां हैं। **प्रेस इन इण्ड़िया - 1984** के अनुसार देश में 43 भारतीय और 14 विदेशी समाचार एजेंसियां कार्यरत हैं।

पी.टी.आई.- यह एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। इसका पूरा नाम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ए.पी.आई. (एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया) की जगह 1947 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसने 1 फरवरी, 1949 से कार्य करना शुरू किया। इसके गठन में सरदार पटेल का भी योगदान रहा। इसने अंग्रेजी में सबसे पहले समाचार दिए। ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि इसका नियंत्रण और स्वामित्व कभी किसी एक समाचार-पत्र समूह अथवा विभाग के पास न रहे। अधिकांश प्रमुख देशों में इसके संवाददाता हैं। इसके देशभर में 120 कार्यालय और 350 अंशकालिक संवाददाता हैं। यह संस्था टेलिप्रिण्टर, कम्प्यूटर और फीचर सेवा का उपयोग कर इनकी सेवाएं समाचारपत्रों को देती है। यह विदेशी समाचार संस्थाओं, रायटर, ए.एफ.पी., यू.पी.आई.(अमेरिका), नेपेप(नॉन अलाइड़ प्रेस एजेंसीज पूल, निर्गुट एजेंसीज पूल) आना (एशियन न्यूज एजेंसीज) आदि से जुड़ी हुई है। यह 'उपग्रह संचार सेवा' का भी उपयोग करती है। इसका मुख्यालय मुम्बई में है। इस समिति में एक हजार कर्मचारी कार्यरत हैं।

यू.एन.आई. - यूनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया की स्थापना 10 नवम्बर, 1959 को हुई। इसने समाचार सेवा का काम 21 मार्च, 1961 से शुरू किया। यह अंग्रेजी में समाचार देती है और भारत की प्रमुख समाचार समिति है। इसके 100 से ज्यादा दफ्तर और 550 से अधिक अखबार सदस्य हैं। यह विभिन्न विदेशी समाचार-समितियों से जुड़ी हुई है। समाचारों के अतिरिक्त यह 'सन्दर्भ सेवा' आदि भी उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसमें 250 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं।

यूनीवार्ता - यू.एन.आई. ने 1 मई, 1982 को अपनी हिन्दी समाचार सेवा 'यूनीवार्ता' (यू.एन.आई. वार्ता) के नाम से शुरू की। समाचारदाता के रूप में वार्ता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। देश के 100 से अधिक शहरों में इसके कार्यालय और 225 अखबार सदस्य हैं।

भाषा - पी.टी.आई. ने अपनी यह हिन्दी समाचार सेवा 18 अप्रेल, 1986 को शुरू की थी। भाषा अंग्रेजी समाचारों का हिन्दी अनुवाद न करके मौलिक हिन्दी समाचार देती है और भाषा की शुद्धता पर भी ध्यान देती है। यह समिति राजनैतिक समाचारों के साथ-साथ साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान, खेलकूद आदि के समाचारों पर भी जोर दे रही है।

समाचार - आपातकाल के समय चार समाचार समितियों- पी.टी.आई., यूएनआई., हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारती को मिलाकर 24 जनवरी, 1976 को ' समाचार' का गठन किया गया। यह एक तरह से समाचार-स्रोतों पर सरकारी नियंत्रण था। आपातकाल खत्म होने पर नई सरकार ने 'समाचार' संस्था को भंग करके पुन: पूर्ववत् चारों समाचार समितियों को गठित कर दिया।

समाचार भारती - काफी दिनों तक इस समाचार समिति ने विभिन्न पत्रों के लिए काफी सक्रियता से कार्य किया। आजकल यह एजेंसी कार्यरत नहीं है। राज्याश्रय प्राप्त होने पर भी प्रबंध-दक्षता की कमी के कारण यह अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर, 1966 को हुई। मुख्यालय दिल्ली में रहा। दस भाषाओं में 150 से अधिक पत्र इसके ग्राहक रहे।

हिन्दुस्तान समाचार - यह भारतीय भाषाओं की पहली समाचार एजेंसी थी जो आजकल कार्यरत नहीं है। इसकी शुरुआत दिसम्बर, 1948 में हुई थी। अपने समय में यह लोकप्रिय तो रही, लेकिन इसके पास सुदृढ़ आर्थिक साधन नहीं थे। इसका मुख्यालय दिल्ली में रहा है। इसके लगभग 50 केन्द्र और 130 से अधिक पत्र ग्राहक रहे। इसमें 200 नियमित कर्मचारी तथा 1300 अवैतनिक संवाददाता थे।

देश की अन्य उल्लेखनीय समाचार समितियों में है- आई.एन.एस., आई.एन.एफ.ए., आई.पी.ए., ई.एन.एस., एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, ए.एन.आई., एन.एन.एस., एन.एफ.के., एन.एस.एस., एन.एफ.आई. एण्ड वर्ल्ड फीचर्स, एसोसिएटेड न्यूज सर्विस, केरल प्रेस सर्विस, कौमुदी न्यूज सर्विस, जे.एण्ड के. न्यूज एजेंसी, जे.ए.आई.के., जे.एच.एफ., जे.एन.एफ. डैप्थ न्यूज एशिया, न्यूज एण्ड फीचर सर्विस सिण्डीकेट, प्रेस एशिया इण्टरनेशनल पब्लिकेशन सिण्डीकेट, न्यूज फोटो एजेंसी, पी.एन.ए., वी.एन.एस., भारत इंटरनेशनल न्यूज सर्विस, यू.एन.एफ.के., समाचार दर्शनी, सर्वोदय प्रेस सर्विस, स्टेट इन्फार्मेशन सर्विस के अलावा अनेक प्रदेशीय समाचार एजेंसियां भी है। केन्द्र सरकार का पत्र सूचना कार्यालय (प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो) भी समाचारपत्रों को सरकारी समाचार देता है। विभिन्न राज्य सरकारों के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग भी समाचार-प्रेषण का कार्य करते हैं।

अनेक बड़े अखबारों ने स्वयं के लिए अपनी निजी समाचार-सेवा चला रखी है। एशियन फीचर एसोसिएशन, कश्मीर फीचर, पी.टी.आई. फीचर सर्विस, आई.एन.एफ.ए., सी.एन.एस., एशिया फीचर्स, रंगरेखा फीचर्स, पान्पा, एडवटाईजिंग फिल्म्स ऑफ इंडिया, प्रेस इंडिया

इण्टरनेशनल, रिचा फीचर्स, पब्लिकेशन सिंडीकेट, आई.पी.ए., सेवरल सिण्डीकेट सर्विस, प्रेस फीचर्स, न्यूज फीचर्स ऑफ इंडिया, लिविंग मीडिया इंडिया, यूनीवार्ता हिन्दी फीचर्स, फेमस फीचर्स, युगवार्ता फीचर एजेंसी आदि फीचर-सेवा तथा न्यूज फोटो एजेंसी, वार्ड एण्ड लाइफ फोटो सर्विस, कैपिटल न्यूज फोटोज समाचार-चित्र प्रेषण का कार्य करती है। केन्द्र व राज्य सरकारें भी फीचर्स और फोटो सर्विस प्रदान करती हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, फैक्स, कम्प्यूटर, इंटरनेट, फोन (एस.टी.डी., आई.एस.डी.आदि भी) से भी समाचारों का आदान-प्रदान होता है। अखबारों के संवाददाता स्वयं घटनास्थल आदि पर जाकर तथा विशेष व्यक्तियों से मिलकर समाचार तैयार करते हैं। अनेक विदेशी समाचार समितियां भी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। दूरदर्शन पर अनेक देशी-विदेशी चैनल और संस्थान समाचार, चित्र और समाचार-समीक्षा प्रसारित करते हैं। हिन्दी में आजकल, आंखों देखी आदि समाचार कार्यक्रम लोकप्रिय होते जा रहे हैं।

17.6 समाचार समिति का संगठन और तकनीकी ढांचा

प्रजातांत्रिक देशों में यह मान्यता बन गई है कि संवाद समिति के संचालन का दायित्व अखबारों पर है। 'रायटर' और 'ए.पी.' जैसी विश्वस्तरीय समाचार समितियों के मालिक अखबार ही हैं। साम्यवादी देशों की समाचार समितियों पर वहां की सरकारों का नियंत्रण है। भारत में भी पी.टी.आई. और यू.एन.आई. जैसी बड़ी समाचार समितियों के मालिक अखबार ही हैं। इनके शेयर अखबारों द्वारा ही खरीदे जा सकते हैं। पी.टी.आई. में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कुछ व्यक्ति प्रबंध-मण्डल में अवश्य होते हैं। प्रबंध-मण्डल समिति के काम में हस्तक्षेप तो नहीं करता, परन्तु उस पर निगाह जरूर रखता है। समाचार-पत्र पंजीयक (महारजिस्टार या आर.एन.आई.) समाचार समितियों पर नजर रखता है।

किसी समाचार समिति का संचालन मुख्यत: उसके महाप्रबंधक तथा प्रधान संपादक करते हैं। प्रबंध शाखा, समाचार शाखा, लेखा शाखा, अभियांत्रिक विभाग आदि समाचार समिति के अंग होते हैं। सम्पादक, सहायक संपादक समाचार संपादक, उपसंपादक, विशेष संवाददाता, क्षेत्रीय संवाददाता, रिपोर्टर, लेखाकार, लेखाधिकारी, इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी तथा लिपिक आदि प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं। समाचार समिति का मुख्यालय महानगरों, विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों तथा महत्वपूर्ण नगरों और अन्य क्षेत्रों से टेलिप्रिंटर, इंटरनेट, ई-मेल फैक्स, फोन, डाक आदि के जरिए अपना सम्पर्क बनाए रखता है। महानगरों और राजधानियों में समाचार संकलित करके मुख्यालय को भेज दिए जाते हैं। कई बार विभिन्न क्षेत्रों से मुख्यालय को सीधे ही समाचार भेज दिए जाते हैं।

किसी भी समाचार समिति के लिए समाचारों का संकलन जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण अपने ग्राहकों (अखबार आदि) को उन समाचारों का वितरण भी है। जिन साधनों के जरिए समाचारों का संकलन किया जाता है, उन्हीं साधनों से उनका वितरण भी किया जाता है। वैसे तो समिति मुख्यालय ही मुख्य रूप से इन सेवाओं का संचालन करता है, परन्तु उसके अन्य कार्यालय भी इस कार्य में सहयोग देते हैं, वस्तुत: समाचारों का संकलन और

वितरण एक टीम-वर्क होता है। समिति से जुड़े सभी छोटे-बड़े उससे सम्बद्ध होते हैं। समाचारों के साथ-साथ फोटो आदि का अंकन, संकलन और वितरण किया जाता है।

समाचार समिति का एक मुख्य अधिकारी कार्यालय प्रमुख होता है, जो समाचारों के संकलन और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह यह भी देखता है कि समिति के मुख्यालय, अन्य कार्यालयों तथा ग्राहक अखबारों आदि के कार्यालयों की मशीनें ठीक से चलती रहें। यदि कोई मशीन या लाइन में खराबी आ जाती है तो वह उसे ठीक कराने की कार्यवाही करता है और तब तक वैकल्पिक व्यवस्था भी करता है। उसको सहयोग करने के लिए अनेक कर्मी होते हैं। संपादन विभाग का भी अपना अलग महत्व है। वस्तुत: सभी विभाग शरीर की विभिन्न इन्द्रियों की भांति होते हैं। किसी एक विभाग को पूरा महत्व नहीं दिया जा सकता। सभी विभागों का सम्मिलित महत्व होता है। सरकारी दफ्तर, पत्र-पत्रिकाओं के कार्यालय आदि सभी समय-समय पर सुस्ताते हैं, आराम करते हैं, अवकाश मनाते हैं, परन्तु समाचार समिति कभी आराम नहीं करती, वह रोजाना और हर समय काम करती रहती है, दिल की तरह। शरीर के विभिन्न अंग समय-समय पर आराम करते रहते हैं, दिल कभी आराम नहीं करता। वह प्रतिदिन चौबीसों घंटे कार्यरत रहता है। यदि दिल कार्य न करे तो शरीर मृत हो जाता है। यही स्थिति समाचार समिति की है।

17.7 समाचार समितियों की समस्याएं

17.7.1 निष्पक्षता का प्रश्न - समाचार समितियों का नियंत्रण प्राय: अखबारों या सरकार के हाथ में होता है। अखबारों ओर सरकारों की अपनी नीतियों होती है। इसलिए समाचार समितियां निष्पक्ष बनी रहे, यह सदैव सम्भव नहीं होता। इनसे सम्बद्ध समितियां प्रभावित हो ही जाती है।

17.7.2 आर्थिक संकट - समाचार समितियां संकलन और कार्यकर्ताओं आदि पर भारी व्यय करती हैं। ग्राहक अखबारों आदि से शुल्क लेकर वे अपना काम चलाती हैं। परन्तु वास्तविक स्थिति यह होती है कि सभी ग्राहकों को समाचार वितरित हो जाते हैं, पर उनसे शुल्क की पूरी वसूली नहीं हो पाती। फलत: वे आर्थिक कष्ट का सामना करने लगती हैं। ऐसी स्थिति में यदि समाचार समिति किसी ग्राहक को समाचार भेजना बन्द कर देती है तो उससे शुल्क वसूल करना और भी कठिन, प्राय: असंभव, हो जाता है। यदि सरकार आर्थिक सहायता देकर उसका घाटा पूरा करने की कोशिश करती है तो समिति के कार्य में सरकारी हस्तक्षेप की संभावना रहती है। समाचार समितियों के कार्यालय, स्टाफ, संवाददाताओं और मशीनों आदि का खर्च तो बढ़ता रहता है, परन्तु उस अनुपात में समाचार सेवा का शुल्क बढ़ाना कठिन होता है। यदि शुल्क बढ़ा दिया जाता है तो वह ग्राहक अखबार दूसरी समाचार समिति से समाचार सेवा लेना शुरू कर देता है और पहली समिति का बकाया शुल्क भी नहीं भेजता। बड़े अखबार अनेक समाचार समितियों से सेवा लेते हैं, परन्तु उनका शुल्क भेजने में लापरवाही बरतते हैं।

17.7.3 देहातों की उपेक्षा - समाचार समितियों के कार्यालय प्राय: महानगरों और मुख्य नगरों में ही होते हैं। देहातों में उनके कार्यालय नहीं होते हैं। देहातों में प्राय: उनके संवाददाता

भी नहीं होते। यदि कहीं होते भी हैं तो उनके पास पूरे साधन नहीं होते। ऐसी स्थिति में देहातों की उपेक्षा हो जाती है। देहातों के समाचार उचित मात्रा में सामने नहीं आ पाते। नगरों की तो छोटी घटनाएं भी प्रकाशित-प्रसारित हो जाती है, देहातों की कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी रह जाती हैं। भारत गांवों का देश है। ऐसे में गांवों की उपेक्षा एक गंभीर बात है।

17.7.4 संवाददाताओं की कमी - कोई भी समाचार समिति पूरे देश में अपने संवाददाताओं की नियुक्ति नहीं कर सकती। आर्थिक कारणों से अधिकांश समितियां पूर्णकालिक संवाददाता कम ही रखती है। प्राय: अंशकालीन संवाददाता रखे जाते हैं। उन्हें बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। फलत: समाचार भेजने के प्रति वे नियमित और संजीदा नहीं रहते। उनके पास अपेक्षित साधन भी नहीं होते। नये वेतन आयोग ने अंशकालीन संवाददाताओं के लिए भी अधिक पारिश्रमिक की व्यवस्था दी है। समाचार समितियों के संवाददाताओं के लिए संकट और भी बढ़ गया है। समितियां भी सांसत में हैं। इसका घातक परिणाम यह होता है कि देश के भीतरी हिस्सों से आधे-अधूरे समाचार ही आ पाते हैं।

17.7.5 विदेशी समाचारों का संकलन - भारतीय समाचार समितियों ने ठीक तरह से प्रगति नहीं की है। देश की दो सबसे बुड़ी समाचार समितियों पी.टी.आई. और यू.एन.आई. के कुछ ही देशों में संवाददाता हैं। 'रायटर' को ब्रिटिश प्रभाव से युक्त माना जाता है। फिर भी उससे समाचार लेने पड़ते हैं। यू.एन.आई. को ए.पी. से समाचार लेने होते हैं। विगत खाड़ी युद्ध के समय कोई भी भारतीय समाचार समिति अपना संवाददाता तक नहीं भेज पाई। विदेशी समाचार समितियों द्वारा भेजे गए समाचारों ने उनका निजी दृष्टिकोण निहित रहता है। फिर भी उन्हीं के समाचारों से काम चलाना होता है। यही समस्या भारत के समाचार विदेशों में भेजते समय भी आती है। विदेशी समितियां अपने हिसाब से चयन करके समाचार लेती हैं। आर्थिक रूप से निर्बल भारतीय समितियां विदेशी संवाददाताओं को अपेक्षित पारिश्रमिक नहीं दे पाती है। इसलिए उन्हें विदेशी समितियों से समझौते करने पड़ते हैं।

17.7.6 समाचारों की सत्यता की पुष्टि कठिन - समाचार समितियों के पास इतना समय, कार्यकर्ता और आर्थिक साधन नहीं होते कि वह निजी तौर पर सभी समाचारों की सत्यता की पुष्टि करा सके। कई बार असत्य समाचार प्रकाशित प्रसारित हो जाने पर बाद में खेद सहित सही समाचार देना पड़ता है। जयप्रकाश नारायण, जगजीवनराम, हरिभाऊ उपाध्याय, रामकिशोर व्यास, सोहनलाल द्विवेदी आदि के निधन के एक बार तो असत्य समाचार जारी हो गए थे। कई दूसरे असत्य समाचार भी सामने आए हैं। समाचार समितियों को अपने संवाददाताओं पर निर्भर रहना होता है। अनेक संवाददाताओं के पास पर्याप्त समय और साधन नहीं होते। कुछ संवाददाता शौकिया, अल्प पारिश्रमिक पर अथवा बिना पारिश्रमिक के काम करते हैं। वे अपने दायित्व के प्रति पूरे गंभीर नहीं होते। सुनी-सुनाई बातों को समाचार बनाकर भेज देते हैं। समाचारों में अटकलबाजी नहीं चलती। संवाददाता द्वारा समाचार भेज दिए जाने पर वह प्रकाशित-प्रसारित होने तक कंपोजर, प्रूफरीडर, उपसंपादक, संपादक आदि के हाथों में होकर गुजरता है। अंतिम हाथों तक पहुंचते-पहुंचते अनेक बार गलत कंपोजीशन या संशोधनों से समाचार का स्वरूप ही बदल जाता है अथवा उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है।

17.7.7 धारावाहिक समाचारों की समस्या- कई विशेष समाचार ऐसे होते हैं जो टुकड़ों में क्रमश: दिए जाते हैं, क्योंकि उनसे सम्बद्ध घटना, कार्य देर तक चलते रहते हैं। क्रिकेट मैच, भूकम्प, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एशियाड और ओलंपिक खेल आदि के समाचार टुकड़ों में लगातार दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सम्बद्ध घटना पर लगातार निगाह रखकर टुकड़ों में समाचार भेजने होते हैं और उन सभी टुकड़ों में धारावाहिकता या तालमेल बनाए रखना होता है। कई बार कोई-कोई समिति इसमें पूरी तरह सफल नहीं रह पाती है। फलत: समाचार श्रृंखलाविहीन रूप में सामने आते हैं और अधिक प्रभावी नहीं रहते। जब कई बार अनेक बड़ी घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो कई समाचार समितियां सभी जगह पर्याप्त संवाददाता नहीं भेज पाती हैं। स्थानीय स्तर तो एक ही संवाददाता को अनेक घटनाओं के समाचार भेजने होते हैं।

17.7.8 खोजी पत्रकारिता संभव नहीं - कोई एक अखबार या संवाददाता किसी स्तर पर भले ही खोजी पत्रकारिता करले, परन्तु किसी समाचार समिति के लिए प्राय: यह संभव नहीं होता। समिति के पास न तो इतने कार्यकर्ता होते हैं, न इतना समय और न ही पर्याप्त साधन तथा वित्तीय व्यवस्था। अत: किसी समाचार समिति के लिए खोजी पत्रकारिता एक बहुत ही कठिन कार्य है।

17.7.9 अनुवाद की समस्या- भारतीय समाचार समितियां विदेशी समाचार अधिकतर अन्तराष्ट्रीय समितियों से ही प्राप्त करती हैं, जो प्राय: अंग्रेजी भाषा में होते हैं। हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के लिए उनका अनुवाद करना होता है। अनुवाद के समय कई त्रुटियां हो जाती हैं। व्यक्तियों और स्थानों आदि के नाम कभी-कभी गलत लिख दिए जाते हैं। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कभी-कभी अंग्रेजी भाषा के देशी समाचारों के भारतीय भाषा में अनुवाद करते समय भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं।

17.8 सारांश

बहुत अधिक साधन नहीं होने पर भी हिन्दी की दोनों समाचार समितियां (भाषा और यूनीवार्ता) समाचार-संकलन और वितरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं अब हिन्दी के बड़े पत्र भी अंग्रेजी समाचार समितियों के मोहताज नहीं रहे वे हिन्दी समाचार समितियों के भरोसे सुचारू रूप से निकल रहे हैं इनमें अंग्रेजी समाचार- समितियों के समाचार गिने- चुने ही होते हैं फिर भी इस बात की आवश्यकता है कि हिन्दी समाचार समितियों में पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जावे उन्हें अंग्रेजी समाचार समितियों के अधिकारियों- कार्यकर्ताओं के अधीन कार्य नहीं करना पड़े उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का पूरा अवसर मिले हिन्दी समाचार समितियों के व्यापक प्रचार-प्रसार का प्रयत्न करें विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी समाचार-सेवा विकसित की जानी चाहिए।

हिन्दी समाचार समितियों के विकास में अनेक कठिनाइयां सामने आ रही हैं। श्रेष्ठ हिन्दी टेलिप्रिण्टर विकसित न हो पाना, समाचारपत्रों के संचालकों के मन में यह भ्रम होना कि अंग्रेजी समाचार- सेवा पूर्ण और श्रेष्ठ है, हिन्दी समाचार सेवा की उपेक्षा आर्थिक साधनों की कमी समुचित पत्रकारों संख्या में और कार्यकर्ताओं की कमी अंग्रेजी संवाद-प्रेषण और वितरण का

पूरी तरह से मुकाबला न कर पाना क्षेत्रीय समाचारों में पूरी तरह से पैठ न हो पाना अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह की हिन्दी का होना शब्दों और भाषा के मानकीकरण की कमी भाषागत एकरूपता की समस्या आदि अनेक बातें है, जिनके कारण हिन्दी समाचार-समितियां और हिन्दी समाचारों के संकलन- वितरण कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है।

17.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

हिन्दी पत्रकारिता: विविध आयाम - 2	डॉ. वेदप्रताप वैदिक
हिन्दी पत्रकारिता: विकास और विविध आयाम	डॉ. सुशीला जोशी
पत्र, पत्रकार और सरकार	काशीनाथ गोविंदराव जोगलेकर
भारत में हिन्दी पत्रकारिता	डॉ. रमेश जैन
हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास	डॉ. रमेश जैन

17.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. 'समाचार समिति' से आप क्या समझते हैं? समाचार समिति और समाचारपत्र में अंतर स्पष्ट करें।
2. समाचार समितियों के विकास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
3. किन्हीं दो विदेशी समाचार समितियों का परिचय दीजिए।
4. तीन प्रमुख भारतीय समाचार समितियों के विषय में विस्तार से जानकारी लिखिए।
5. समाचार समिति के संगठन और तकनीकी ढांचे पर प्रकाश डालिए।
6. समाचार समितियों की मुख्य समस्याएं क्या हैं? इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए।

इकाई 18 समाचारपत्र का संपादकीय विभाग (संरचना एवं कार्यविधि)

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य

18.1 प्रस्तावना

18.2 समाचारपत्र का स्वरूप

18.3 समाचारपत्र का भवन और संपादकीय विभाग

18.4 संपादकीय विभाग की संरचना

18.4.1 प्रधान संपादक

18.4.2 संपादक/कार्यकारी संपादक

18.4.3 संयुक्त या सहायक संपादक

18.4.4 समाचार संपादक

18.4.5 मुख्य उपसंपादक

18.4.6 उप संपादक

18.4.7 विशेष संवाददाता

18.4.8 संवाददाता - (रिपोर्टर)

18.4.9 प्रूफ रीडर

18.4.10 विविध पत्रकार

18.4.11 संदर्भ पुस्तकालय

18.5 संपादकीय विभाग का तकनीकी तंत्र

18.5.1 गैर पत्रकार

18.5.2 क्रीडा रूम या कक्ष

18.5.3 कम्पोज विभाग

18.5.4 मुद्रण विभाग

18.6 संपादकीय विभाग की कार्य-विधि

18.7 वेतन मंडल, श्रमजीवी पत्रकार और गैर पत्रकार कार्य विभाजन

18.8 सारांश

18.9 शब्दावली

18.10 निबन्धात्मक प्रश्न

18.0 उद्देश्य

इलेक्ट्रोनिक मीडिया के शक्तिशाली माध्यम रेडियो और टेलीविजन (दूरदर्शन) पर प्राय: हर घंटे में समाचार सुनने व देखने के बावजूद हर सुबह हमें समाचारपत्रों की प्रतीक्षा क्यों रहती

है? चूंकि रेडियो तथा टेलीविजन पर समाचार सुनाने तथा दिखाने की एक सीमा होती है। पांच से बीस मिनट अवधि के समाचार बुलेटिन प्रसारण में किसी भी समाचार को इतने अधिक विस्तार से स्थान दिया जाना सम्भव नहीं होता। उसकी तुलना में समाचारपत्रों में विस्तार से समाचार देकर हम पाठक की जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं।

मानव सामाजिक प्राणी है और अपनी बात कहने तथा दूसरे की बात सुनना उसका स्वाभाविक गुण धर्म है। हम ग्रामीण जीवन के बारे में जानते हैं कि वहां सदियों से चौपाल की नियमित परम्परा रही है। जहाँ गांवों के लोग एकत्रित होकर आपस में बातचीत करते हैं। इसी तरह गांवों में कुओं तथा पनघट पर सुबह शाम महिलाओं की भीड़ और उनका आपस में बतियाना महिलाओं को कितना अच्छा लगता है। शहरों में काफी हाउसों तथा हथाइयों (ग्रामीण चौपाल की तरह) पर चर्चा के नजारे देखे जाते हैं। इस सारी प्रक्रिया में जानकारी के आदान-प्रदान का सहज भाव देखा जा सकता है और आधुनिक युग में इसे समाचार की संज्ञा देकर समाचारपत्र के रूप में प्रस्तुत करने की परिपाटी आज हमारी रोजमर्रा की आवश्यकता बन पड़ी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में तो समाचारपत्रों की अहमियत को भली भांति देखा और समझा जा सकता है। वहां इसे लोकतंत्र का चौथा आधार स्तम्भ माना जाता है।

समाचारपत्रों की यह महत्ता जानने के बाद हमारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर यह समाचारपत्र कैसे तैयार होते हैं और रोज सुबह हर गली मौहल्ले तथा सुदूर ग्रामीण अंचल में किस प्रकार पहुंच जाते हैं। इस इकाई में हम समाचारपत्र तैयार होने सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इस इकाई से हमें यह जानकारी मिलेगी कि समाचारपत्र को तैयार करने में संपादकीय विभाग की क्या भूमिका होती है? संपादकीय विभाग की संरचना में किन-किन लोगों को शामिल किया जाता है और उनकी क्या-क्या जिम्मेदारी होती है। संपादकीय विभाग के विभिन्न सहयोगियों के बीच कार्य का विभाजन, काम पर निगरानी तथा किसी तरह की परेशानी या समस्या के उत्पन्न होने पर उसके समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग की व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। संपादकीय विभाग की टीम की कार्यविधि क्या होती है और किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक समाचारपत्र तैयार हो पाता है? इन सभी पहलुओं के बारे में इस इकाई में विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा।

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात् आप

- समाचारपत्र के संपादकीय विभाग की आवश्यकता और उपयोगिता को समझ सकेंगे।
- संपादकीय विभाग की संरचना से अवगत हो सकेंगे।
- संपादकीय विभाग की कार्यविधि तथा प्रमुख कार्यो से परिचित हो सकेंगे।
- समाचारपत्रों की तैयारी विभिन्न संस्करण के बारे में जान सकेंगे।
- नई सूचना प्रौद्योगिकी के बाद समाचारपत्रों के संपादकीय विभाग में क्या परिवर्तन आए हैं, इसे अच्छी तरह जान सकेंगे।

18.1 प्रस्तावना

भारत दुनिया के प्राचीनतम देशों में से है। जिसकी सभ्यता संस्कृति की विशिष्टता लोगों के आकर्षण का केन्द्र रही है। सदियों-सदियों से यहाँ श्रुत ज्ञान की परम्परा रही। ऋषि

मुनियों ने गुरु-शिष्य परम्परा में इस ज्ञान को पीढ़ियों तक संजोये रखा। चौदहवीं शताब्दी में जब छापाखाना अस्तित्व में आया तब इस ज्ञान को पुस्तकों, ग्रंथों इत्यादि के रूप में संग्रहीत करने और सुरक्षित रखने की प्रणाली आरम्भ हुई। भारत में प्राचीन काल में भोजपत्रों पर ज्ञान भण्डार को सुरक्षित रखा जाता था। मुद्रण प्रौद्योगिकी ने जानने अथवा सूचना के अधिकार को पुस्तकों एवं समाचारपत्रों के रूप में प्रस्तुत करने में क्रान्तिकारी कार्य किया। आज रेडियो, फिल्म, टेलीविजन (दूरदर्शन) के साथ समाचारपत्र जनसंचार का सशक्त साधन हैं।

समाचारपत्र के रूप में हम इस इकाई में दैनिक पत्रों के सम्पादकीय विभाग की संरचना और उसकी कार्यविधि से जुड़े पहलुओं पर विचार करेंगे। समाचारपत्रों को तैयार करने की तकनीक में काफी अन्तर आ चुका है। इसका प्रभाव संपादकीय विभाग की संरचना और उसकी कार्यविधि पर भी पड़ा है। हम इस इकाई में समाचारपत्र के इस पक्ष के पुराने और वर्तमान स्वरूप का भी उल्लेख करेंगे ताकि आप दोनों व्यवस्थाओं के बारे में जान सकें। हमारा यह प्रयास होगा कि इस इकाई के अध्ययन से आप संपादकीय विभाग के जीवन्त स्वरूप से व्यावहारिक तौर पर अवगत हो सकें। इस दृष्टि से विभिन्न माध्यमों के सर्वज्ञात अनुभवों का समावेश करते हुए इकाई को सैद्धांतिक पक्ष के साथ व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा।

पूर्व में कहा जा चुका है कि समाचारपत्र विशेषकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में रोजमर्रा की जिन्दगी का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुके हैं। स्वाभाविक रूप से सभी देशों में समाचारपत्रों का प्रकाशन होता है और इसके लिए संपादकीय विभाग अनिवार्य है। समाचारपत्र अपने-अपने देशों में अपनी-अपनी भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। समाचारपत्रों के प्रस्तुतीकरण में भी इसका अंतर देखा जा सकता है और समय के साथ साथ प्रस्तुति और उसकी शैली में परिवर्तन स्वाभाविक हैं।

इसके बावजूद मौटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाचारपत्र तैयार करने में संपादकीय विभाग को विभिन्न स्रोतों से समाचारों को एकत्रित करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी क्रम में समाचारों के चयन और संपादन का दायित्व निभाना पड़ता है। किसी विशेष घटनाक्रम पर संबंधित समाचारपत्र का दृष्टिकोण संपादकीय पृष्ठों पर प्रस्तुत करना होता है। एक जमाने में इस मामले में संपादक पूरी तरह स्वतंत्र होते थे, लेकिन अब मालिकों के हित के अनुरूप नीति निर्धारण होता है। फिर भी समाचार-पत्रों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने में संपादकीय विभाग की महत्वपूर्ण और केन्द्रीय भूमिका होती है।

18.2 समाचारपत्र का स्वरूप

समाचारपत्र के संपादकीय विभाग की संरचना के बारे में जानने से पहले हमें समाचारपत्रों के स्वरूप के बारे में अवगत होना जरूरी है। हम पहले जान चुके हैं कि समाचारपत्रों की क्या उपयोगिता है और किस तरह ये हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन चुके हैं। इस इकाई में हम भारत के संदर्भ में समाचारपत्रों के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे।

भारत में मोटे तौर पर समाचारपत्रों के स्वरूप को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। इन्हें राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। चूंकि नई

दिल्ली हमारी राजधानी है, इसलिए वहाँ से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों को राष्ट्रीय समाचारपत्र की संज्ञा दी जाती है। इनमे हिन्दी के दैनिक हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, पंजाब केसरी, जागरण, राष्ट्रीय सहारा तथा अंग्रेजी में हिन्दुस्तान टाइम्स, स्टेट्समेन, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिन्दू इत्यादि समाचारपत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनमें से कुछ समाचारपत्रों ने पिछले कई वर्षो से प्रादेशिक राजधानियों तथा अन्य केन्द्रों से अपने विभिन्न संस्करणों का प्रकाशन आरम्भ किया है। इनके अलावा कुछ समाचारपत्रों यथा पंजाब केसरी, जागरण आदि ने अन्य प्रदेशों से आगे बढ़कर राजधानी नई दिल्ली से अपने संस्करण प्रकाशित कर अपने समाचारपत्रों को राष्ट्रीय समाचारपत्रों की श्रेणी में शामिल कर लिया है।

इसी तरह प्रादेशिक राजधानियों से प्रकाशित किये जाने वाले समाचारपत्र प्रादेशिक स्तर के समाचारपत्रों की श्रेणी में सम्मिलित किये जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से इन समाचारपत्रों का प्रकाशन भी संभाग मुख्यालय अथवा अन्य प्रमुख प्रकाशन केन्द्र से नए संस्करण के रूप में किया जाने लगा है। राजस्थान में राजस्थान पत्रिका ने जयपुर, के बाद जोधपुर, उदयपुर और कोटा आदि से अपने नए संस्करणों का प्रकाशन आरम्भ किया। दैनिक नवज्योति ने अजमेर के बाद जयपुर से प्रादेशिक स्तर पर अपने संस्करण की शुरुआत की। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नवभारत टाइम्स तथा टाइम्स आफ इंडिया ने जयपुर से अपने संस्करणों का प्रकाशन आरम्भ किया और कुछ वर्षो के बाद यह प्रकाशन बन्द कर दिए गए। अंग्रेजी के हिन्दुस्तान टाइम्स ने जयपुर से अपना प्रकाशन आरम्भ किया है। दैनिक भास्कर ने जयपुर से अपने प्रकाशन की शुरुआत की तथा राजस्थान पत्रिका से प्रतिस्पर्धा के चलते दोनों समाचारपत्रों में राज्य के विभिन्न शहरों से अपने नए-नए संस्करण प्रकाशित करने की होड़ मची हुई है।

इस परिदृश्य से पहले संभाग स्तर पर या जिला स्तर पर अथवा किसी प्रमुख शहर से प्रकाशित किये जाने वाले समाचारपत्रों को स्थानीय समाचारपत्रों की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन राष्ट्रीय तथा फिर प्रादेशिक स्तर के समाचारपत्रों के संस्करण जगह-जगह से प्रकाशित किये जाने की प्रतिस्पर्धा में स्थानीय समाचारपत्रों का अस्तित्व भी संकट में पड़ गया है। क्षेत्रीय संस्करणों के प्रकाशन से समाचारों का दायरा भी सिमटता जा रहा है तथा समाचारपत्र अपने अंचल तक के समाचारों तक सीमित हो गए हैं। स्थिति यह हो गई है कि एक संभाग या प्रमुख प्रकाशन केन्द्र से प्रकाशित होने वाले संस्करण में उसी क्षेत्र के समाचारों का समावेश होता है और कुछ प्रमुख समाचारों को छोड़कर पाठक को यह पता नहीं चल पाता कि राज्य के दूसरे संभाग में क्या कुछ घट रहा है अथवा वहां के समाचार क्या हैं। इस स्थिति का एक लाभ यह हुआ है कि अब समाचारपत्रों के अलग-अलग संस्करणों में उस क्षेत्र के गांवों कस्बों तक के समाचारों को स्थान मिलने लगा है लेकिन एक अंचल से दूसरे अंचल में घटित होने वाले घटनाक्रम के बारे में लोग अनजान से रह जाते हैं। अलबत्ता कोई बड़ा हादसा या दुर्घटना घटने पर संबंधित समाचार सभी संस्करणों में प्रकाशित किया जाता है। स्वाभाविक रूप से ऐसे समाचार राष्ट्रीय स्तर के समाचारपत्रों में भी स्थान पाते हैं।

समाचारपत्रों के संस्करण प्रकाशन की होड़ के चलते पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने एक बार मजेदार टिप्पणी की थी कि इससे नेताओं को बहुत फायदा हो रहा है। श्री चन्द्रशेखर का कहना है कि एक नेता देश के एक कोने में कही गई बात को पलटकर दूसरे कोने में और किसी अंदाज में कह लेता है और लोगों को इस बारे में पता नहीं चल पाता।

राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय समाचारपत्रों की श्रेणी के अलावा साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं का भी प्रकाशन होता है। लेकिन इनमें राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक महत्व के कुछ पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए सम्पादकीय विभाग की व्यवस्था होती है। लेकिन प्रस्तुत इकाई में हम दैनिक समाचारपत्रों के संपादकीय विभाग की संरचना और इसकी कार्यविधि के बारे में अध्ययन करेंगे।

18.3 समाचारपत्र का भवन और सम्पादकीय विभाग

समाचारपत्र के प्रकाशन के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है। यह स्थान किराये के रूप में भी हो सकता है और खुद का भवन भी हो सकता है। समाचारपत्र के कार्यालय के रूप में जो भी स्थान या भवन उपलब्ध है उसमें अलग-अलग कक्ष अथवा इकाइयाँ होती हैं जो समाचारपत्र प्रकाशन की व्यवस्था से जुड़ी होती है। इनमें सम्पादकीय विभाग, कम्पोजिंग शाखा, फोटो शाखा, मुद्रण (प्रिन्टिंग प्रेस) कक्ष, विज्ञापन, वितरण शाखा तथा कार्यालय व्यवस्था इत्यादि शामिल हैं।

हमें समाचारपत्र के संपादकीय विभाग के बारे में अध्ययन करना है, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। समाचारपत्र के प्रकाशन में संबंधित विभागों का अपना-अपना योगदान तथा महत्व होता है। लेकिन संपादकीय विभाग मुख्य केन्द्र बिन्दु होता है। यह शरीर में आत्मा के समान है। संपादकीय विभाग द्वारा तैयार की गई प्रकाशन सामग्री के आधार पर समाचारपत्र तैयार होते हैं। एक जमाना था जब संपादकीय विभाग के रूप में एक छोटी सी मेज और दो-तीन कुर्सियों से काम चल जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है और संपादकीय विभाग का विस्तार हो गया है। समाचारपत्र के कार्यालय भवन में संपादकीय विभाग के लिए अब काफी बड़े स्थान की व्यवस्था की जाती है। भवन के अनुरूप प्रधान संपादक तथा अन्य संपादकीय सहयोगियों के लिए अलग-अलग कक्ष की व्यवस्था की जाती है।

किसी भवन के विशाल हाल में अलग अलग केबिन बनाकर संपादकीय विभाग से जुड़े सहयोगियों को कार्य करने का अवसर दिया जाता है। ये केबिन एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं, लेकिन एक स्थान से दूसरे सहयोगी को कार्य करते हुए देखा जा सकता है। नई दिल्ली में नवभारत टाइम्स के बड़े हाल में सम्पादकीय विभाग की संरचना इसी प्रकार की है। किसी समाचारपत्र कार्यालय में बड़े हाल में एक बड़ी चौकोर मेज या गोल मेज के चारों ओर संपादकीय विभाग के सहयोगी आसपास बैठकर काम करते हैं। जयपुर में राजस्थान पत्रिका के संपादकीय विभाग में ऐसी व्यवस्था है।

वर्षों पहले समाचारपत्रों की छपाई तथा कम्पोजिंग की जो व्यवस्था थी उसमें अब बहुत परिवर्तन हो चुका है। इससे संपादकीय विभाग के स्वरूप पर भी असर पड़ा है। अब कम्प्यूटर का जमाना है। पहले पत्रकार हाथ से समाचार लिखते थे फिर टाइप करके समाचार देने का युग

आया और अब तो सीधे कम्प्यूटर पर समाचार देने का जमाना आ गया। रिपोर्टर की डेस्क पर कम्प्यूटर टर्मिनल लगा दिया जाता है और उप सम्पादक, समाचार संपादक आदि सहयोगी अपनी डेस्क पर बैठे-बैठे कम्प्यूटर तकनीक से रिपोर्टर के समाचारों में आवश्यकतानुसार संशोधन तथा हैडिंग लगाकर पेज मेकअप कक्ष को भेज सकते हैं। कम्प्यूटर की स्क्रीन पर पेज का मेकअप तथा आवश्यकतानुसार इसमें फेरबदल की गुंजाइश होती है। अब तो माडेम तथा संचार उपग्रह लिंक के माध्यम से पूरा अखबार एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैयार करने की सुविधा सुलभ हो गई है। संपादकीय विभाग को समाचारों का गलियारा कहा जाता है। संपादकीय विभाग में समाचार समितियों की टेलीप्रिन्टर मशीनों (अथवा कम्प्यूटर मॉडेम पर समाचारों की प्राप्ति) अपने संवाददाताओं द्वारा प्राप्त खबरें, प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा मिलने वाली खबरों तथा फोटोग्राफ इत्यादि में से खबरों का चयन एवं संपादन किसी समाचारपत्र के संस्करणों की संख्या के आधार पर पारी दर पारी चलता रहता है।

इसी तरह समाचारपत्र की प्रसार संख्या का अपना महत्व होता है और इसी के आधार पर समाचारपत्र के प्रसार क्षेत्र का निर्धारण होता है। लंदन टाइम्स के एम. जे. मैन्सफील्ड ने सम्पादकीय विभाग का मूल्यांकन बहुत सटीक शब्दों में इस प्रकार किया है - किसी समाचारपत्र कार्यालय में सम्पादकीय विभाग का कमरा वह कमरा होता है जहां विश्वभर की कानाफूसियां होती हैं।

18.4 संपादकीय विभाग की संरचना

अब तक हम समाचारपत्र के सम्पादकीय विभाग के बाहरी स्वरूप से सम्बन्धित चर्चा कर चुके हैं। इस इकाई में संपादकीय विभाग की संरचना का विस्तार से अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। हमारी यह कोशिश होगी कि विभिन्न उदाहरणों सहित संपादकीय विभाग से जुड़े सहयोगियों की कार्यप्रणाली से आपको अवगत कराया जाए। संपादकीय विभाग के किस सहयोगी की समाचारपत्र में क्या भूमिका होती है, इसकी भी जानकारी मिल सकेगी।

एक जमाने में संपादकीय विभाग में कार्यरत पत्रकारों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। किन्तु अब ऐसा नहीं है। समाचारपत्रों की पृष्ठ संख्या बढ़ने, एक से अधिक संस्करणों का प्रकाशन तथा आधुनिक तकनीक की वजह से अधिक प्रेस मैटर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तर पर भी समाचारपत्रों में पत्रकारों की संख्या पांच-दस से लेकर डेढ से दौ सौ तक पहुँची है जो विभिन्न पारियों में कार्य करते हैं। इस तरह सम्पादकीय विभाग का कक्ष सुबह के कुछ घंटों के अलावा दिन रात गतिशील बना रहता है।

18.4.1 प्रधान संपादक -

किसी भी समाचारपत्र का मुखिया प्रधान सम्पादक होता है, जिसके मार्गदर्शन में समाचारपत्र का प्रकाशन होता है। एक जमाना था जब प्रधान सम्पादक समाचारपत्र की रीति नीति तय करते थे और संपादक विशेष से समाचारपत्र की साख जुड़ी होती थी।

प्रधान सम्पादक पत्र की रीति-नीति और व्यवस्था के अनुसार संपादकीय विभाग के सहयोगियों के चयन से लेकर उनके बीच कार्य- विभाजन तथा उसके निरीक्षण का दायित्व निभाते हैं। समाचारपत्र में प्रकाशित की जाने वाली प्रत्येक सामग्री के लिए कानूनी रूप से संपादक तथा उसके प्रकाशक को उत्तरदायी माना जाता है। इसलिए संपादक शब्द की व्याख्या 1867 के प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक एक्ट में इस प्रकार की गई है - Editor means the Person who controls the selections of the matter that is published in a news paper. इसी नियम के अनुसार प्रकाशित समाचारपत्र के प्रत्येक अंक पर मुद्रक और प्रकाशक के साथ संपादक का नाम भी प्रकाशित किया जाता है।

पिछले दशकों में संपादक संस्था का निरन्तर अवमूल्यन हुआ है। समाचारपत्रों की प्रबन्ध व्यवस्था में मालिकों-प्रबन्धकों का सीधा हस्तक्षेप होने से संपादकीय स्वतंत्रता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अब समाचारपत्रों में प्रबन्धक प्रधान होते जा रहे हैं। आर्थिक समाचारपत्रों में तो संपादक मार्केटिंग के पद सृजित किये जाने लगे हैं। हिन्दी के प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक पत्र जनसत्ता में कार्यकारी सम्पादक का नाम पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार के रूप में लिखा जाने लगा है। अन्य कई समाचारपत्रों ने भी इसका अनुसरण किया है। जैसे नवभारत टाइम्स नई दिल्ली।

इस सबके बावजूद समाचारपत्रों में प्रधान संपादक या संपादक का अहम स्थान है। जो नियमित रूप से प्रकाशित समाचारपत्र को आम पाठकों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि समाचारपत्र का प्रकाशन एक टीम वर्क के रूप में होता है और स्वाभाविक रूप से संपादक इस टीम का कप्तान होता है। प्रधान सम्पादक या संपादक समाचारपत्र के संपादकीय विभाग के प्रमुख के नाते अपने सहयोगियों को आवश्यक दिशा निर्देश देता है। वह अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ प्राय: नियमित रूप से बैठकर बुलाकर विचार-विमर्श करता है तथा प्रकाशित समाचारपत्र की समीक्षा के साथ अगले दिन प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र के बारे में चर्चा करता है।

समाचारपत्र के संचालक या संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समाचारपत्र को चलाने की जिम्मेदारी सम्पादक पर होती है। इसलिए अनुभवी और सुयोग्य संपादक के बलबूते पर अखबार लोकप्रियता अर्जित करते हैं। उदाहरण के तौर पर खेल के मैदान में तो मैच अन्तराल से होते हैं। जहां कप्तान नेतृत्व कसौटी पर कसा जाता है, लेकिन समाचारपत्र ऐसा मैदान है जहां पर हर रोज तथा समाचार का प्रत्येक संस्करण मैच के समान होता है। पिछले कुछ अर्से से प्रधान संपादक की जगह केवल संपादक पदनाम का प्रचलन होने लगा है। अलबत्ता किसी समाचारपत्र समूह में प्रधान सम्पादक का प्रावधान होता है।

18.4.2 संपादक/कार्यकारी संपादक

समाचारपत्रों की प्रबन्ध व्यवस्था में पिछले कुछ दशकों से मालिक संपादक की अवधारणा भी बलवती हुई है। इस व्यवस्था में मालिक का नाम समाचारपत्र के प्रमुख संपादक के रूप में दिया जाता है तथा कार्यकारी या अधिशाषी संपादक के नाते कामकाज कोई वरिष्ठ पत्रकार या संपादक संभालता है।

आजकल समाचारपत्र समूहों के विभिन्न प्रदेशों से अलग-अलग संस्करण प्रकाशित किए जाने की परम्परा भी चल पड़ी है। इस व्यवस्था में स्थानीय संपादक की नियुक्ति कर संबंधित प्रदेश के संस्करण का प्रकाशन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में दैनिक भास्कर का प्रकाशन जाने माने लेखक कमलेश्वर की संपादक के रूप में नियुक्ति के साथ किया गया लेकिन समाचार पत्र का प्रकाशन जयपुर सहित विभिन्न शहरों से अलग अलग प्रभारी संपादकों की देखरेख में होता है। कार्यकारी संपादक या स्थानीय संपादक अथवा प्रभारी संपादक संबंधित समाचारपत्र के प्रकाशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

रोजाना अपने सहायक संपादकों की बैठक में अखबार के नवीनतम संस्करण का मूल्यांकन और अगले संस्करण की रूपरेखा के बारे में संपादक विचार विमर्श करते हैं। इस बैठक में अन्य प्रतिस्पर्धी समाचारपत्रों से अपने पत्र की तुलना भी की जाती है। ताकि रह गए अथवा छूट गए समाचारों का फालोअप हो सके। संपादक अपने सहयोगियों को उनकी योग्यता, अनुभव एवं विशेष रुचि के अनुरूप अलग-अलग दायित्व सौंपता है और सहज भाव से उनके काम का मूल्यांकन भी करता है ताकि आवश्यकतानुसार भविष्य में और उत्तरदायित्व दिये जा सके। संपादकीय कार्य और निरीक्षण की इस प्रक्रिया में संपादक को भी विभिन्न विषयों के गहन अध्ययन तथा नवीनतम जानकारी से अवगत रहना चाहिए तभी वह अपनी टीम का सुयोग्य नेतृत्व कर पाता है तथा अखबार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सफलता हासिल करता है।

18.4.3 संयुक्त या सहायक संपादक

समाचारपत्र के स्वरूप के मुताबिक संयुक्त संपादक या सहायक संपादक अथवा दोनों पदों पर अलग-अलग पत्रकार की नियुक्ति कर समाचारपत्र संपादन के कार्यो को अंजाम दिया जाता है। इनकी मुख्य भूमिका प्रधान संपादक के सहयोगी के रूप में होती है और बड़े समाचारपत्रों की व्यवस्था में उनके अलग-अलग कार्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। संपादकीय विभाग के सहयोगियों के कार्यो के निरीक्षण एवं दिशा निर्देश के साथ सहायक संपादक अग्रलेख, संपादकीय, टिप्पणियों, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की समीक्षा, फीचर लेखन इत्यादि प्रवृत्तियों में सक्रिय रूप से हिस्सेदार होते हैं। इसलिए इन्हें गहन अध्ययन करना जरूरी होता है। दरअसल संपादकीय विभाग के ये मजबूत स्तम्भ हैं जो जनमत तैयार करने तथा समाचारपत्रों के माध्यम से लोक शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका सीधा संबन्ध समाचारपत्र के विचार पक्ष से होता है तथा समाचारों के नवीनतम घटनाक्रम पर निगाह रखते हुए तत्काल टिप्पणी चाहे वह अग्रलेख या सम्पादकीय के रूप में हो प्रस्तुत करनी होती है।

18.4.4 समाचार संपादक

समाचार संपादक को हम संपादकीय विभाग का मेरूदण्ड कह सकते हैं। खबरों के लहराते समुद्र में से मोती के रूप में चुनिन्दा समाचारों का अखबारों में प्रस्तुतीकरण समाचार संपादक की समझबूझ, कार्यकुशलता और नेतृत्वक्षमता का परिचायक होता है।

संपादकीय विभाग के सहयोगियों के बीच आपसी समन्वय तथा अलग-अलग पारियों में उनकी डयूटी का निर्धारण समाचार संपादक के जिम्मे होता है। अगर अखबार में कोई महत्वपूर्ण

खबर छूट गई है तो इसके लिए समाचार सम्पादक को जिम्मेदार माना जाता है। समाचारपत्र के संवाद संकलन से लेकर उसके संपादन तथा प्रस्तुतीकरण का गुरुतर उत्तरदायित्व भी उसे निभाना पड़ता है। समाचारों से संबंधित सभी क्रिया कलापों का दारोमदार समाचार संपादक पर होता है। किसी भी समाचारपत्र के विभिन्न संस्करणों में जो भी समाचार प्रकाशित किये जाते हैं उनका उत्तरदायित्व समाचार संपादक पर होता है। अखबार में समाचार से संबंधित सभी कार्य कलाप का संयोजक समाचार संपादक को करना होता है। इसलिए उससे सतत जागरूक रहना होता है। समाचारपत्र के प्रकाशन केन्द्र पर संवाद संकलन की व्यवस्था का गुरुतर दायित्व उसे निभाना होता है। वही समाचारपत्र से जुड़े संवाददाताओं से सीधे संपर्क रखने और समाचार विशेष के संकलन इत्यादि के बारे में आवश्यक निर्देश भी उसे देने होते हैं। इसी तरह विदेशों में कार्यरत अपने समाचारपत्र के संवाददाता या ब्यूरो प्रभारी से भी समाचार संपादक को सम्पर्क रखना होता है। बड़े समाचारपत्रों में समाचार संपादक के सहयोग के लिए कई बार संयुक्त या उप समाचार संपादक की नियुक्ति भी की जाती है।

18.4.5 मुख्य उप-संपादक

समाचारपत्र के संपादकीय विभाग में मुख्य उप संपादक वह शिल्पकार है जिसे आम पाठक नहीं जानता लेकिन उसके सृजन को वह रोजाना अखबार के रूप में देखता है। समाचार संपादक की जिस तरह रीढ़ की हड्डी के रूप में गिनती होती है और उसके सहयोगी उप संपादकों की गिनती कड़ियों के रूप में होती है जो मेरुदण्ड को सीधा रखते हैं।

प्रत्येक अखबार के संस्करणों की संख्या के अनुरूप संपादकीय विभाग के सहयोगियों की टीम पारी के अनुरूप बनाई जाती है। इस पारी का मुखिया मुख्य उप संपादक होता है। जो अपने सहयोगी उप संपादकों के माध्यम से समाचारों के संपादन में महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देता है। समाचारों पर उपयुक्त शीर्षक लगाना समाचारपत्र के प्रथम पृष्ठ से लेकर आखिरी पृष्ठ पर समाचारों के प्रस्तुतीकरण के क्रम को निर्धारित करना और संस्करण के छपने के लिए प्रेस में जाने तक नवीनतम समाचारों के समावेश तथा समाचार के पृष्ठों की सजावट की अहम जिम्मेदारी मुख्य उप संपादक के बलिष्ठ कंधों पर होती है।

मुख्य उप संपादक और उप संपादकों में मुख्य रूप से चार गुणों 1 बहु श्रुत और बहु ज्ञ 2 एकाग्रता 3 सहिष्णुता गुण ग्राहकता तथा मेल से काम करने की भावना और 4 समाचार में रुचि, होना आवश्यक माने गए हैं। मुख्य उप संपादक में तो इनकी अनिवार्यता अतिवांछनीय है।

मुख्य उप संपादक अपने सहयोगी उप संपादकों को उनकी रुचि के समाचारों को संपादन के लिए देता है और फिर उनकी कापी को जांचता है। जरूरत के अनुसार वह खुद भी संपादन करता है अथवा अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद सहित अन्य कार्य करने होते हैं। वह ऐसा मुख्य हलवाई है जो अपनी निगरानी में रसोई तैयार करवाता है। ब्रिटेन के डेली एक्सप्रेस के आर.डी. ब्यूमफील्ड ने उप संपादक को क्रियाशील कलाकार की संज्ञा दी है।

18.4.6 उप-संपादक

संपादकीय विभाग की संरचना में उप संपादक वह महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके बिना अच्छे समाचारपत्र का प्रस्तुतीकरण नहीं हो पाता। मुख्य उप संपादक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर

उप संपादकों की टोली अखबार के ताजा संस्करण को बेहतर और पठनीय बनाने में जुटी रहती है। समाचारपत्र के स्वरूप के अनुसार उसमें उप संपादकों की संख्या निर्धारित की जाती है। सहज बुद्धि से समाचार के प्रवाह को पहचानने की क्षमता उप संपादक का विशेष गुण है।

समाचारपत्र में विज्ञापन के अलावा समाचारों के लिए जो स्थान होता है, उसे भरने का काम उप संपादक को निभाना पड़ता है। विभिन्न शहरों में कार्यरत समाचार पत्रों के संवाददाताओं और सिटी रिपोर्टर तथा विशेष संवाददाता सहित समाचार समितियों से प्राप्त समाचारों के संपादन और शीर्षक लगाकर उन्हें मुख्य उप संपादक के माध्यम से कम्पोजिंग और प्रेस में छपाई के लिए भेजने का दायित्व उप संपादक के जिम्मे होता है। उप संपादक को मशीन की नाड़ी संस्कारी सेंसर, समाचार सर्जन तथा अज्ञात सैनिक तक की संज्ञा दी गई है। सुयोग्य उप संपादक किसी भी समाचारपत्र की नींव के पत्थर होते हैं और उनकी संपादन कला से अखबार कसौटी पर कसा जाता है।

18.4.7 विशेष संवाददाता

जैसा कि नाम से विदित है विशेष संवाददाता की अपने समाचारपत्र में अहम भूमिका है। वह एक तरह से अपने पत्र का प्रतिनिधि होता है। वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर विशेष संवाददाता की नियुक्ति की जाती है। अपने नाम के अनुरूप विशेष संवाददाता अखबार के लिए विशिष्ट (Exclusive) समाचार देने का प्रयास करते हैं। केन्द्र स्तर पर तथा राज्यों की राजधानियों में विशेष संवाददाता को संसद तथा विधानसभा के कवरेज और किसी मंत्रालय या विभाग विशेष की जिम्मेदारी दी जाती है। वह विशिष्ट व्यक्तियों से अपने समाचारपत्र के लिए इन्टरव्यू लेता है तथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रियों के साथ आवश्यकतानुसार विदेशी दौरों में साथ जाता है।

विशेष संवाददाता एक स्वतंत्र पक्षी के समान है जो अखबार के रोजमर्रा कार्यो से बंधा नहीं होता लेकिन समाचारों तथा घटनाक्रम के बारे में उसकी गिद्ध दृष्टि होती है। इसी आधार पर वे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को बेहतर समीक्षा करने में सक्षम होते हैं।

18.4.8 संवाददाता (रिपोर्टर)

संपादकीय विभाग के लिए संवाददाता उस नदी के समान है जो समुद्र में समाचार रूपी जलराशि लेकर आती है। अखबार जिस स्थान से प्रकाशित होता है वहां के समाचारों के संकलन के लिए नगर संवाददाता अथवा सिटी रिपोर्टर (आवश्यकतानुसार एक से चार- पांच तक) नियुक्त किए जाते हैं। संख्या के अनुसार इनका कार्यविभाजन किया जाता है। खेल, सांस्कृतिक वाणिज्य तथा विभिन्न समारोह से संबंधित समाचारों का संकलन इन संवाददाताओं द्वारा किया जाता है। इसी तरह कार्यालय संवाददाता, समाचारपत्र कार्यालय में आने वाली प्रेस विज्ञप्तियों के आधार पर समाचार बनाते हैं। संबंधित विभागों की प्रेस विज्ञप्ति रिपोर्टर को दी जाती है। सीनियर रिपोर्टर को चीफ रिपोर्टर बनाया जाता है जो अपने सहयोगी संवाददाताओं से काम लेते हैं। इसी तरह वरिष्ठ संवाददाता बनाए जाते हैं। समाचारपत्र प्रकाशन केन्द्र से बाहर के शहरों में भी अंशकालीन संवाददाता (स्ट्रिंगर) नियुक्ति किये जाते हैं जो समाचार प्रेषण का काम करते हैं।

18.4.9 प्रूफ रीडर

किसी भी समाचारपत्र में प्रूफ रीडर का अहम स्थान होता है। जो समाचारों की गलतियों को ठीक करने का सावधानी भरा कार्य करते हैं। प्रूफ रीडर को भी अब श्रमजीवी पत्रकार की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। उत्तर भारत में प्रूफ रीडरों के कार्य को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में प्रूफ रीडर को वरिष्ठ उप संपादक का दर्जा दिया जाता है और उसे समाचार में प्रूफ ही नहीं बल्कि वाक्य सुधारने इत्यादि का भी अधिकार होता है।

प्रूफ रीडर को भाषा तथा व्याकरण की अच्छी जानकारी होना जरूरी है। प्रूफ रीडर की जरा सी गलती समाचारपत्र की छवि को धूमिल कर सकती है। प्रूफ रीडर के समान कापी होल्डर होता है जो प्रेस कापी को पड़ता है।

मुद्रण की तकनीक बदलने से अब प्रूफ रीडर की परम्परागत भूमिका गौण होने लगी है। अब कम्पोजिंग कम्प्यूटर से होने लगा है और इसकी स्क्रीन पर समाचार को संशोधित कर लिया जाता है। इसलिए प्रूफ रीडर के कार्य का तरीका बदल गया है।

18.4.10 विविध पत्रकार

संपादकीय विभाग की संरचना में हम अब तक विभिन्न सहयोगी संपादकों, संवाददाताओं के दायित्व के बारे में परिचित हो चुके हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जिनकी संपादकीय विभाग को आवश्यकता रहती है और उनका कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है।

एक समाचारपत्र को तैयार करने और उसे सजाने-संवारने में कई लोगों को आपसी तालमेल से काम करना पड़ता है। हम रोजाना समाचार पढ़ते हैं लेकिन खास फोटो या कार्टून हमारा ध्यान सहसा आकर्षित कर लेते हैं। एक कार्टून या फोटो की सम्प्रेषणीयता इतनी प्रबल होती है जो कई बार हजार शब्दों के माध्यम से भी व्यक्त नहीं हो पाती। इसलिए अधिकांश समाचारपत्रों में स्थान विशेष पर पाकेट कार्टून प्रकाशन की परम्परा लोकप्रिय हो गई है। इसी तरह किसी विशेष घटनाक्रम पर अथवा समाचार को लेकर विशेष कार्टून दो से तीन कालम में प्रकाशित किए जाते हैं। कई बार कार्टूनिस्ट अपने शहर में आए किसी विशिष्ट व्यक्ति या उससे संबंधित समारोह में कार्टून बनाकर उस पर उस हस्ती के हस्ताक्षर करवाकर अपने अखबार के लिए यादगार कार्टुन संजोते हैं। इसलिए कार्टूनिस्ट संपादकीय विभाग का आवश्यक अंग हो गया है।

इसी तरह प्रेस फोटोग्राफर समारोह विभिन्न तरह के घटनाक्रम तथा सम सामयिक विषयों के छायाचित्रों से अखबार की सजीवता और सुन्दरता को बढ़ा देते हैं। कई बार दुर्लभ फोटोग्राफ अविस्मरणीय बन जाते हैं। अब तो समाचारपत्रों में एक से अधिक प्रेस फोटोग्राफर रखने की होड़ लग गई है। जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र प्रेस फोटोग्राफर तथा न्यूज एजेन्सी भी समाचारपत्रों को छायाचित्र उपलब्ध करवाती है।

खेल समाचार किसी भी अखबार का लोकप्रिय पृष्ठ होता है। खेल समाचारों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कई समाचारपत्र दो-दो पृष्ठों में खेल समाचार देने लगे हैं। ओलम्पिक

खेलों के समय तो इन पृष्ठों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। फिर अलग-अलग खेलों के जानकार अलग होते हैं। जिनसे खेल समाचारों का संकलन कराया जाता है। इसलिए समाचार पत्रों आवश्यकतानुसार एक से अधिक खेल संवाददाता और खेल संपादक नियुक्त किए जाते हैं जो अखबार के खेल पृष्ठ को अधिक प्रभावी और सजीव बनाने की कोशिश करते हैं।

इसी तरह अर्थ और वाणिज्य समाचारों का प्रचलन भी तेजी से बढ़ा है। व्यापार वाणिज्य उद्योग तथा अर्थ से संबंधित समाचारों, शेयर बाजार तथा मंडियों के बाजार भाव इत्यादि के लिए समाचारपत्रों के एक से दो तीन पृष्ठ सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके लिए भी संपादकीय विभाग में आर्थिक डेस्क या आर्थिक संपादक की व्यवस्था की जाती है। इनकी मदद के लिए अलग- अलग संवाददाताओं की नियुक्ति की जाती है। कार्पोरेट सेक्टर के जाल ने तो आर्थिक पत्रकारिता को नए आयाम दिए हैं। पुलिस व अपराध संबंधी समाचारों के संकलन की जिम्मेदारी क्राइम रिपोर्टर को दी जाती है।

समाचारपत्रों में सांस्कृतिक तथा साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित समाचारों को भी प्रमुखता दी जाने लगी है। इन समाचारों के संकलन के लिए अलग से सांस्कृतिक संवाददाता रखे जाते हैं। समाचारपत्रों के रविवारीय संस्करणों में सांस्कृतिक-साहित्यिक गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा का प्रकाशन किया जाता है।

इसी तरह समाचार पत्रों में फिल्म जगत से जुड़े समाचारों को भी प्रमुखता दी जाने लगी है। प्राय: बुधवार या शुक्रवार को समाचार पत्र फिल्मी मैगजीन के रूप में दो या चार पृष्ठों में अतिरिक्त सामग्री देते हैं जिन्हें फिल्मी दर्शक अत्यन्त चाव से पढ़ते हैं। फिल्मी मैगजीन के लिए समाचारपत्र फिल्म संपादक की सेवाएं लेते हैं।

प्राय: हर समाचारपत्र रविवार को चार छ: अथवा आठ पृष्ठों में रविवारीय परिशिष्ट से संबंधित सामग्री देते हैं। इसमें पृष्ठों के अनुसार कहानी उपन्यास, लघुकथा, फीचर, रिपोर्टेज, गीत, गजल, खेल, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित साप्ताहिक समीक्षा बच्चों तथा महिलाओं से जुड़ी सामग्री दी जाती है जो अपने कुछ सहयोगियों के साथ समाचारपत्र के रविवारीय परिशिष्ट की सामग्री तैयार करवाते हैं। अकसर इन परिशिष्टों का प्रारूप तीन से चार सप्ताह पहले निर्धारित कर लिया जाता है कि किस रविवार को क्या सामग्री प्रकाशित की जानी है। कई बार कोई विशेष अवसर पर संबंधित सामग्री में फेरबदल भी करना पड़ता है।

समाचारपत्रों में री राइट मैन का अपना योगदान होता है। इन लोंगों का मुख्य कार्य टेलीफोन से प्राप्त होने वाले समाचारों के मुख्य बिन्दु लिखकर उनका समाचार के रूप में प्रस्तुतीकरण करना होता है। समाचारपत्र से जुड़े संवाददाताओं द्वारा कई बार टेलीफोन से समाचार लिखवाये जाते हैं। री राइट मैन अपने कार्य में इतने सिद्धहस्त होते हैं कि टेलीफोन पर सुने गए समाचार को इस ढंग से लिपिबद्ध करता है मानो वह खुद समाचार संकलन के लिए उपस्थित था। फैक्स मशीनों के प्रचलन से अब समाचारपत्र कार्यालय में टेलीफोन से समाचार लिखाने की परम्परा प्राय: खत्म हो चली है।

समाचारपत्र की साज सज्जा का महत्व इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए समाचारपत्रों में आर्टिस्ट (कलाकारों) की सेवाएं जरूर माने जाने लगी है। आर्टिस्ट समाचारपत्रों में

प्रकाशन के लिए ड्राइंग, नक्शे, ग्राफ तथा अन्य चित्रों के साथ अखबार का ले आउट तैयार करने में विशेष भूमिका निभाता है।

18.4.11 संदर्भ पुस्तकालय

समाचारपत्रों के कार्यालयों में संदर्भ पुस्तकालय को भी विशेष स्थान दिया जाने लगा है। अखबार जैसे जैसे अपने प्रकाशन का सफर तय करता जाता है उसका संदर्भ पुस्तकालय भी समृद्ध होता चला जाता है। संदर्भ पुस्तकालय की जिम्मेदारी पुस्तकालयाध्यक्ष को सौंपी जाती है। जो किसी घटनाक्रम से जुड़े समाचारों की पृष्ठ भूमि तैयार कराने में विशेष सहयोग देता है। इसके लिए समाचारों तथा लेखों एवं अन्य विशेष घटनाक्रमों का ब्यौरा रखा जाता है ताकि आवश्यकतानुसार संदर्भ सामग्री का समय पर उपयोग किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महत्वपूर्ण लोगों के जीवन घटनाक्रम का विवरण भी संदर्भ पुस्तकालय में रखा जाता है। संपादकीय विभाग से सूचना मिलते ही संदर्भ पुस्तकालय तुरत फुरत वांछित सामग्री उपलब्ध कराता है। वर्तमान में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट संदर्भ पुस्तकालय की भूमिका में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं।

18.5 संपादकीय विभाग का तकनीकी तंत्र

किसी भी समाचारपत्र में संपादकीय विभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तकनीकी तंत्र होता है। जिसके कई उप विभाग होते हैं। एक समय में जब समाचार पत्रों में हैण्ड कम्पोजिंग से मैटर तैयार होता था और ट्रेडल मशीनों आदि से अखबार की छपाई होती थी तब संपादकीय विभाग का उनसे सीधा और सक्रिय सम्पर्क जरूरी था। हैण्ड कम्पोजिंग के लिए बार-बार मैटर की मांग होती थी। लेकिन अब तकनीक में काफी परिवर्तन आ चुका है। जिससे संपादकीय विभाग का तकनीकी तंत्र की काफी हद तक प्रभावित हुआ है और स्वयं संपादकीय विभाग भी इससे अछूता नहीं रह पाया है।

संपादकीय विभाग के तकनीकी तंत्र के तहत मुख्य रूप से मुद्रणालय याने छपाई व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।

18.5.1 गैर पत्रकार

संपादकीय विभाग के साथ गैर पत्रकार कर्मचारियों का अपना महत्व होता है। संपादकीय विभाग में विभिन्न रूपों में कार्यरत लोगों को मौटे तौर पर पत्रकार कहा जाता है। इसके अलावा प्रबंध व्यवस्था से जुड़े गैर पत्रकार कर्मचारियों में मुद्रण, विज्ञापन, वितरण तथा प्रशासनिक कामकाज देखने वाले कर्मचारी होते हैं। संपादकीय विभाग सहित गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतन भत्ते, अवकाश इत्यादि का लेखा जोखा प्रशासनिक तथा वित्त विभाग के कर्मचारी रखते हैं। मुद्रण विभाग के कर्मचारी अखबार छापने की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसी तरह विज्ञापन शाखा के कर्मचारी अखबार में रोजाना छपने वाले विज्ञापनों का लेखाजोखा रखते हैं। विज्ञापन शाखा की ओर से अखबार के अंक में कुल विज्ञापनों का स्थान निर्धारित किया जाता है और उसी हिसाब से संपादकीय विभाग विभिन्न पृष्ठों के लिए प्रकाशित होने वाली सामग्री तैयार करता है।

वितरण शाखा का कार्य समाचारपत्र को ग्राहक के घर, दुकान, प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री इत्यादि तक पहुंचाने की व्यवस्था देखने से संबंधित होता है।

18.5.2 क्रीड़ा रूम या कक्ष

संपादकीय विभाग के तकनीकी तंत्र का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां अखबार में प्रकाशित की जाने वाली सामग्री उपलब्ध होती है। संपादकीय विभाग के विभिन्न पत्रकार सहयोगी तो अपने न्यूज आइटम (समाचार) तथा प्रमुख स्टोरी आदि तैयार करते हैं, लेकिन अखबार के अनेक पृष्ठों को भरने के लिए काफी मात्रा में समाचारों तथा अन्य सामग्री की जरूरत होती है। ऐसे में जिला राज्य या राष्ट्रीय स्तर के दैनिक पत्रों को समाचार एजेन्सियों की सेवाओं की आवश्यकता रहती है। इसी तरह स्वयं समाचारपत्रों का अपने स्तर के अनुरूप नेटवर्क होता है और विभिन्न जिलों या संभाग मुख्यालयों से प्रादेशिक मुख्यालय पर तथा प्रादेशिक राजधानियों से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्तर पर टेलीप्रिन्टर लाइनों, मॉडम आदि आधुनिक संचार माध्यमों से सीधा सम्पर्क होता है। यह सारी व्यवस्था क्रीड़ा रूम या टेलीप्रिन्टर कक्ष के रूप में जानी जाती है। समाचार एजेन्सियों के टेलीप्रिन्टरों से पल-पल में आते समाचार तथा स्वयं समाचारपत्र के संवाददाताओं अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रेषित समाचार आपरेटरों द्वारा संपादकीय विभाग के सहयोगियों को संपादन के लिए तत्परता से पहुँचाये जाते हैं। इसी तरह आवश्यक समाचार संबंधित समाचारपत्र के अन्य संस्करणों के लिए भिजवाने की व्यवस्था भी क्रीड़ा रूम के माध्यम से अथवा मॉडम या सेटेलाइट लिंक से भिजवाने का प्रबन्ध किया जाता है।

18.5.3 कम्पोज विभाग

संपादकीय विभाग की टीम समाचारपत्र के ताजा और नवीनतम संस्करण के लिए जो समाचार तथा अन्य सामग्री तैयार करती है उसे कम्पोज विभाग के सहयोगी कम्पोजिंग कर छपने के लिए तैयार करते हैं। पहले जो मुद्रण व्यवस्था प्रचलित थी, उसमें कम्पोजिंग विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। लेकिन अब आफसैट मुद्रण व्यवस्था के साथ कम्पोजिंग पद्धति का स्थान कम्प्यूटरों ने ले लिया है। अब कम्पोजिटर की अपेक्षा फीडर आपरेटर अथवा स्वयं पत्रकार कम्प्यूटर पर समाचार फीड करते हैं तथा कम्प्यूटर स्क्रीन पर अखबार के पृष्ठ तैयार किये जाने लगे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए अनुसंधान और परिवर्तन से तस्वीर तेजी से बदली है। अब पत्रकारों को कम्प्यूटर ज्ञान के साथ वेब के आपरेटिंग ज्ञान की जरूरत महसूस की जाने लगी है। अब जमाना इंटरनेट का है। कम्प्यूटर के विस्तार और बढ़ती लोकप्रियता ने परम्परागत टाइप सेटरों तथा कम्पोजिटर्स व ले आउट के विशेषज्ञों को दर किनार कर दिया है। फोटो कम्पोजिंग तकनीक से प्रतिमिनट एक हजार लाइनों की आश्चर्यजनक गति की उपलब्धता से अखबार का पृष्ठ तैयार करने का खेल कुछ मिनटों में सिमट गया है। अब तो ऐसे शोध कार्य प्रगति पर है जिससे कम्प्यूटर डिक्टेशन लेने में सक्षम हो जायेंगे। उच्च गति क्षमता के मॉडम फाइबर आप्टिकल केबल और उपग्रह लिंक ने समाचारपत्रों के प्रकाशन में क्रान्ति ला दी है।

18.5.4 मुद्रण विभाग

प्राचीन भारत में भोजपत्र पर लेखन से चौदहवीं शताब्दी में जौहन गुटनबर्ग के छापाखाने के आविष्कार ने छपाई की दुनिया में क्रान्ति की जो मशाल प्रज्वलित की थी वह बीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रकाश स्तम्भ का रूप ले चुकी है। वर्ष 1830 में स्टीम प्रेस और एक शताब्दी के बाद रोटरी प्रेस और अब आफसेट प्रेस ने मुद्रण कला को नए आयाम दिए हैं। कम्प्यूटर तकनीक के साथ-साथ वेक आफसैट प्रेस के माध्यम से स्वचालित रूप से प्रिन्टिंग प्लेटें बदलने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इससे प्रति मिनट एक लाख कापियों के मुद्रण की कल्पना साकार की जा सकती है।

मुद्रण विभाग से जुड़े अखबार तैयार करने वाले सहयोगी ले आउट तथा पेज मेकअप की जिम्मेदारी निभाते हैं। संपादकीय विभाग को इनसे अखबार के छप जाने तक सतत् सम्पर्क में रहना पड़ता है ताकि आखिरी क्षणों में कोई आवश्यक समाचार देना हो तो उसका उपयोग भी हो सके।

18.6 सम्पादकीय विभाग की कार्य-विधि

संपादकीय विभाग से जुड़े विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करके स्वाभाविक रूप से संपादकीय विभाग की कार्यविधि की कल्पना की जा सकती है। दरअसल संपादकीय विभाग का काम एक टीम के रूप में मिल जुलकर अखबार तैयार करने से जुड़ा है। अखबार के विभिन्न संस्करणों के हिसाब से संपादकीय विभाग में पारी के अनुसार काम चलता रहता है। अखबार की पृष्ठ संख्या के अनुसार तथा संस्करण के हिसाब से विज्ञापनों के लिए आरक्षित स्थान को छोड़कर समाचारों तथा अन्य पठनीय सामग्री को तैयार करने में संपादकीय विभाग की टीम की पूरी जिम्मेदारी होती है। इस कार्य में अखबार के अंशकालिक संवाददाता या स्ट्रिंगर से लेकर नगर संवाददाता, कार्यालय संवाददाता, खेल, वाणिज्य, सांस्कृतिक संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता, कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर, उप संपादक, मुख्य उप संपादक, समाचार संपादक, कार्यकारी संपादक और प्रधान संपादक स्तर तक सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है। इसी तरह छपाई से जुड़े मुद्रण विभाग की भी जिम्मेदारी होती है और इस पूरी प्रक्रिया में घड़ी की सुइयों के अनुसार चलने के बाद पत्र वितरकों एवं हाकर्स के माध्यम से अखबार अपने पाठकों तक पहुंचता है। मजे की बात यह है कि संपादकीय विभाग के सहयोगियों की टीम की अनवरत मेहनत से तैयार समाचार-पत्र के नवीनतम संस्करण का मूल्यांकन पाठक अखबार के विभिन्न पृष्ठ पलटने के बाद सहजता से कर लेता है कि आज का अखबार कैसा रहा।

संपादकीय विभाग और समाचारपत्र के अन्य संबंधित विभागों का आपसी तालमेल जरूरी होता है। वर्षो के कामकाज से किसी समाचारपत्र और उसके संपादकीय विभाग की एक कार्यप्रणाली विकसित हो जाती है। यह ढर्रा इतना परिक्व हो जाता है कि संपादकीय विभाग से जुड़ने वाले नए सहयोगी कुछ ही दिनों में उसी प्रणाली में सहज भाव से ढल जाते हैं। समाचारपत्र की टीम भावना कई विषम परिस्थितियों में अखबार की साख को बढ़ाने में मददगार साबित होती है।

नई दिल्ली से प्रकाशित 'नवभारत टाइम्स' का एक उदाहरण लिया जा सकता है। संपादकीय विभाग के प्रमुख लोग निर्धारित समय पर अखबार के संस्करण को अन्तिम रूप देकर (प्रिन्ट आर्डर) अपने घरों के लिए रवाना हो गए। देर रात में टेलीप्रिन्टर पर समाचार आया कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद (जनवरी, 1966) में देहान्त हो गया। किसी साथी ने यह समाचार टेलीप्रिन्टर पर देख लिया। उस समय कम्पोज विभाग और प्रति संशोधन विभाग के सहयोगी मौजूद थे। इधर अखबार छपने का समय हो चला था और इतना समय भी नहीं था कि देर रात संपादकीय विभाग के वरिष्ठ सहयोगियों से विचार विमर्श किया जाए। उस रात्रि में फोरमेन ने उपस्थित साथियों से चर्चा कर अखबार के फाइनल किये गए प्रथम पृष्ठ में कुछ परिवर्तन का निर्णय लिया। तब छपाई के इतने अति आधुनिक साधन सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। तुरत-फुरत शास्त्रीजी के देहावसान संबंधी समाचार को कम्पोज कराया गया। एक कालम समाचार को 72 पाइंट शीर्षक देकर प्रथम लीड के पास समायोजित कर अखबार छपवाया गया। इस तरह अखबार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में टीम भावना काम आई। अमरीका के राष्ट्रपति जान. एफ. कैनेडी की हत्या का समाचार जिस रात मिला उसी दिन भारत में भारतीय सेना के सात वरिष्ठतम अधिकारी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। संपादकीय विभाग की टीम भावना के कारण दिल्ली के एक अखबार में छपाई से पहले इन दोनों महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति में तालमेल बिठाकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

खैर, अब तो कम्पोजिंग और मुद्रण की तकनीक इतनी आधुनिक हो गई है कि देर रात के नवीनतम समाचारों को स्थान देकर दस मिनट में पृष्ठ को बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी टीम भावना तथा सम्पादकीय विभाग की कार्यप्रणाली का अपना महत्व है।

18.7 वेतन मंडल, श्रमजीवी पत्रकार और गैर पत्रकार कार्यविभाजन

भारत सरकार द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए गठित राजकुमार मणिसानासिंह वेतन मंडल ने अपनी रिपोर्ट में दोनों वर्गो के कर्मचारियों के कार्य विभाजन के संदर्भ में सिफारिश की है। इनका विवरण इस प्रकार है-

समूह प्रथम - सम्पादक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो एक समाचारपत्र के संपादकीय विभाग में निर्देशन एवं निरीक्षण का दायित्व देखता है।

समूह प्रथम ए :- अधिशाषी (या कार्यकारी) संपादक का अभिप्राय: ऐसे व्यक्ति से है जो एक समाचारपत्र में संपादकीय कार्य में सहायता करता है। वह स्थानीय संपादक सहायक संपादक आदि चाहे वे संस्थान में हैं या नहीं उनके कार्य का निरीक्षण करता है।

स्थानीय संपादक का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी समाचारपत्र के मूल प्रकाशन स्थल से अन्यत्र प्रकाशन केन्द्र पर संपादक पद के दायित्व का निर्वाह करता है।

सहायक या सह संपादक अथवा संयुक्त संपादक उप संपादक से अभिप्राय: ऐसे व्यक्ति से है जो संपादक को उसके कार्य में सहयोग दें।

समूह प्रथम बी :- सह संपादक से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो नियमित रूप से संपादक के कार्य में सहयोग करता है। साधारणत: किसी मुद्दे पर टिप्पणी, दृष्टिकोण, अग्रलेख

लिखने में सहायता तथा इसी तरह समीक्षा, टिप्पणी या आलोचनात्मक लेखन में मदद करता है।

अग्रलेख लेखक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से हो जो नियमित रूप से अग्रलेख लिखता है तथा समीक्षा, टिप्पणी और आलोचनात्मक लेखन में सहयोग करता है।

समाचार संपादक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो समाचारपत्र में समाचार शाखा के कार्यो में समन्वय और निरीक्षण का कार्य करता है तथा समाचारपत्र के सभी संस्करणों में समाचार तत्व के लिए जिम्मेदार होता है।

चीफ आफ न्यूज ब्यूरो से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो न्यूज ब्यूरो के कार्य का निरीक्षण करता तथा ब्यूरो सदस्यों को कार्य आवंटित करता है।

विशेष संवाददाता से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो संसदीय, राजनीतिक तथा सामान्य महत्व से संबंधित समाचारों के बारे में नियमित रूप से लिखने तथा व्याख्या संबंधी दायित्व का निर्वाह करता है। यह अधिस्वीकृत संवाददाता होता है जो केन्द्र सरकार के मुख्यालय अथवा विदेश में किसी केन्द्र पर रहकर अथवा एक से अधिक राज्य के लिए अथवा ऐसे किसी स्थान पर जहाँ उसे विशेष संवाददाता के रूप में किए जाने वाले कार्य संपादित करने होते हैं।

समूह-2 - उप या सहायक संपादक से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचार संपादक के दायित्व निर्वाह में सहायता करता है तथा वह समाचारपत्र के शहर संस्करण (सिटी एडीशन) का प्रभारी होता है।

चीफ रिपोर्टर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के प्रकाशन केन्द्र पर कार्यरत सभी रिपोर्टरों का प्रभारी होता है। वह इन रिपोर्टरों के काम का निरीक्षण करने के साथ विधायी, राजनीति या जन महत्व से संबंधित खबरों की व्याख्या करता है।

मुख्य उप संपादक या चीफ सब एडीटर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र में न्यूज डैस्क में एक पारी का प्रभारी होता है। वह अपने एक या एक से अधिक सहयोगी उप संपादक को कार्य आवंटित करता है। वह समाचारपत्र के प्रस्तुतिकरण तथा सजावट का दायित्व भी निर्वाह करता है।

खेल संपादक या स्पोर्ट्स एडीटर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के खेल खंड का प्रभारी होता है। वह खेल और इससे संबद्ध गतिविधियों की खबरों तथा टिप्पणी इत्यादि का कार्य करता है तथा एक या एक से अधिक खेल संवाददाताओं के बीच कार्य का विभाजन कर उनके कार्य का निरीक्षण करता है। उसके सहयोग के लिए एक या एक से अधिक उप संपादक भी होते हैं जो खेल समाचारों के प्रस्तुतीकरण में सहयोग करते हैं।

वाणिज्य संपादक या कामर्शियल एडीटर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो वाणिज्य, वित्त, व्यापार और उद्योग से संबंधित समाचारों को देखता है तथा उन पर टिप्पणी करता है। वह एक या अधिक संवाददाताओं या रिपोर्टर्स के कार्य का विभाजन कर उनके कार्य का निरीक्षण करता है।

फिल्म संवाददाता से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो फिल्म और रंगमंच से जुड़ी गतिविधियों की खबरों को देखता है। वह समाचारपत्र में इससे संबंधित पृष्ठ या कालम के लिए प्रभारी होता है तथा एक या अधिक संवाददाताओं के कार्य का निरीक्षण करता है।

मैगजीन एडीटर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो साहित्य एवं मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों की खबरों तथा उन पर टीका-टिप्पणी का कार्य देखता है। वह अखबार के साहित्यिक पृष्ठ या कालम के लिए प्रभारी होने के साथ अपने सहयोगी श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का निरीक्षण करता है।

कार्टूनिस्ट से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी खबर या घटनाक्रम पर कार्टून और कैरीकेचर्स के रूप में टिप्पणी करता है।

मुख्य सांख्यिकी या शोध प्रभारी से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सांख्यिकी या शोध प्रभाग का प्रभारी होता है तथा वाणिज्य, वित्त, व्यापार, उद्योग से जुड़े मामलों तथा आर्थिक समाचारपत्रों में एक या अधिक श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का निरीक्षण करता है।

मुख्य न्यूज फोटोग्राफर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक या अधिक न्यूज फोटोग्राफर के कार्य विभाजन के साथ उनके कार्य का निरीक्षण करता है। मुख्य लाइब्रेरियन या चीफ इन्डेक्स असिस्टेंट या चीफ कैलीग्राफिस्ट या चीफ आर्टिस्ट से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक या अधिक लाईब्रेरियन, इन्डेक्स सहायक, कैलीग्राफिस्ट और आर्टिस्ट के कार्य का निरीक्षण करता है।

समूह-तृतीय :- उप संपादक या सब एडीटर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचारों की प्राप्ति उनके चयन संक्षिप्तीकरण, व्याख्या, अनुवाद, संपादन, शीर्षक लगाने इत्यादि से जुड़े कार्यो के लिए जिम्मेदार होता है।

रिपोर्टर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी विशेष केन्द्र पर समाचार एकत्र कर उन्हें प्रस्तुत करता है । संवाददाता या कोरेस्पोन्डेन्ट से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी स्थान से समाचार एकत्रित कर उन्हें डाक तार तथा अन्य माध्यमों से अपने समाचारपत्र के केन्द्र पर भेजता है।

न्यूज फोटोग्राफर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचार प्रधान घटनाक्रम तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को फोटोग्राफ के जरिए सामने लाता है। आर्टिस्ट से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाचारपत्र के प्रकाशन के लिए ड्राइंग ले आउट, नक्शे, ग्राफ़्स तथा अन्य कोई सृजनात्मक कला से जुड़े कार्यो को देखता है। वह ये सभी कार्य या कुछ कार्य करता है।

केलीग्राफिस्ट से अभिप्राय उस व्यक्ति (आर्टिस्ट) से है जो पत्रकारीय कार्य के साथ केलीग्राफ़्स संबंधी कार्य करता है। लाइब्रेरियन या इन्डेक्स असिस्टेन्ट से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो खबरों तथा विचार के रूप में पृष्ठ भूमि से संबंधित सामग्री का रेकार्ड रखता है ताकि ताजा न्यूज स्टोरी को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

चीफ प्रूफ रीडर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक पारी में प्रभारी के रूप में एक या अधिक प्रूफ रीडर्स के कार्य का विभाजन कर उनके कार्य का निरीक्षण करता है।

समूह तृतीय ए :- प्रूफ रीडर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो मुद्रित सामग्री का संपादक की लिखी कापी से मिलान करता है तथा उनकी त्रुटियों, व्याकरण, दोषों इत्यादि को ठीक करता है।

प्लानर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो संपादक द्वारा दिए गए समाचार सामग्री के साथ फोटो संपादन रंग संपादन तथा समाचारों को प्रमुखता से उजागर करने (हाईलाइट) के लिए रंग संयोजन का दायित्व निभाता है।

गैर पत्रकार कर्मचारियों में प्रशासनिक स्टाफ के पदनाम तथा कार्य विवरण के बारे में भी वेतन मंडल ने विभिन्न समाचारपत्रों के वर्गीकरण के अनुरूप परिभाषित किया है। चूंकि संपादकीय विभाग की संरचना तथा कार्यविधि से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है, इसलिए हम इसका विस्तृत उल्लेख नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता इनमें प्रबन्ध व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों में महाप्रबन्धक, प्रबन्धक, समाचारपत्र के वितरण (सर्कूलेशन) तथा विज्ञापन एवं लेखा विभाग से संबंधित स्टाफ होता है।

इसी तरह मुद्रण व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों में प्रेस मैनेजर, फोरमेन, प्लेट मेकर, प्रिन्टर, इंकमेन तथा अन्य सहायक कर्मचारी होते हैं। जो समाचारपत्र के मुद्रण तथा इससे पूर्व की व्यवस्थाओं को अंजाम देते हैं।

18.8 सारांश

इस इकाई में हमने समाचारपत्र का संपादकीय विभाग की संरचना एवं कार्यविधि के बारे में अध्ययन किया इससे हम यह जान गए हैं कि किसी भी समाचारपत्र में संपादकीय विभाग का क्या महत्व है और उपयोगिता होती है हमने संपादकीय विभाग की संरचना का अध्ययन करते समय यह जानने का प्रयास किया कि संपादकीय विभाग के घटक तत्व कौन-कौन से हैं और उनकी क्या-क्या जिम्मेदारी है केवल विज्ञापनों को छोड़कर समाचारपत्रों में प्रकासित होने वाली सम्पूर्ण सामग्री संपादकीय विभाग के माध्यम से तैयार की जाती है इस प्रकार समाचारों को एकत्रित करने से लेकर उनके चयन तथा सम्पादन तथा समाचार के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रमुख कार्य संपादकीय विभाग का होता है।

संपादकीय विभाग की तुलना हम अपने शरीर में धड़कते हुए दिल से कर सकते हैं। जिस तरह लगातार धड़कन से शरीर चलता है, ठीक उसी प्रकार संपादकीय विभाग के स्पंदन से समाचारपत्र चलता है अथवा रोजाना प्रकाशित हो पाता है। इसलिए संपादकीय विभाग को गतिशील कक्ष की संज्ञा दी जाती है। संपादकीय विभाग को समस्त संसार की गूंज का गलियारा भी कहा जाता है।

संपादकीय विभाग का कार्य एक टीम की तरह चलता है जिसमें सभी घटकों सहयोगियों का आपसी समन्वय और तालमेल बहुत जरूरी होता है। एक जमाने में अखबार के संपादकीय विभाग में गिने चुने लोग होते थे, लेकिन अब समाचारपत्रों के एक से अधिक संस्करण प्रकाशित होने के कारण संपादकीय विभाग के सहयोगियों की संख्या में बहुत इजाफा हो चुका है। इसलिए संपादकीय विभाग का कार्य विभिन्न पारियों में चलता है और पाठक को नित ताजा समाचारों के साथ अखबार पढ़ने को मिलता है।

18.9 शब्दावली

1. टेलीप्रिन्टर
2. कम्प्यूटर

9. मेकअप
10. डिस्प्ले

3. कम्पोजिंग
4. आपरेटर
5. क्रीडरूम
6. प्रूफ रीडर
7. कापी होल्डर
8. ले आउट (डिस्प्ले)
11. लीड
12. आफसैट प्रिन्टिंग
13. वेबसाइट
14. इन्टरनेट
15. रोटरी मशीन

18.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. संपादकीय विभाग के महत्व और उपयोगिता के सन्दर्भ में इसकी संरचना का वर्णन कीजिए।

2. संपादकीय विभाग का कार्य एक टीम की तरह होता है इस कथन की समीक्षा करते हुए संपादकीय विभाग की कार्यविधि को रेखांकित कीजिए।

3. 'संपादकीय विभाग किसी भी समाचारपत्र के दिल की धड़कन है' इस कथन के सन्दर्भ में संपादकीय विभाग की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

4. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(अ) पत्रकार तथा गैरपत्रकार (ब) समाचार संपादक और उप संपादक (स) विशेष संवाददाता एवं संवाददाता (द) फोटोग्राफर एवं कार्टूनिस्ट के बीच अन्तर स्पष्ट करें।

5. 'वर्तमान में संपादकीय विभाग की अपेक्षा समाचारपत्र प्रशासन विभाग को अधिक महत्व दिया जा रहा है' क्या आप इस मत से सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की सूची

	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि
1.	स्नातक उपाधि प्रारम्भिक पाठ्यक्रम	6 माह
2.	भोजन एवं पोषण में सर्टिफिकेट	6 माह
3.	कम्प्यूटर ज्ञान एवं प्रशिक्षण का प्रारम्भिक पाठ्यक्रम	6 माह
4.	सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटिंग	6 माह
5.	पंचायती राज प्रोजेक्ट में प्रमाण-पत्र	6 माह
6.	संस्कृति एवं पर्यटन में प्रमाण-पत्र	6 माह
7.	महिलाओं में वैद्यानिक बोध में प्रमाण-पत्र	6 माह
8.	राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में प्रमाण-पत्र	6 माह
9.	बी.ए.एफ./बी.सी.एफ. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	1 वर्ष
10.	एम.ए.(अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिन्दी)	2 वर्ष
11.	एम.बी.ए.	3 वर्ष
12.	पी.जी.डी.एच.आर.एम.	1 वर्ष
13.	पी.जी.डी.एफ.एम.	1 वर्ष
14.	पी.जी.डी.एम.एम.	1 वर्ष
15.	पी.जी.डी.एल.एल.	1 वर्ष
16.	टी.एच.एम.	1 वर्ष
17.	डी.एन.एच.ई.	1 वर्ष
18.	डी.सी.ओ.	1 वर्ष
19.	डी.एल.एस.	1 वर्ष
20.	डी.सी.सी.टी.	18 माह
21.	बी.जे.(एम.सी.)	1 वर्ष
22.	एम.जे.(एम.सी.)	2 वर्ष
23.	बी.लिब.	1 वर्ष
24.	पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
25.	बी.एड.	2 वर्ष
26.	पी.एच.डी.	3 वर्ष
27.	पी.जी.डी.ई.एस.डी.	1 वर्ष